खण्ड-251, अंक-9
बुधवार, 4 भाद्रपद, शक संवत् 1886
(26 अगस्त, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 251 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	६४५–६४९
विरोधी दल के २८ सदस्यों के निलम्बन का समाप्तीकरण	६४९–६५२
श्री मल्तानसिंह द्वारा प्रयुक्त वाक्यों के संबंध में श्री रामसुन्दर पाण्डेय द्वारा खेद प्रकाशन	६५२–६५५
प्रश्नोत्तर	६५५–६७३
श्री झिलमिटराम की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना	६७३
प्रश्नों के संबंध में आपत्ति	६७३
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	६७४
कतिपय विषय	६७४
उत्तर प्रदेश की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा	६७४–७१८
सदन में अस्त-व्यस्त वातावरण में विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था	७१८–७२४
मतिज्यां	७२५–७३०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २६ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४६

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रताप सिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऋषि नारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम सुजन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुरपाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री

किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गंदावती, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली सिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथराव, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलरहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलीलअब्बासी, काजी
जसराम सिंह, श्री
जियाउरहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
टम्केश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री

त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारका प्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्र नारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पान्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाजहसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरन सिंह, श्री
पिताईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेम सुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
वंकटासिंह, श्री (टुन्नू सिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसी दास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री

बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रताप सिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री
भोखालाल, श्री
भोमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपाल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूदहसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दोलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताजमुहम्मद खां, श्री

मुरलीधरकुरील, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामअसरेवर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री

रामनाथपाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर नाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुर सिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावतीराठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथपांडेय 'प्रणव,' श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तलानायर, श्रीमती
शशिभूषण सिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्त सिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्दशर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईदअहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सरदारसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदखां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री

हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हुतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--शिक्षा मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश तथा शिक्षा उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

विरोधी दल के २८ सदस्यों के निलम्बन का समाप्तीकरण

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसी दास)--

अध्यक्ष महोदय, १७ अगस्त, १९६४ को जिन परिस्थितियों में विरोधी दल के सदस्यों को निलंबित करना पड़ा और भाषा विधेयक को पारित करना पड़ा वे खेदजनक है । सरकारी पक्ष तथा विपक्ष का भाषा विधेयक पर सदन की कार्यवाही के संबंध में मत समस्त जनता, और सदन के सामने है । पारस्परिक दोषारोपण के लिए कोई औचित्य नहीं है । इस पक्ष के लोगों का दृढ़ मत है कि सदन का कार्य, सदन की गरिमा के अनुसार शान्ति और व्यवस्था से चले और सभी लोगों की आस्था जनतंत्रीय पद्धति में हो और उन परम्पराओं को सम्मानित और प्रभावशाली बनाने के लिये सभी दल के लोग प्रयत्नशील हों।

दक्षिण पंथ और वाम पंथ गंगा-जमुना की दो धाराएं है और विधान सभा संगम है । इस पक्ष को इससे अधिक दुख नहीं हो सकता कि विपक्ष का स्थान रिक्त रहे और सरकार उनके मूल्यावान सुझावों से वंचित रहे । यदि विरोधी पक्ष के हृदय में इस बात का क्षोभ है कि सरकार प्रतिशोध की भावना से कार्य कर रही है तो मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार का कोई विचार किसी प्रकार की विंडिक्टिव कार्यवाही करने का नहीं है और जो भी घटना १७, १८ और १९ तारीख को हुयी उसके लिये हम सभी को खेद होगा। बहुमत दल अपने उत्तरदायित्व को पूर्णतया समझता है । सदन के किसी भी सदस्य की भूल को अपनी ही भूल समझता है । सदन के सभी दलों का फर्ज है कि ऐसा वातावरण पैदा करें जिसमें सदन का सम्मान हो सके और इस सदन से बाहर अन्य जनतंत्रीय संस्थाओं के लिये भी एक आदर्श उपस्थित कर सकें ।

श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं १७ तारीख को जिन २८ सदस्यों के निलम्बन हुए, उनकी समाप्ति के लिये प्रस्ताव पेश करता हूं ।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, १७-१८ तारीख की घटनाओं से किसी को भी प्रसन्नता नहीं हुई होगी । देश और प्रदेश के संसदीय इतिहास में यह पहला अवसर था जब समस्त विरोधी दलों को पूरे अधिवेशन के लिये सदन परित्याग करने का निश्चय लेना पड़ा परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि माननीय बनारसीदास जी ने उदारता का परिचय देकर विरोधी दल की भावनाओं का आदर किया और लोकतंत्र की मान्यताओं को बल दिया । उनकी ओर से मैं समझता हूं, यह भी आश्वासन हम लोगों को प्राप्त है कि कोई भी विधेयक अशान्त वातावरण में पारित नहीं होगा । मैं समझता हूं कि इसके द्वारा सदन में एक नया सहयोग का सूत्रपात होगा और मेरी यह भी इच्छा है कि हम अपनी विधान सभा में आज से एक नये अध्याय का श्रीगणेश करें । मैं विरोधी दल की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि हम इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा का संरक्षण करने में ही अपना गौरव समझते हैं और हम इस सदन में सभी कार्यवाहियों का उच्चतम संसदीय स्तर स्थापित करने के पक्ष में हैं । मैं समझता हूं कि सरकार ने जो सहयोग का हाथ बढ़ाया है उसमें विरोधी पक्ष किसी तरह पीछे नहीं रहेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शारदाभक्तसिंह]

अध्यक्ष महोदय, एक बात का दुख अवश्य है कि माननीय सुचेता कृपालानी जी की सरकार ने इस हिन्दी विरोधी भाषा विधेयक को आमूल वापस लेने का अभी तक निर्णय नहीं लिया है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की जन भावनाओं को समझते हुए यह भी निश्चय अगर हो जाता तो अच्छा होता और भविष्य में इसके लिये अगर हम उन्हें राजी करा सकें तो भी यह अच्छी बात होगी। अपने यहां सन् १९४७ से हिन्दी में कार्य प्रारम्भ करके सारे देश के लिये हमने एक मार्ग दर्शन किया था जिसके लिये हमें गौरव प्राप्त हुआ है। आज राजस्थान में भी यह विधेयक सदैव के लिये दफना दिया गया है। माननीय डाक्टर संपूर्णानन्द जी वहां के राज्यपाल हैं, उनका भी उसमें जरूर योगदान रहा होगा। विरोधी दल के लोग अब भी यही चाहते हैं कि भाषा विधेयक वापस हो और उसके लिये हमारा प्रयत्न जारी रहेगा। मैं इस मांग को मनवाने का हर संभव प्रयत्न करूंगा। आज स्वर्गीय पुरुषोत्तमदास टंडन जी की आत्मा हमारे साथ है। जिन्होंने अपना भगीरथ प्रयत्न हिन्दी को अपने यहां यह स्थान दिलाने के लिये किया था। आज यह सब देख कर उनकी आत्मा कराह रही होगी। मैं समझता हूं कि उधर के पक्ष के लोगों को उनका आदर करते हुए इस बात को स्वीकार करना चाहिये और अगर सरकार यह स्वीकार नहीं करती तो अपने सिद्धान्त के साथ, सदन के अन्दर और बाहर, हम संघर्ष करते रहेंगे। इसके लिये जनमत तैयार करेंगे और उसका दबाब डाल-कर सरकार को उसके लिये राजी करेंगे।

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मुझे अधिक संतोष है कि इस सदन में जो एक परिवार की तरह है, जिसमें कुछ मिस-अन्डरस्टैंडिंग हो गयी थी वह अब दूर हो गयी है और इस दौरान जो हमने विरोधी दलों के नेताओं से बातचीत की है, विशेष करके माननीय शारदाभक्तसिंह जी से, उसमें हमने यह महसूस किया है कि आप सब लोग भी यह चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही शान्ति-पूर्वक और सुचारु रूप से चले और जो हमारे नियम हैं उनका पालन हो और हमारे सदन की कार्यवाही इस ढंग से हो जिससे औरों के सामने एक आदर्श हो, हमारा माथा उज्जवल हो, और सदन की गरिमा बनी रहे। हमने भी यह आश्वासन दिया है कि हम कोई कानून भविष्य में किसी गड़बड़ी के बीच पास करना नहीं चाहते। सही बात है, यहां कोई भी बिल हो, वह विचार के लिये रखा जाता है और उस पर विचार होना चाहिये। दूसरी तरफ से, विरोधी दल वालों ने भी यह आश्वासन दिया है कि उनकी तरफ से अनावश्यक यह प्रयास नहीं किया जायेगा जिससे कि सदन की कार्यवाही रुके और वे कोई अनुचित कार्यवाही या गड़बड़ी नहीं करेंगे। मुझे खुशी है कि हम सब लोगों ने बैठकर जो समस्या थी उस पर विचार किया और यह आश्वासन दिया कि यहां की कार्यवाही उचित ढंग से चलेगी। मुझे बड़ा खेद और दुख होता था जब मैं बाहर जाती थी और उत्तर प्रदेश के बारे में निन्दा सुननी पड़ती थी। मैं आशा करती हूं कि अब गंभीरता और सौम्यता से कार्यवाही होगी और हमें सिर नहीं झुकाना पड़ेगा।

हिन्दी भाषा के बारे में शारदाभक्तसिंह जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा है कि सरकारी पक्ष हिन्दी भाषा का सम्मान पूर्ण रूप से प्रान्त में रखने में प्रयत्नशील है। जो कानून पास हुए हैं वे भी इसी नीति के मातहत पास हुए हैं। चाहे टंडन जी हों, चाहे पन्त जी हों या संपूर्णानन्द जी हों, मैं अपनी सरकार को हिन्दी के लिये प्रेम में किसी से कम नहीं समझती हूं। जो विधेयक आपके सामने रखा गया था वह केन्द्रीय सरकार की तरफ से हिदायत के मातहत था, कांस्टीटयूशनल रिक्वायरमेन्ट समझा गया था, इसीलिये वह रखा गया। उसका स्कोप बहुत सीमित है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केवल विरोधी दल ही नहीं, कुछ कांग्रेस के भाई भी चाहते हैं कि यह कानून पास न हो। हमने अपनी एग्जीक्यूटिव के सामने उन्हें समझाया कि यह क्यों रखना पड़ा। इसलिये मैं उस कानून को वापिस लेने के लिये तैयार नहीं हूं। रैशनल ढंग से काम हो, यह मैं चाहती हूं। दिल्ली के होम डिपार्टमेन्ट और ला-डिपार्टमेन्ट और हमारे ला-डिपार्टमेन्ट कह दें कि इस कानून के पास होने की जरूरत नहीं है तो हमें क्या जरूरत पड़ी है? राजस्थान के बारे में मैंने अपने ला-डिपार्टमेन्ट से कहा था। जैसे हमारे हिन्दी के लिये कानून बने वैसे ही उनके यहां भी होंगे। उनके कानून में कुछ गुंजाइश है जिसके कारण उन्हें अमेन्डमेन्ट लाने की जरूरत नहीं है। हमारे कानून में संकोच है, जिसके लिये संशोधन लाना पड़ा। भाषा के लिये लोगों के दिल में बड़ा सेंटीमेन्ट होता है। कांग्रेस दल में विरोधी दल से कम लगन इसके लिये नहीं है। आपसे ज्यादा हम चाहते हैं। हम हिन्दी भाषा को उस सिंहासन में बैठे हुए देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की ही नहीं, सारे भारतवर्ष की भाषा हो। २०० साल अंग्रेजी भाषा से हमने कार्य किया। भाषा का एक इतिहास है और उसके मुताबिक थोड़ा संशोधन करना पड़ा। इसमें किसी को परेशान होने की या मोटिव्ज इंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। मैं आदर करती हूं जो शारदाभक्तसिंह जी ने यहां कहा।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि जो बातें हम लोगों के बीच में होती हैं उनको निर्वहन न कर उनमें उलटफेर कर दिया जाता है। एक स्पष्टीकरण तो मैं यह चाहता हूं कि निलम्बन का प्रस्ताव हुआ या नहीं, उसे हाउस ने स्वीकार किया या नहीं, निलम्बन वापस हुआ या नहीं हुआ? इसके बीच में दूसरी कार्यवाहियां होने लगीं। निलम्बन के प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

उस पर वोटिंग होगी।

मैं विरोधी दल को और विशेष रूप से सत्तारूढ़ दल को बधाई देता हूं और उनका अभिनन्दन करता हूं कि ऐसी परिस्थितियां आ गयीं कि जिनसे विरोधी दल, जिन्होंने सदन का परित्याग किया था, सदन में आ सके और अब अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

प्रत्येक अनिच्छित या अनिष्ट घटना में भी कुछ न कुछ शुभ बात छिपी रहती है और इस घटना से हमें इस बात की खुशी है कि प्रत्येक सदस्य इस सदन के गौरव और गरिमा के संरक्षण के लिये आज उद्यत ही नहीं बल्कि कृत संकल्प है।

इस बात की भी खुशी है कि हमारे सामने यह प्रस्ताव आया है कि निलम्बित सदस्यों के विरुद्ध निलम्बन काल की समाप्ति की जाय और अब मैं इस प्रश्न को सदन के सामने रखता हूं।

प्रश्न यह है कि १७ तारीख को जिन २८ सदस्यों को निलम्बित किया गया था उनका निलम्बन काल समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

निलम्बित व्यक्तियों का निलम्बन समाप्त हो गया। वे सदन में आ सकते हैं।

(कुछ निलम्बित सदस्य सदन में आये।)

श्री गयाप्रसाद---

एक और स्पष्टीकरण चाहता हूं। स्पष्ट हुआ था कि श्री बनारसीदास जी खेद प्रकाशित करेंगे। वह नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है कि हमें सन्तोष है कि बनारसीदास जी ने उदारता दिखलाई और हमें मौका दिया कि हम यहां सम्मिलित हों। माननीय शारदाभक्त-सिंह जी, आपको कुछ और कहना है ?

*श्री शारदाभक्तसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे निलम्बन समाप्त करने की बात प्रारम्भ में ही कही गयी थी, मैं समझता हूं कि उसमें यह भी निश्चय था कि निलम्बित विशेषकर संयुक्त सोसलिस्ट पार्टी के नेता रामसुन्दर जी पांडेय को भी कुछ निवेदन करना था। मैं समझता हूं कि जो थोड़ी-सी बात तय हुयी थी उसमें परिवर्तन कर दिया गया। हम लोगों की इच्छा थी कि जो भी कार्यवाही हो वह उन लोगों के संमुख ही हो। फिर भी, निलम्बन समाप्त हो गया है और मैं ऐसी आशा करता हूं कि (श्री रामसुन्दर पाण्डेय को सदन में आते देख) वह हमारे नेता संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भी आ गये हैं। हम शब्दों पर नहीं जाना चाहते। अब एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना है और जो हमें एक आश्वासन प्राप्त हुआ है सरकार की ओर से, उसके आधार पर हम लोग एक साथ मिलकर कार्यवाही करेंगे, ऐसा वातावरण हम बनाना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा, हम एक नये अध्याय का श्रीगणेश करना चाहते हैं और हम संसदीय क्षेत्र में एक उच्च स्थान प्राप्त कर सकें जो उत्तर प्रदेश के गौरव और गरिमा के अनुसार हो।

अध्यक्ष महोदय, हमें पूरा विश्वास है कि जो भी घटनायें हुयी हैं सरकार उनसे दुखी है और सरकार ने ऐसा मत व्यक्त भी किया है। जो हम लोगों की बातचीत हुई है उससे हमें यह अनुभव हुआ है कि सरकार भी इस बात को महसूस करती है कि विरोधी दल के साथ मिलकर ही कार्य करना लोकतंत्र के अनुसार है, लोकतंत्र के लिये आवश्यक है और इसलिये मैं फिर से इस नये वातावरण में कार्य करने के लिये अपने को और सरकार को धन्य समझता हूं और इस बात का अपनी ओर से विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार की भावनाओं का हम भी आदर करें और इस कार्य को आगे चलायें।

श्री मुल्तानसिंह द्वारा प्रयुक्त वाक्यों के संबंध में श्री रामसुन्दर पांडेय द्वारा खेद प्रकाशन

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से कुछ निवेदन आपके जरिये सदन में करना चाहता हूं और खास तौर से माननीया मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सदन में व्यवस्था ठीक करनी है तो दोनों ओर की भावनाओं का सन्तुलन करना चाहिये और किसी बहाने इधर उधर बैठने वाले या उधर बैठने वाले किसी पक्षी या विपक्षी व्यक्ति को बदनाम करने की परम्परा नहीं होनी चाहिये। श्रीमन्, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा। १३ वर्षों के अनुभवों के आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं। माननीय मुल्तानसिंह के शब्द क्या थे, क्या नहीं थे, चूंकि मैं हाउस में नहीं था, इसलिये उसके संबंध में वादविवाद में पड़ना नहीं चाहता। वह हाउस में विद्यमान हैं। उन्होंने क्या कहा, वह आपके पास लिखित भेज दिया है। लेकिन श्रीमन्, हमको बड़ा खेद हुआ है जो इस संबंध में प्रक्रिया आपकी ओर से अपनायी गयी है। सदन की जो नियमावली है, उस नियमावली का सम्यक प्रकार से परिपालन उसके संबंध में नहीं किया गया। मैं आपसे और माननीया सुचेता जी से निवेदन करूंगा कि यह आपका कर्त्तव्य है कि इस हाउस में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, किसी के ऊपर इस प्रकार का दोषारोपण नहीं होना चाहिये । श्रीमन्, आप जानते हैं, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम ३०४ है जिसमें कहा गया है कि कोई भी वक्ता अगर बोलता हो और असंसदीय, अनुचित, अभद्र शब्दों का प्रयोग करता हो तो पीठासीन व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह उसे ऐसा करने से रोके और दूसरे सम्मानित सदस्य जो बैठे हैं उनका कर्त्तव्य है कि वह उसे रोकें, वापस लेने के लिये कहें और वापस न ले, तो आप जानते हैं विशेषाधिकार का सवाल उसके ऊपर उठाया जाता है, लेकिन श्रीमन्, हमें खेद है और अत्यंत खेद है कि माननीय मुल्तान सिंह जब बोल रहे थे, उस समय माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे, उन्होंने उन्हें रोका नहीं और किसी सम्मानित सदस्य ने सवाल नहीं उठाया और बिना प्रश्न उठाये हमें दूसरों की नजरों में गिराने की कोशिश की गयी ।

श्रीमन्, मैं दूसरी बात निवेदन करूंगा । आप सब जानते हैं इस हाउस में एक बार नहीं हजारों बार रूलिंग हो चुकी है कि बिना आपकी आज्ञा के कोई सदस्य अगर बोलता है तो सदन की कार्यवाही का हिस्सा वह नहीं होगा । हमें जानकारी है कि माननीय मुल्तानसिंह उपाध्यक्ष महोदय की बिना आज्ञा के बोल रहे थे । बिना आज्ञा के जब बोल रहे थे, तो श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह सदन की कार्यवाही में कैसे लिख गया और अधूरा भाषण कैसे आ गया ? और तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके यहां परिपाटी है कि सदस्य जब भाषण कर लेता है तो उसी दिन या दूसरे दिन तत्काल उसके पास उसके भाषण की प्रतिलिपि शुद्धिकरण के लिय भेजी जाती है । १९ तारीख को माननीय मुल्तानसिंह का भाषण हुआ । १९ तारीख को कापी नहीं भेजी गई । २० तारीख को नहीं भेजी गई । २१ तारीख को लगभग १० बजे उनके पास शुद्धिकरण के लिये कापी भेजी गई । मैं निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन्, हमारे पास सबूत है, माननीय खेर साहब का लिखित आदेश है और आपका आदेश है और गिरधारीलाल जो आपके कार्यकर्त्ता बैठे हुये हैं, हमने एक मर्तबा नहीं हजार मर्तबा कोशिश की है कि किसी से सम्मानित सदस्य के भाषण की प्रतिलिपि मिल जाय, देखने को मिल जाय, लेकिन नहीं मिली । मैं जानना चाहता हूं कि जब माननीय मुल्तानसिंह जी ने भाषण दिया तारीख १९ को, लेकिन उसकी कापी उनको २१ को मिली । उसके बाद उन्होंने शुद्ध करके भाषण दिया। श्रीमन्, नियम यह है कि बिना शुद्ध किये हुये भाषण की प्रतिलिपि किसी को नहीं दी जा सकती है । हां पढ़ने की बात तो अलहदा है । मैं जानना चाहता हूं और निवेदन करूंगा कि बिना मुल्तानसिंह जी के शुद्ध किये हुये माननीय मुख्य मंत्री को उसकी कापी क्यों दे दी गयी और श्रीमन्, आपने उसको हाउस में पढ़ दिया ? मैं समझता हूं कि इनको बदनाम करने के लिये, विपक्षियों को बदनाम करने के लिये, यह काम किया गया है । भविष्य में हम सभी को इस प्रकार की कार्यवाही सोच समझ कर करनी चाहिये और यह देखना चाहिये कि नियमों का पूरी तरह से पालन हो, क्योंकि नियमों का उल्लंघन ही वातावरण को खराब करता है । मैं निवेदन करता हूं कि अगर इन नियमों का परिपालन ठीक प्रकार से होगा आपके और माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा तो उससे इस प्रदेश में, इस विधान सभा के कार्य संचालन में किसी प्रकार की दिक्कत न होगी और न हंगामा होगा ।

श्री अध्यक्ष---

आपने यह तो बताया नहीं कि माननीय मुल्तानसिंह जी का क्या कहना है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि यह हमारी कमी है । हमारे ऊपर, हमारे दल के ऊपर और माननीय मुल्तानसिंह जी के ऊपर बहुत आक्षेप हुआ है और उस कुर्सी से हुआ है, सारे प्रदेश में उसका हल्ला किया गया है । जब समझौते की बातचीत आपस में हो रही थी, उस समय हमने यह उचित नहीं समझा और इसी संकोच और भय से हमने उनके बारे में अपना बयान अखबारों में नहीं दिया । केवल आपके पास लिख कर भिजवा दिया । लेकिन आपको भी सदन में

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

पूर्ण भाषण नहीं पढ़ना चाहिये था । माननीय जेड० ए० अहमद साहब ने भी श्री मुल्तानसिंह को बिना सुने हुये समाचार पत्रों को बयान दे दिया । श्री सिंह को जो बात कहनी थी वह आपके पास लिख कर भेज दिये हैं । सरकार के प्रति जिन शब्दों का प्रयोग होना चाहिये, उससे भी कटु शब्द इस्तेमाल किये जा सकते थे। लेकिन मेरा विश्वास है और मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूं, ऐसा अभद्र आदमी नहीं हूं कि हमारे सामने या हमारी बगल में जो हमारी मातायें, बहनें या माननीया सुचेता जी उस आसन पर बैठी हुयी हैं किसी भी सदस्या के लिये इस प्रकार के शब्दों का व्यवहार करते । ऐसी भावना हमारी कभी भी नहीं हो सकती है । माननीय मुल्तानसिंह जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनको माननीया सुचेता जी, इन्द्राजी या सुशीला रोहतगी जी के लिये कोई कर नहीं सकता । यह अमनोवैज्ञानिक बात है, निराधार बात है । मैं फिर भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर उन शब्दों से किसी को क्लेश हुआ है, किसी सदस्य को क्लेश हुआ है, सदन को क्लेश हुआ है तो उन शब्दों के लिये हम खेद प्रकट करते हैं और उनको वापस लेते हैं।

*मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष महोदय, हम लोग भरसक चाहते हैं कि शासन और इस सदन का कार्य शान्ति से चले । जब से मैंने इस कुर्सी को संभाला है, हर विपरीत अवस्था के रहते हुये भी मैंने इसको इसी प्रकार चलाने का प्रयत्न किया है । श्री शारदाभक्तसिंह जी का मैं समादर करती हूं । उन्होंने जिस एटीट्यूड से बातचीत की उसका समादर करती हूं, लेकिन मुझे अत्यन्त दुःख है उस पर जैसा कि सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने इस समय भाषण दिया, उनको इस समय ऐसा भाषण नहीं करना चाहिये था । जब कि एक चरम अपमान के शब्द यहां के लोगों के लिये इस्तेमाल किये गये थे, उस समय उनको शुरू में भी यह जाहिर करना चाहिये था कि उनको इसके लिये खेद है। मगर जिस स्प्रिट में इन्होंने कहा, इसमें अगर कुछ भी ग्रेस था तो वह ग्रेस निकल गया । मैं इस समय ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूं क्योंकि कौन कैसे बोलता है वह अपने इंटेलेक्चुअल और साइकोलाजिकल बैक ग्राउंड में बोलता है, इसलिये अच्छा या बुरा कुछ बोलने की गरज नहीं है, मगर आज जो अभी एपोलाजी रखी गयी है उस एपोलाजी का कोई असर हमारे ऊपर नहीं पड़ा है। मैं जानती हूं कि हमारी पार्टी के जो नर-नारी यहां हैं वे कितने अपमानित हुये हैं । मेरी बहनों ने मेरे पास आकर कहा कि हमारा इस्तीफा ले लो, मगर इस हाउस में हम नहीं बैठेंगे जहां ऐसे अपशब्द हम लोगों के लिये इस्तेमाल किये जायं । मैं समझती हूं कि जिन मेम्बर ने ऐसा किया है, अगर वे समझते हैं कि इसको गलत समझा गया है तो भी उनको इस समय यहां आकर अनकंडिशनली कहना चाहिये कि इन शब्दों से अगर लोगों को दुख है तो उन्हें हम वापस लेते हैं और इसके लिये शर्मिन्दा है । मैं कहती हूं कि अगर गवर्नमेंट के लिये भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल केवल वही कर सकता है जो प्रापरली एजूकेटेड न हो । मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि मैंने सोचा था कि श्री मुल्तानसिंह यहां आकर माफी मांगेंगे, मगर वे यह नहीं करना चाहते तो हम भी इसकी परवाह नहीं करते और उनको माफ करते हैं ।

इस सम्बन्ध में स्कूल टाइम का एक किस्सा याद आ गया। जब हम छोटे-छोटे बच्चे अपने धार्मिक शिक्षक के पास यह शिकायत लेकर जाते थे कि फलां लड़के ने हमारे लिये यह गलत शब्द कहा है तो वे यही कहा करते थे कि इससे तुम क्यों दुखी होते हो, इससे तो उसने अपना ही परिचय दिया है कि वह किस तरह का लड़का है । इसी तरह से मैं समझती हूं कि जिन्होंने भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है उन्होंने अपना ही परिचय दिया है । इस सम्बन्ध में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है और हम खुले दिल से उनको माफ करते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अब इस विषय को समाप्त किया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि श्री मुल्तानसिंह यहां पर आकर माफी मांगें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुकन्दीलाल जी, आपको मालूम होना चाहिये कि सदन नेता इस समय मुख्य मंत्री हैं और उन्होंने माफी दे दी है । मैं समझता हूं कि अब आपका इस पर आगे बोलना व कुछ कहना आपके लिये शोभनीय नहीं है ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २६ अगस्त, १९६४

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

महंगाई भत्ता बढ़ाने की सिफारिश

*१—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा नियुक्त पे कमेटी का जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक कम से कम ३० रुपया अन्तरिम भत्ता अपने कर्मचारियों को महंगाई देखते हुये देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

जी नहीं । सरकार ने अभी हाल ही में अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में १-४-१९६४ से ही बढ़ोत्तरी की है । अतएव फिर इतनी जल्दी ही सरकार के लिये कोई अतिरिक्त व्यय वहन करना सम्भव न होगा ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या माननीया मुख्य मंत्री मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगी कि जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राइस के १० प्वाइंट राइज होने पर उसके पुनर्गठन व पुनर्निर्माण व जांच के लिये पे कमेटी का निर्माण किया जाता है, उसी पद्धति को वे अपने इस प्रदेश में भी लागू करने की कृपा करेंगी जिससे मालूम हो सके कि वर्त्तमान हालत क्या है और कर्मचारियों की आर्थिक हालत क्या है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

आपको मालूम ही होगा कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने पे रेशनलाइजेशन कमेटी बनायी है जो इन सारी बातों पर विचार कर रही है । जब तक उनके सुझाव हमारे सामने न आवें तब तक हम इस विषय में कोई और निर्णय नहीं कर सकते ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या माननीया मुख्य मंत्री इस बात पर विचार करेंगी कि अगर ३० रु० महंगाई भत्ता देने में उनको कठिनाई का अनुभव हो रहा है तो वे कोई लम्पसम एमाउंट जो मुनासिब हो अपनी सरकार की आर्थिक स्थिति को समझते हुये देंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

रेशनलाइजेशन कमेटी के सुझाव हमें जल्दी ही मिलने वाले हैं, ज्यादा समय उसमें नहीं लगेगा। इसलिये बीच में इस वक्त कोई फैसला लेने का सवाल नहीं है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीया मुख्य मंत्री जी जिन कर्मचारियों की छोटी तनख्वाह है उनकी जरूरियात जिन्दगी की चीजें मुहैया करने के लिये कोआपरेटिव सोसाइटीज की दूकानों को सबसिडाइज करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जहां कहीं इस तरह की कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको हम इनकरेज करते हैं ताकि उनके जरिये से मुलाजिमों को सस्ते दामों पर चीजें मिल जायं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये जैसे कि सरकार को विश्वास है और सब लोग इसको मानते हैं कि एक, दो मास में कुछ अनाज की स्थिति सुधर जायगी, क्या फौरी तौर पर जो आज की यहां की स्थिति है कोई ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि जो छोटे सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिये कोई स्पेशल प्रबन्ध हो जाय ताकि उन को अन्न प्राप्त हो सके ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हमारी जो अन्न के बटवारे की स्कीम है उसके अनुसार यही कोशिश है और हम कम आय वालों को ही अधिक सहूलियत देना चाह रहे हैं।

कोड़िहार ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

*२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद), श्री मेवालाल गायसवाल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को मालूम है कि इलाहाबाद जिले के कोड़िहार ब्लाक के, ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध जिलाधीश को अविश्वास का प्रस्ताव दिनांक २२-७-१९६४ को मिला है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

श्रीमन्, आप इस प्रश्न को देखें और सूचना एकत्र करने की बात के उत्तर को देखें, यह एक डेफिनिट प्रश्न है। इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अक्सर उत्तर दिये जाते हैं, मैं चाहता हूं कि सरकार को तम्बीह की जाय कि इस प्रकार के ऊलूल-जलूल उत्तर सरकार की ओर से न दिये जायं।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, जैसा कि मोहिले जी, कह रहे हैं मुझे दुख है कि यह शार्ट नोटिस क्वेश्चन था, मैंने सबेरे इस के बारे में पूछा भी था, एक बार स्थगन मांग लिया था, यह भूल है, आप चाहें तो इसको स्थगित कर दें, बाद में जवाब दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

इस में कोई ऐसी सूचना भी नहीं थी जिस में विलम्ब होता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

सिविल सर्जन, मुरादाबाद के खिलाफ शिकायत

*१—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस समय के सिविल सर्जन, मुरादाबाद ने थाना हसनपुर के मुकदमा कत्ल संख्या ९८/९ (जेर दफा ३०२) सन् १९५९, सरकार बनाम कल्यान व हीरा आदि से सम्बन्धित पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि मकतूल के सीने पर ८"×३" की चोटें आलय कुन्द से आई थीं, किन्तु अदालत में सिविल सर्जन ने अपने बयान में यह कहा कि कोई डूबने वाला पानी के अन्दर अपने सीने पर जोर से चोटें मारे तो भी ये चोटें आ सकती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में विजिलेंस कमीशन द्वारा उक्त सिविल सर्जन के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

ए० डी० एम० (जे) मुरादाबाद की सम्बन्धित पत्रावली हाईकोर्ट इलाहाबाद को भेजी गई थी जो अभी तक वापस प्राप्त नहीं हुआ है। अतः यह पता नहीं लगाया जा सका है कि सिविल सर्जन मुरादाबाद ने न्यायालय में क्या बयान दिया था । इस सम्बन्ध में अभी कोई कार्यवाही संभव नहीं है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मेरे इस सवाल के पीछे एक दर्दनाक, इंसान के कत्ल की कहानी है और जिसमें सिविल सर्जन ने रिश्वत लेकर अदालत में बनाकर झूठे बयान दिये । क्या मंत्री जी मेरी इस सूचना को सही मानकर इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे और इन कागजात को हाईकोर्ट से मंगाकर उन पर गौर करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह जिस तरह से आप प्रश्न कर रहे हैं यह ठीक नहीं है, आप कोई फैक्ट बतायें कि उसको ध्यान में रखते हुये जवाब सही नहीं है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैं मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि सिविल सर्जन ने पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट में बयान दिया कि मकतूल के सीने पर ८"×३" इंच के चोटें आलय कुन्द से आई थीं, लेकिन उसने अदालत में कहा कि अगर कोई आदमी डूबते हुये अपने सीने पर घूंसे मारे तब भी ऐसी चोटें आ सकती हैं जो कि कुदरती तौर पर नामुमकिन है और बनी हुई बात है, कैसे डूबता हुआ आदमी अपने इस तरह से चोट मार सकता है ? क्या मंत्री जी इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी सिविल सर्जन के कांडक्ट की जांच विजिलेंस कमीशन से करायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जैसे ही हाईकोर्ट से पत्रावली वापस आयेगी और ज्ञात होगा कि कोई ऐसा कार्य बदनियती से किया गया है तो कार्यवाही की जायगी ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

यह देखते हुये कि यह हत्या दिन के दस-ग्यारह बजे बहुत भयंकर परिस्थिति में हुई थी और लाश भी बहुत बुरी हालत में मिली थी और इस बात को समझते हुये कि किसी तरह से भी यह सम्भव नहीं है कि कोई आदमी डूबते वक्त अपने हाथ से अपने ही सीने में ऐसी चोटें मार सकता है, क्या सरकार इसकी अहमियत को देखते हुये तत्परता के साथ हाईकोर्ट से पत्रावली मंगाने का प्रबन्ध करेगी, ताकि उस सिविल सर्जन पर जल्द केस चलाया जा सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

तत्परता से ही कार्यवाही की जा रही है इसकी अहमियत को देखते हुये । आप स्वयं जानते हैं कि हाईकोर्ट में समय लगता है, परन्तु जैसे ही वहां केस समाप्त हो जायगा जल्द से जल्द मंगाने का प्रयत्न किया जायगा ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

मंत्री जी ने कहा कि ए० डी० एम० (जे) ने पत्रावली हाईकोर्ट में भेज दी है। तो क्या उस मामले से संबंधित कागजात हाईकोर्ट चले गये हैं ? यदि हां, तो मंत्री जी प्रयत्न करेंगे ऐडवोकेट जनरल के द्वारा कि उस पत्रावली को जल्दी वापस मंगावें और सिविल सर्जन महोदय का प्रमाणिक बयान लेकर उस पर कार्यवाही करें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जब तक पूरे कागजात हाईकोर्ट के पास हैं .....

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य का कहना यह है कि शीघ्रातिशीघ्र ऐडवोकेट जनरल के जरिये से मंगा लीजिये ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

फैसले से पहले इसमें इंटरफीयर करना मुनासिब नहीं होगा ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

फैसला हो चुका है ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यदि फैसला हो चुका है, तो फौरन मंगाने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

कई साल हो चुके हैं फैसला हुए ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इब्तदाई रिपोर्ट और अदालत में बयान होने के बाद सिविल सर्जन की रिपोर्ट में जो फर्क होता है क्या उसको बड़े अधिकारी से जांच करायेंगे कि बयानात में फर्क होने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष---

जब स्पेसिफिक सवाल रखेंगे तब देखा जायगा ।

*२-४---श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिए गए ।]

पसगवां ब्लाक की जीप का प्रयोग

*५---सर्वश्री श्रीराम (जिला बिजनौर), मन्नालाल (जिला खीरी) तथा हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी के ब्लाक पसगवां की जीप गाड़ी एक एम० एल० ए० ने अप्रैल, सन् १९६४ में लगभग पूरे माह अपने निजी कार्य में प्रयोग किया ? यदि हां, तो किस आधार पर तथा किसकी आज्ञा से जीप का प्रयोग किया ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जिला खीरी के ब्लाक पसगवां को जोप गाड़ी अप्रैल, १९६४ में किसी एम० एल० ए० को नहीं दी गई थी ।

*६--सर्वश्री श्रीराम, मन्नालाल तथा हिम्मतसिंह)--

क्या यह भी सत्य है कि उक्त जोप विधायक अथवा पार्टी प्रयोग के लिये ही काम में लाये और सरकारी ड्राइवर तथा पेट्रोल इस्तेमाल किया गया ? यदि हां, तो उसकी जांच करा कर एक प्रति सदन को मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

प्रश्न नहीं उठता ।

*७--सर्वश्री श्रीराम, मन्नालाल तथा हिम्मतसिंह--

क्या यह सत्य है कि अभी अप्रैल माह में ब्लाक प्रमुख, पसगवां ने ब्लाक से ५०० रुपये टी० ए० का लिया ? यदि हां, तो क्या सभी ब्लाक प्रमुखों को टी० ए० लेने का अधिकार है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

अप्रैल, १९६४ में ब्लाक प्रमुख को कोई भी टी० ए० का भुगतान नहीं किया गया । सभी ब्लाक प्रमुखों को नियम के अनुसार टी० ए० लेने का अधिकार है ।

श्री श्रीराम--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ब्लाक प्रमुख के चचा रामभजन शर्मा एम० एल० ए० हैं ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)--

इस किस्म की कोई जन्मपत्री हमारे यहां नहीं रखी जाती है कि किसके पिता या माता क्या हैं ? इसलिये हम इस बारे में नहीं जानते ।

श्री मन्नालाल--

क्या यह सही है कि ब्लाक प्रमुख श्री ओमप्रकाश के सगे चचा श्री रामभजन एम० एल० ए० ने अपने लड़के की शादी में लगभग १ महीने जोप का इस्तेमाल किया ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जी नहीं ।

श्री मन्नालाल--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यदि अप्रैल में ५०० रु० का टी० ए० नहीं लिया तो किस महीने में लिया और कितना लिया ?

श्री राममूर्ति--

इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)--

प्रमुखों को टी० ए० दिये जाने के नियम क्या हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

वह नियम बंट चुके हैं उसको आप देख लें ।

श्री मन्नालाल---

क्या यह सही है कि ब्लाक प्रमुख पसगवां ने लगभग ५०० रु० का टी० ए० लिया है, इसकी सूचना सरकार के पास है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

जीप के साथ एक लोग बुक होती है, क्या उसमें एक महीने में हुए सब सफर एन्टर्ड हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, लोग बुक मेरे पास है । उसमें एन्ट्री है । अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़कर सुना देता हूं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता के लिख कर देने पर वे सी० आई० डी० द्वारा इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री राममूर्ति---

यहां तो हमारे सामने लोग बुक रखी है । उसको अगर आप देखना चाहें तो हम उसे तारीखवार पढ़ कर सुना दें ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या ब्लाक प्रमुखों के लिये टी० ए० बने के लिये महीने में कोई रकम निश्चित कर दी है ? अगर ऐसा है, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह रकम उससे ज्यादा ली गयी है या कम ?

श्री राममूर्ति---

अध्यक्ष महोदय, ब्लाक प्रमुख हमारे प्रदेश के बड़े जिम्मेदार लोग हैं और हमारी तरह वे भी चुनकर आये हैं और मैं चाहता हूं कि जैसे हम सब चाहते हैं कि जैसे हमारी इज्जत करते हैं हम भी उनकी इज्जत करें । हो सकता है कि प्रमुखों की इतनी बड़ी संख्या में बाई एंड लार्ज कभी किसी की शिकायत आ जाय कि वे दुर्व्यवहार किया करते हैं गलत टी० ए० लेकर ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

अभी माननीय मंत्री जी ने लोग बुक का हवाला दिया कि लोग बुक में एन्ट्रीज हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उससे यह भी ज्ञात हो सकता है कि किस-किस ने किस के साथ सफर किया है ।

श्री अध्यक्ष---

लोग बुक में तो केवल माइलेज ही होता है । उसमें यह नहीं होता है कि उसमें कौन बैठा या किसके साथ गया ।

श्री टम्मेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कष्ट करेंगे कि वह जीप ब्लाक के बाहर भी गयी है ?

श्री राममूर्ति--

यह तो ब्लाक के अन्दर रही । इसमें २ से २६ तक जहां-जहां काम हुआ और यह जीप गयी, उसका वर्णन है । इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कहां-कहां किस-किस काम से गयी । यदि आप चाहें तो देख लें ।

जगतपुर क्षेत्र में कालरा

*८--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्षेत्र जगतपुर, जिला रायबरेली के अन्तर्गत चालू वर्ष में कालरा से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने व्यक्ति कालरा से बचाये गये तथा जगतपुर क्षेत्र का रहने वाला एक मलेरिया इंस्पेक्टर अवकाश पर था और अपने ही घर पर उसको कालरा हो गया, जिसे तुरन्त जगतपुर, जिला रायबरेली के अस्पताल ले जाया गया, परन्तु डाक्टर ने उसे भर्ती नहीं किया और न चिकित्सा ही की, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई और मृत्यु का समाचार सुनकर उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली । क्या सरकार इस संबंध में जांच करा-कर सूचना सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करेगी ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बाऊदयाल खन्ना)--

क्षेत्र जगतपुर जिला रायबरेली में चालू वर्ष में किसी भी व्यक्ति के कालरा होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई तथा किसी भी मलेरिया इंस्पेक्टर की मृत्यु नहीं हुई ।

*९-१०--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

विकास खण्ड जहांगीराबाद में ग्राम सभाएं

*११--श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खंड जहांगीराबाद (जिला बुलन्दशहर) में नए संगठन से पहले कितनी ग्राम सभायें थीं और नये संगठन के फलस्वरूप इसमें कितनी ग्राम सभाओं को और शामिल किया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय--

विकास क्षेत्र जहांगीराबाद में नए संगठन से पूर्व २९ गांव सभायें थीं और नए संगठन के फलस्वरूप इसमें ३९ गांव सभाओं को शामिल किया गया ।

*१२--श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या विकास खंड जहांगीराबाद के नये संगठन के बाद भी विकास खंड में क्षेत्रीय समिति की वही उप-समितियां कार्य कर रही हैं जो कि नये संगठन से पहले बनी थीं, जबकि उस समय विकास खंड में बहुत थोड़ी-सी ग्राम सभायें थीं ? यदि ऐसा है, तो क्यों और क्या सरकार बतायेगी कि उन नई ग्राम सभाओं के हितों की रक्षा किस प्रकार होगी जो कि बहुत बड़ी संख्या में नये संगठन के अनुसार विकास खंड में शामिल की गई हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जी हां । उप समितियों को इस स्थिति में समाप्त करने का कोई प्राविधान नहीं है उप-समितियों का कार्य काल एक वर्ष होता है । उसके उपरान्त उप-समितियों का पुनः संगठन किया जाता है । इस प्रकार से नवीन गांव सभाओं के हितों की रक्षा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१३---श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खंड जहांगीराबाद में नये संगठन के पश्चात् भी वही अनुमेलित (co-opted) सदस्य क्षेत्र समिति के हैं जो नये संगठन से पहले थे ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जी हां । उक्त क्षेत्र समिति में अनुमेलित सदस्य पहले से मौजूद हैं अतएव पुनः अनुमेलित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहांगीराबाद (जिला बुलन्दशहर) विकास खंड में नये संगठन से पहले जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया, केवल २९ ग्राम सभायें थीं । ३९ बाद में शामिल की गयीं। जिस समय समिति का संगठन हो रहा था उस समय २९ ग्राम सभायें थीं और उन्हीं में से मेम्बर्स को कोआप्ट किया गया है। तो जो ३९ ग्राम सभायें आयी हैं उनका किस प्रकार से मेम्बर्स के द्वारा उसमें रिप्रजेन्टेशन हो रहा है और क्यों उसकी आवश्यकता नहीं है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत अगर माननीय सदस्य देखें तो पायेंगे कि जब क्षेत्र समिति कहीं बनती है तो उस समय जो सदस्य मौजूद रहते हैं वे ५ साल के लिये कोआप्ट करते हैं और उस समय जो कमेटी बनती है उनके मेम्बर बनाते हैं ।

चूंकि कोआप्शन पूरे टर्म के लिये होता है और ऐसा प्राविधान नहीं है कि कोई खंड किसी गांव से निकाल दें या जोड़ दें जिससे प्रमुख उपप्रमुख या कोआप्टेड सदस्य पर प्रभाव पड़े। समितियों का चुनाव जब होगा तो पहले २९ सदस्य भाग लेते थे, अब २९ तथा ३९ नये सदस्य मिल कर भाग लेंगे ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

इन्हीं ३९ ग्राम सभाओं में से कोआप्टेड मेम्बर ऊंचा गांव विकास खंड में थे और इन ग्राम सभाओं के जहांगीराबाद विकास खंड में मिल जाने के बाद वे न ऊंचा गांव विकास खंड के सदस्य रहे और न जहांगीराबाद विकास खंड के सदस्य रहे जब कि वे भी ५ साल के लिये हुए थे, यह कहां तक उचित है इसे माननीय मंत्री बतलायेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जैसा माननीय सदस्य ने बतलाया, यह बात सही है। ऐसा सदस्य जिसका स्थान कोआप्टेड मेम्बर्स का है और जिन समितियों ने उनको कोआप्ट किया था वे दूसरे विकास खंड में चली गयीं तो उनका स्थान रिक्त होगा और उनके स्थान के लिये नियमानुसार चुनाव होगा ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

५ साल कोआप्टेड मेम्बर्स का कार्यकाल होता है और ५ साल के बाद फिर चुनाव होता है लेकिन यह बात देखते हुए कि विकास खंड की सीमा में परिवर्तन हो जाय और कोआप्टेड मेम्बर्स उसमें न लिये जा सकें तो क्या माननीय मंत्री यह वाजिब समझते हैं कि ब्लाक की सीमाओं में परिवर्तन उसी समय किया जाय जब क्षेत्रीय सीमा का गठन हो, दर्मियान में न किया जाय ताकि ऐसी गड़बड़ी न हो ?

श्री राममूर्ति--

आमतौर से ऐसा कभी होता नहीं । असाधारण परिस्थिति में इस ब्लाक खंड की सीमा में परिवर्तन किया गया है जिससे यह दिक्कत आ गयी है । लेकिन यह आश्वासन दे दिया गया है कि कोआप्टेड मेम्बर्स का फिर चुनाव करा दिया जायगा और वह २९ तथा ३९ को मिला कर होगा ।

श्री मैनेजरसिंह--

३९ गांव सभायें ऊंचागांव विकास खंड से निकाल कर सहारनपुर में मिलाई गयीं और ३९ गांव सभाओं के कोआप्टेड सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी गयी और उनका कोई प्रतिनिधित्व जहांगीराबाद विकास खंड में नहीं है । तो जैसा मूल उत्तर में बतलाया गया है कि जब विकास खंड की रचना होती है उसी समय कोआप्शन भी होता है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो पुनर्रचना हुई है इसके कारण दोनों विकास खंडों में फिर से कोआप्शन कराया जायगा और समितियों का निर्माण कराया जायगा ?

श्री बंशीधर पांडेय--

यह बात सत्य है लेकिन अधिनियम में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है । अगर ऐसा होता तो सरकार पीछे नहीं हटती ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या नियमों में इस बात का प्राविधान माननीय मंत्री करेंगे कि यह जो २९ ग्राम सभाओं के मुकाबले में ३९ ग्राम सभाओं के हितों को नुकसान पहुंच रहा है वह उनको न पहुंचे । २९ ग्राम सभाओं के कोआप्टेड मेम्बर्स तथा प्रधान मिल कर ३९ ग्राम सभाओं के मुकाबले में ज्यादा हो गये हैं जिससे ३९ ग्राम सभाओं की हकतल्फी हो रही है जो बिलकुल उचित नहीं है, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि ऐसा न हो सके ?

श्री राममूर्ति--

यह केवल दिमागी परेशानी है । यह २९ और ३९ थोड़े दिनों में मिल कर काम करने लगेंगे और कोई परेशानी नहीं रहेगी । अभी हाल की चीज है, इसलिये खवाहमख्वाह दिमागी परेशानी हो रही है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मान्यवर, परेशानी नहीं है बल्कि सख्त नुकसान पहुंच रहा है विकास खंड को और मैं कहना चाहूंगा कि इसके हेड क्वार्टर को बदल दिया जाय ।

*१४--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र को "गिरिजा किशोर रिवार्ड"

*१५--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९-६० में "गिरजा किशोर रिवार्ड" किस-किसको प्रदेश में मिला तथा कुल कितनी रकम का ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

सन् १९५९-६० में "गिरजा किशोर रिवार्ड" प्रदेश में केवल एक ही आबकारी निरीक्षक श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र को प्रदान किया गया था । यह रिवार्ड, नकद रुपयों में दिया जाता है परन्तु रकम अभी तक निश्चित नहीं हो सकी है ।

*१६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या आबकारी मंत्री जांच करा कर यह भी बतलायेंगे कि वह रिवार्ड उन अधिकारियों को रुपये के रूप में मिल गया या अभी देना बाकी है ? यदि बाकी है, तो क्यों ? यह रिवार्ड किस सिलसिले में उपरोक्त अधिकारियों को प्राप्त हुआ था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

रिवार्ड की रकम अभी तक श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र को भुगतान नहीं हुई है । कारण यह है कि यह रिवार्ड इस मद में जमा १,००० रुपये की रकम का सूद होता है । निर्दिष्ट वर्ष से संबंधित ब्याज की रकम अभी तक रिजर्व बैंक आफ इंडिया से प्राप्त नहीं हो सकी है जिससे रिवार्ड पाने वाले को उसका भुगतान नहीं हो सका है ।

यह रिवार्ड उस इक्साइज इंस्पेक्टर को दिया जाता है जो वर्ष में किसी भी अभियोग में विशेषत: अच्छा कार्य करता है । श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र ने एक अभियोग सरकार बनाम फजलुल हक में विशेषत: अच्छा कार्य किया था और इसीलिये उनको यह रिवार्ड प्रदान किया गया ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, ५९–६० से आज १९६४ हो रहा है और एक्साइज विभाग का रिवाज होता है कि किसी जुर्म के पकड़ने के लिये "गिरजाशंकर रिवार्ड" होता है और वह तुरंत दिया जाता है जिससे लोगों को हिम्मत बढ़ सके । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अभी तक वह रिवार्ड न दिये जाने का क्या कारण है और वह कब तक दे दिया जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह तो मैंने निवेदन कर दिया है नहीं मिल सका और मुझे खेद है कि इसमें विलम्ब हुआ और जल्दी दिलाने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या मंत्री जी एक्साइज विभाग के अधिकारियों का हौसला बढ़ाने के लिये माननीय नरसिंहनारायण जी का सहयोग लेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

*१७—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

[माननीय सदस्य सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

रेवतीपुर ग्राम को बाढ़ से सुरक्षा

*१८—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गाजीपुर जिले में रेवतीपुर ग्राम की बाढ़ की सुरक्षा के लिये सरकार ने गांव के चारों ओर एक बन्धा व सड़क बनाने की योजना जिले के इन्जीनियरों से प्राप्त किया था ? यदि हां, तो वह कब बनेगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां, यह कार्य-क्रम आयोजना आयोग भारत सरकार को १४६ ब्लाकों के कार्यक्रम के साथ ग्रामीण जन-शक्ति उपयोग योजना के चतुर्थ चरण में स्वीकृति के लिये प्रस्तावित किया गया था परन्तु चूंकि भारत सरकार ने उपर्युक्त योजना के चतुर्थ चरण के केवल ३५ ब्लाक

लेने के लिये निर्धारित किये हैं अतः तथा कथित बन्धा सड़क को इस योजना के चतुर्थ चरण में नहीं लिया जा सका। इस कार्य-क्रम को अगले चरण में शामिल करने के संबंध में विचार किया जायेगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मंत्री जी को स्मरण है कि आज से दो वर्ष पहले जब वे सिंचाई मंत्री की हैसियत से गाजीपुर जिले के रेवतीपुर गांव में गये थे और उस गांव की सब से बड़ी जन-संख्या थी और बाढ़ के कारण १८ हजार आदमियों को बाहर निकलने का रास्ता न पाने पर उन्होंने इसके चारों तरफ एक बन्धा बनाने का सिंचाई विभाग को आदेश दिया था ? तो क्यों इस योजना को मैन पावर यूटिलाइजेशन स्कीम में फेंक कर सड़ा दिया गया ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष जी, मुझे प्रश्नकर्त्ता और जिस गांव पर बन्धा बनने की बात है सब से बड़ी हमदर्दी है। लेकिन दिक्कत यह होती है कि विभाग में बहुत-सी ऐसी बातें होती हैं कि रुपये के बांटने की बात किया करते हैं। यह रुपया हमें बहुत आसानी से मिलता है। इसलिये इसको इस स्कीम में बदल दिया गया है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस गांव में जरूर बन्धा बनाया जाय। थोड़ी बहुत देर हो जाय यह बात दूसरी है।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी और विकास मंत्री जी मुझसे यह सूचना ग्रहण करने पर इस बात की जांच करेंगे कि पिछले १० वर्षों में गाजीपुर के निर्माण के संबंध में जितनी फाइलें बनीं और रेवतीपुर ग्राम की फाइलों के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं आदेश दिया था तो यह समस्त फाइलें केन्द्रीय सरकार की योजना में क्यों फेंक दी गईं, क्या प्रदेशीय सरकार इसका जिम्मा नहीं लेगी ?

श्री राममूर्ति—

इतनी फाइलें हैं कि अगर उनमें से कोई सरक जाए तो उसमें कोई ताज्जुब की बात क्या है।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा इस वर्ष जितने विकास खण्ड लेने की बात हुई उतने नहीं लेंगे केवल ३५ विकास खण्डों को इस योजना के अन्तर्गत इस प्रदेश में लेंगे। माननीय मंत्री जी क्या इस बात को देखते हुए कि आपने जिन ३५ विकास खण्डों का चुनाव किया है, उसी आधार पर किया है कि जहां पर कोई विशेष स्कीम जैसे पाइलेट प्रोजेक्ट स्कीम वगैरह नहीं है और जिन जिलों में कोई स्कीम है उसको छोड़ दिया गया है ? इसके अतिरिक्त और बहुत से कारण हो सकते हैं जिनको आपकी टेक्निकल कमेटी ने बतलाये हों। तो क्या इसको देखते हुए आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जो कार्य इन ब्लाकों को न लेने की वजह से रुका हुआ है, उनको आप डेवलपमेंन्ट फण्ड से पूरा कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जैसा मैंने इसमें निवेदन किया यह पूर्वी जिलों की योजना है। यह खासकर पूर्वी जिलों की ही योजना है। अब जो जिले बाकी बचे हैं, उनको हम आगे चलकर योजना के चतुर्थ या पंचम चरण में पूरा करने की कोशिश करेंगे।

[२६ अगस्त, १९६४ के लिए निधारित तारांकित प्रश्न]

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में नर्सेज होम

*१—श्री भीखालाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ से संबंधित नर्सेज होस्टल में नर्सेज के अलावा कुछ अन्य व्यक्ति जिन्हें नियम के अनुसार उसमें रहने

नोटः—तारांकित प्रश्न १८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

का अधिकार नहीं है, रह रहे हैं जिससे नर्सों को काफी असुविधा है और बहुत-सी नर्सों को रहने के लिये जगह भी नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं। नर्सेज होम में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रह रहा है। न जगह की कमी है और न किसी नर्स को असुविधा ही हो रही है। नर्सेज होम में पंद्रह व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है जिसमें से दस स्थान आज भी रिक्त हैं।

*२—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

[६ठवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

हिन्दुस्तान अल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड, रेनुकूट, मिर्जापुर में हड़ताल

*३—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अल्युमिनियम फैक्टरी रिहन्ड, जिला मिर्जापुर में २२ जून, ६४ से आम हड़ताल हो गई है और काफी लोग, जिनमें सरला भदौरिया एम० पी० भी हैं, गिरफ्तार कर लिये गये हैं ? यदि हां, तो हड़ताल किन मांगों को लेकर हो रही है और गिरफ्तार करने का कारण क्या है ? क्या सरकार मांगों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जी हां। हिंदुस्तान अल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेल, रेनुकूट, मिर्जापुर में २२, जून, १९६४ से हड़ताल हुई थी जो ३ जुलाई, १९६४ को समाप्त हो गई। कुछ व्यक्ति धारा १४४ जाब्ता फौजदारी का उल्लंघन करने के कारण गिरफ्तार हुये थे। मांगों की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७२५ पर)

*४—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[हटा दिया गया।]

*५—श्री गिरजा प्रसाद (जिला गोंडा)—

[६ठवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६-७—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

[६ठवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

बरेली निवासी सेवाराम की पत्नी रामकली को पेन्शन

*८—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जो वृद्धावस्था की पेंशन लेबर कमिश्नर के पत्र संख्या ४६०९ O. A. P, I. Kanpur, dated 30—10—63 द्वारा रामकली, धर्मपत्नी सेवाराम, निवासी बरेली को स्वीकृत की गई थी वह अक्तूबर व नवम्बर, १९६३ की ही देकर बन्द कर दी गई ? यदि हां, तो जीवन पर्यन्त पेंशन स्वीकृत करके कवल २ मास के बाद बन्द देने के कारण क्या हैं ?

श्री बनारसीदास--

इनकी पेंशन बन्द नहीं की गई है।

*९-१०--श्री भीखालाल--

[५वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ८-९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*११-१२--श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

सल्टौआ गोपालपुर ब्लाक में फर्जी ऋण

*१३--श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)--

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सल्टौआ गोपालपुर ब्लाक, जिला बस्ती में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कुछ ऐसे व्यक्तियों को सन् १९६२ में ४,००० रुपये का ऋण दिया गया था जो कि फर्जी है ? यदि हां, तो सरकार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है और वह कब तक पूरी होगी ?

श्री राममूर्ति--

सल्टौवा गोपालपुर विकास क्षेत्र (बस्ती) में वर्ष ६१-६२ में ५ ऐसे व्यक्तियों के नाम ४,००० रु० का ऋण दिया गया था जो फर्जी हैं। मामले की रिपोर्ट पुलिस को कर दी गई है। संबंधित ग्राम सेवक निलम्बित कर दिये गये हैं। उनके विरुद्ध पुलिस की जांच की अतिरिक्त वैभागिक कार्यवाही भी चल रही है। जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

श्री देवेन्द्रनाथ श्रीवास्तव, विकास अधिकारी, अहरौला के विरुद्ध जांच

*१४--श्री रणबहादुरसिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि ब्लाक बहादुरपुर के बी० डी० ओ०, श्री देवेन्द्रनाथ श्रीवास्तव सुरक्षा कोष के धन के गबन में निलम्बित कर दिये गये थे। यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति--

श्री देवेन्द्रनाथ श्रीवास्तव, क्षेत्र विकास अधिकारी, अहरौला (आजमगढ़) भूतपूर्व क्षेत्रीय विकास अधिकारी, बहादुरपुर, जिला बस्ती को सुरक्षा कोष के गबन तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं के कारण निलम्बित करने के आदेश प्रसारित किये गये थे परन्तु बाद को उक्त मामले की जांच पुलिस को सौंप दी गई और क्षेत्रीय विकास अधिकारी के निलम्बित आदेश निरस्त कर दिये गये। उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही भी की जा रही है।

शराब बन्दी संबंधी टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट पर विचार

*१५--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार शराब बन्दी के संबंध में टेकचन्द रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्य नगरों के मुख्य मार्गों पर जो बड़े-बड़े भिन्न-भिन्न शराबों के एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड्स (Boards) लगे हुये हैं उनको शीघ्र से शीघ्र हटवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

शराब बन्दी के संबंध में टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है। अतएव इस विषय में अभी कुछ कहना संभव नहीं है।

पी० एम० एस० प्रथम व द्वितीय का एकीकरण

*१६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे P. M. S. I कि और P. M. S. II के एकीकरण का सवाल जो सरकार के विचाराधीन था उसके संबंध में क्या प्रगति है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह तय कर लिया गया है कि P, M. S. I व P. M. S. II का एकीकरण कर दिया जावे। मामला लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को भेजा जा रहा है। उनकी संस्तुति प्राप्त होने पर आवश्यक आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

*१७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल सन् १९६४ के बाद कितने डाक्टरों के प्रोमोशन उपरोक्त घोषणा के अन्तर्गत किये गये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कोई नहीं।

*१८-१९—श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—

[४थे शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या ४५-४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किए गए।]

अस्थायी एपीडेमिक असिस्टेन्ट्स

*२०—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि एपीडेमिक असिस्टेन्ट्स का डिजिग्नेशन बदलने का जो मसला सरकार के विचाराधीन है उसमें क्या निर्णय लिया गया ? क्या इसमें कोई बजट सम्बन्धी अड़चन है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है जब कि इन्हीं की योग्यता के वैद्य, हकीमों का डिजिग्नेशन सन् १९५९ में ही बदला जा चुका है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

एपीडेमिक असिस्टेन्ट्स एसोसिएशन की मांग कि उनका डिजिग्नेशन बदल कर "असिस्टेंट हेल्थ आफिसर ऐन्टी ऐपीडेमिक आपरेशन" कर दिया जाय उसको सरकार ने अस्वीकार कर दिया है उन्हें कोई और उपयुक्त डिजिग्नेशन देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इसमें बजट सम्बन्धी कोई अड़चन नहीं है।

*२१—श्री राममूर्ति 'अंचल'—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने एपीडेमिक असिस्टेंट अनेक वर्षों की सेवा के बाद भी अब तक टेम्पोरेरी हैं ? इन लोगों के कन्फर्मेशन के बारे में क्या निर्णय लिया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस समय ४३ एपीडेमिक असिस्टेंट अस्थायी है, इनके कन्फर्मेशन का मामला सरकार के विचाराधीन है।

*२२—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

[६ठे बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

*२३—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

[६ठे बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

*२४—श्री रघुनाथसिंह—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

ग्राम सभा, जुरई दलपतपुर के प्रधान के विरुद्ध शिकायत

*२५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम सभा जुरई दलपतपुर, तहसील व जिला बरेली के प्रधान श्री बाबूराम ने लावारिस, मृत श्री चुन्नी लाल कृषक की सम्पत्ति का निम्न प्रकार गबन व दुरुपयोग किया :

(अ) मृतक की मीरगंज डाकखाना की पास-बुक संख्या १४४८०२ का सारा रुपया स्वयं निकाल कर ग्राम समाज में जमा नहीं किया ?

(ब) मृतक का घर, बैल व गन्ना तथा अन्य अनाज, जो पांच हजार रुपए से भी अधिक के थे, खुद बेच लिए और रुपया ग्राम समाज में जमा नहीं किया ?

(स) मृतक का घोड़ा अपने कब्जे में कर लिया ?

(द) मृतक की जमीन अपने भान्जों राम भरोसे व चन्द्रसेन के नाम करा दी और स्वयं उससे फायदा उठा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

(अ) प्रश्न नहीं उठता।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

(स) प्रश्न नहीं उठता।

(द) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रेजरी कर्मचारियों के वेतन नियम

*२६—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्रेजरी के कर्मचारियों के नए वेतन के बारे में नियम बनाए गए हैं ? यदि हां, तो वे कब तक लागू किए जायेंगे और यदि नहीं बने तो कब तक बनेंगे ?

वित्त उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—

ट्रेजरी के कर्मचारियों के नए वेतन के बारे में कोई नियम नहीं बनाए गए हैं और न कोई नया वेतन-क्रम ही लागू किया गया है। इस सम्बन्ध में नियम बनाने का कोई प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*२७—श्री बंशीलाल—

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, आगरा, लखनऊ के खजाने में स्केल ६०-४-८०--१२० रु० में कुल कितनी स्थायी जगहें हैं और कितने इस स्केल में स्थायी कर्मचारी कार्य कर रह ?

श्री जयराम वर्मा—

ट्रेजरी	६०—१२० रु० के वेतन-क्रम के स्थायी पद	स्थायी कर्मचारियों की संख्या जो उक्त वेतन-क्रम में कार्य कर रहे हैं
१	२	३
इलाहाबाद	१२	१२
वाराणसी	५—२ (दो पद अभी स्थायी हुए हैं)	५
कानपुर	९	९
आगरा	०	०
लखनऊ	१६	१६ इनमें ७ कर्मचारी उच्च वेतन-क्रम में स्थानापन्न कार्य कर रहे हैं)

*२८—३०—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

[६ठे बुधवार के लिए स्थगित किए गए।]

*३१—३२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[६ठे बुधवार के लिए स्थगित किए गए।]

*३३—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

खण्ड विकास अधिकारियों की सेवायें

*३४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि प्रदेश में लगभग एक सौ खण्ड विकास अधिकारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं? क्या यह बात सही है कि इन लोगों को हटाने का आदेश केन्द्रीय सरकार के निदेश पर हुआ है? यदि हां, तो इन लोगों को हटाने के क्या-क्या कारण हैं?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है।

*३५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनमें कितने व्यक्ति लोक सेवा आयोग से कन्फर्म थे, कितने अस्थायी थे और कितने स्थायी कर्मचारी हैं?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न ही नहीं उठता है।

*३६—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

*३७–३९—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

*४०–४१—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिए गए।]

*४२–४४—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किए गए।]

*४५—श्री गिरजाप्रसाद—

[६ठे बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

२—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

[४थे गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

३—५—श्री भीखालाल—

[हटा दिए गए।]

६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[६ठे बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

बस्ती जिले में नियोजन कार्यों के लिये सीमेन्ट

८—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत दो वर्षों में प्लानिंग के लिए कुल कितनी सीमेंट बस्ती जिले में मिली और उस सीमेंट से किन-किन चीजों का निर्माण हुआ और कहां-कहां ?

श्री राममूर्ति—

इस जिले में प्लानिंग के लिए गत दो वर्षों में ६७,८३१ बोरी सीमेंट मिली जिसका प्रयोग सभी विकास क्षेत्रों में सिंचाई कूप, खाद के गड्ढे, पाठशाला तथा पंचायत भवन, पुलिया, चरनी पेय जल कूप आदि के निर्माण में हुआ। विस्तृत निर्माण कार्यों की सूची बहुत लम्बी है जो कि मेहंदावल व सोंथा विकास खण्डों को छोड़कर ११७ पृष्ठों में है जिसके छपवाने में काफी समय तथा मेहनत लग जाने की सम्भावना है। अतः सदस्य महोदय कृपया यह सूची मेरे यहां देखने का कष्ट करें।

पिंडरा जच्चा-बच्चा केन्द्र

९—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ब्लाक पिंडरा, वाराणसी के जच्चा-बच्चा केन्द्र पिंडरा में जच्चा के लिए केसटेबुल आज तक नहीं दी गई और जिला परिषद् वाराणसी द्वारा हेल्थ अफसर वाराणसी से जो दवा मिलती थी वह १९६१–६२, १९६२–६३, १९६३–६४ की नहीं मिली है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? क्या सरकार इस केन्द्र में सारे सामान देने की व्यवस्था करने जा रही है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

पिंडरा जच्चा-बच्चा केन्द्र जिला परिषद् वाराणसी द्वारा संचालित है और उसके ही कोष से इस केन्द्र का समस्त व्यय भार वहन होता है। पिछले ३ वर्षों में इस केन्द्र के लिए औषधियां क्रय करने हेतु जिला परिषद् धन की व्यवस्था न कर सका। इस कारण इस केन्द्र में औषधियां उपलब्ध नहीं हो सकीं। अब आवश्यक दवा इत्यादि खरीद ली गई हैं और इस केन्द्र पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। अभी तक इस केन्द्र की ओर से कोई मांग केस टेबुल के लिए नहीं थी अतः उसे उपलब्ध करने का प्रश्न नहीं उठा। अब जांच की जा रही है यदि आवश्यकता प्रतीत हुई तो केस टेबुल का भी प्रबन्ध किया जायेगा।

१०—श्री रामसुन्दरपांडेय—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

गोरखपुर जिले में गांव ऊंचे करने का काम

११—श्री कल्पनार्थासिंह—

क्या विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर के किस-किस विकास खण्ड में जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत कितने-कितने गांव ऊंचे करने की और उनमें से कितने गांव १९६४ के ३१ मार्च तक काम पूरे करके बन्द कर दिए गए और उनके नाम क्या हैं ?

श्री राममूर्ति—

गोरखपुर जिले के विभिन्न ब्लाकों में जितने ग्राम जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत ऊंचे करने थे उनकी संख्या निम्नांकित है :

क्रम-संख्या	नाम ब्लाक	ग्रामों की संख्या जो ऊंचे करने थे
१—ब्रह्मपुर	.. ..	५६
२—खाराबार	.. ..	१४
३—सिसवा	.. ..	२१
४—धुघली		१४
५—पिपरोली	.. ..	३६
६—चरगांव	.. ..	१२
७—जंगल कोड़िया	.. ..	४०
८—लक्ष्मीपुर	.. ..	२०
९—धानी	.. ..	४१
१०—बड़हलगंज	.. ..	४०
११—कोडीराम	.. ..	४२
१२—गगहा	.. ..	४५
१३—बेडघाट	.. ..	३५
	योग ..	४१६

काम किसी ग्राम पर ३१-३-६४ तक पूर्ण नहीं हुआ है अस्तु ग्रामों का नाम देने का प्रश्न नहीं उठता है।

१२--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इन उपरोक्त गांवों में कुल कितना रुपया लगने वाला था और उस में से कितना-कितना रुपया किस-किस गांव में लगा और क्या विकास मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि विकास क्षेत्र बड़हलगंज गगहा के किस-किस गांव में साल भर में काम पूरा न हो सका और इसका क्या कारण था ?

श्री राममूर्ति--

४१६ ग्रामों को ऊंचा करने की अनुमानित लागत ९९,००,८०० रुपया लगायी गयी है। ३१-३-६४ तक ५,८७,७४१ रुपया व्यय हुआ है और ११९ ग्रामों पर काम प्रारम्भ किया गया। प्रत्येक ग्राम पर हुये खर्चे का विवरण परिशिष्ट (ज) में दिया हुआ है। बड़हलगंज क्षेत्र के ८ ग्रामों तथा गगहा क्षेत्र के २ ग्रामों में काम प्रारम्भ किया गया था, लेकिन काम किसी भी ग्राम में पूर्ण नहीं हुआ। उक्त ब्लाकों के ग्रामों की सूची परिशिष्ट (ब) पर देखें। इन सभी ग्रामों में काम आरम्भ कर दिया गया है तथा काम पूर्ण होने की दिशा में है। काम पूर्ण करने में कुछ समय लगना स्वाभाविक है।

(देखिय नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७२६-७३० पर)

श्री झिलमिटराम की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

"माननीय श्री झिलमिट राम, सदस्य विधान सभा आज दोपहर जिला पूर्ति कार्यालय पर धारा १५१/१०७ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत गिरफ्तार होकर जिला जेल भेजे गये। परिपत्र पर सूचना अलग से भेजी जायेगी।"

प्रश्नों के संबंध में आपत्ति

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने ८-८-६४ और ९-८-६४ को प्रश्न दिये और १०-८-६४ को भी प्रश्न दिये तथा और भी काफी बार दे चुका हूं लेकिन स्वीकृति की सूचना नहीं मिली और न उसका कोई उत्तर ही मिला है।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप आने का कष्ट करें, तो पत्रावली देखकर बता सकूंगा।

श्री बांकेलाल--

मैं आप के कहने के मुताबिक आप के यहां गया था, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए मैं दुबारा कैसे उम्मीद रखूं कि वह हो जायेगा ?

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दिनों से प्रश्न करता आया हूं। ३ बार मैंने लिखकर भी दिया, आपसे मिला भी, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मुझे अफसोस है, पता नहीं कैसे इस विभाग का कार्य चलता है। मुझे कोई समुचित उत्तर नहीं मिला। आप जिस तरीके से बतलायें, मैं लिखकर देने को भी तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा कर के आ जायं, मैं देख लूंगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

आज माननीय नेकराम शर्मा और चन्द्रजीत यादव दोनों नहीं हैं, लेकिन मैं उन के द्वारा अभिसूचित नियम ५२ की सूचना को उचित कार्यवाही हेतु मन्त्री जी के पास भेजे देता हूं।

कतिपय विषय

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी जब बोल चुकी थीं तो उस समय कुछ सदस्यों ने मेजें थपथपायीं। मैं पीछे की मेज पर बैठा था तो मैं ने भी मेज थपथपायी थी। माननीय नेक राम शर्मा ने मेरी ओर घूर कर देखा और मुझे "नानसेंस" कह कर डांटा, तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने कौन सी गलती कर दी, जिससे उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

मैं माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा समस्त कांग्रेसी भाइयों से कहना चाहती हूं कि आज से कोई विरोधी सदस्य चाहे उनका कितना ही अपमान करे, किन्तु वह उसे सम्मान समझकर उस पर ध्यान नहीं देंगे, और आप बैठ जाइये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दो व्यवस्था के प्रश्न दिये हैं।

श्री अध्यक्ष---

कब दिये हैं?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

आज जब आप आये हैं, तभी दिये हैं।

श्री अध्यक्ष---

तो मैं देखूंगा।

उत्तर प्रदेश की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा

श्री अध्यक्ष---

अब उत्तर प्रदेश की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा होगी।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा आरम्भ करता हूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

मान्यवर, यह प्रतिवेदन तो प्राप्त नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष:--

यह १९ फरवरी, १९६४ को बंट गया है।

श्री माताप्रसाद--

मान्यवर, यह समिति १९५९ में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मा० राधाकृष्ण जी की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी थी और उस ने अपना प्रतिवेदन २४ अगस्त, १९६० को तैयार किया और सरकार को यह प्रतिवेदन सितम्बर, १९६१ में प्राप्त हुआ। इस समिति ने बड़े ही परिश्रम से बहुत तथ्य इकट्ठे किये और इस के लिए मैं समिति के माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं।

सरकार की ओर से सन् १९५० में १० प्रतिशत रिजर्वेशन (संरक्षण) दिया गया था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के कर्णधारों ने यह सोचा कि हमारे देश का उत्थान तभी हो सकता है जब इस देश के सब से पिछड़े, दबे हुये और सताये हुये वर्ग को विशेष रियायतें दी जायं। इसी आधार पर भारतीय संविधान में कुछ विशेष संरक्षण दिये गये थे अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए। जब सरकार ने सन् १९५३ में यह देखा कि सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की आबादी इस प्रदेश में १८ प्रतिशत है, तब उस ने हरिजनों का संरक्षण १० प्रतिशत से बढ़ाकर १८ प्रतिशत कर दिया। सरकार ने जो कुछ किया उस के लिए वह बधाई की पात्र है। किन्तु मान्यवर मुझे बहुत दुख है कि सरकार जो चाहती थी वह पूरा नहीं हुआ।

समिति की करीब ५१ सिफारिशें हैं। उन में से २० को सरकार ने, मान लिया है, ८ को अस्वीकृत कर दिया है और १५ अन्य सिफारिशों पर सरकार कार्यवाही कर रही है। ८ ऐसी सिफारिशें हैं जिन पर शीघ्र ही निर्णय होने जा रहा है। मान्यवर, एक तरफ तो हमारे देश में सब जगह यह प्रचार है कि प्रत्येक नौकरी में हरिजनों को संरक्षण दिया गया है और यह भावना आम लोगों में है कि सभी स्थान हरिजनों को दिये जाते हैं, लेकिन वास्तव में प्रचार ज्यादा है। हरिजनों को जो संरक्षण प्राप्त है उस के अनुसार भी स्थान नहीं मिल पाता है और उस की वजह से हरिजनों में बहुत असन्तोष, विशेषकर विद्यार्थियों में और नवजवानों में व्याप्त है। संरक्षण का पालन कहां तक हो रहा है इस के सम्बन्ध में कुछ विभागों के उदाहरण इस प्रतिवेदन में पेश करना चाहता हूं। मान्यवर, प्रथम श्रेणी की नौकरियों में ४७ से ५३ ईस्वी तक २८ नियुक्तियां हुयीं, लेकिन उनमें एक भी अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रखा गया है। द्वितीय श्रेणी में १९६३ नियुक्तियां हुयीं। उन में से ३१ व्यक्ति अनुसूचित जातियों के रखे गये और उनका प्रतिशत १.८६ था। तृतीय श्रेणी में मान्यवर, ५१,२७२ नियुक्तियां हुयीं और उन में १७५३ अनुसूचित जातियों के व्यक्ति रखे गये। ३.४२ प्रतिशत उन का रिजर्वेशन था। चौथी श्रेणी में २२,९९९ नियुक्तियां हुयीं, जिन में से १९८१ हरिजन रखे गये उन का १.२४ प्रतिशत रिजर्वेशन रहा। इसी तरह से मान्यवर, १९५३ से १९५९ के बीच जो नियुक्तियां हुयीं, उन में प्रथम श्रेणी में ११२ व्यक्ति रखे गये उन में कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं रखा गया। दूसरी श्रेणी में १६६२ व्यक्ति रखे गये जिन में ५० अनुसूचित जाति के व्यक्ति रखे गये। उनका ३ प्रतिशत रिजर्वेशन रहा। इसी प्रकार से ततीय श्रेणी में १,६७,७९५ व्यक्ति रखे गये जिनमें ३१६८ अनुसूचित जाति के व्यक्ति रखे गये, जिन का १.९ प्रतिशत रिजर्वेशन रहा। चौथी श्रेणी में ४१,७३५ व्यक्ति रखे गये जिन में ४२९७ व्यक्ति अनुसूचित जाति के रखे गये। इनका प्रतिशत १०.३ प्रतिशत रहा। मान्यवर, इस तरह से उन में से बहुत से निकाल भी दिये गये। प्रथम श्रेणी की बात तो जाने दीजिये दूसरी और तीसरी श्रेणी में कुछ ऐसे विभाग हैं जहां पर एक प्रतिशत भी हरिजन नहीं रखे गये।

इस प्रतिवेदन के पेज २९ को देखा जाय तो मालम होगा कि कि चिकित्सा विभाग में १९५३ से १९५९ तक ७७२ व्यक्ति रखे गये लेकिन उनमें केवल २ व्यक्ति

[श्री माताप्रसाद]
अनुसूचित जाति के रखे गये जिनका ०.२७ प्रतिशत रिजर्वेशन का रहा। इसी प्रकार से पुलिस विभाग में ३९ व्यक्ति रखे गये जिन में एक व्यक्ति भी हरिजन नहीं रखा गया। श्रम विभाग में २४ नियुक्तियां हुयीं जिन में एक भी व्यक्ति हरिजन नहीं रखा गया। इसी प्रकार से सामान्य प्रशासन विभाग, सूचना विभाग, समाज कल्याण विभाग, विद्युत विभाग, गोपन विभाग, शिक्षा विभाग, नियोजन विभागों में एक भी व्यक्ति हरिजन नहीं रखा गया। श्रीमन्, १९४७ से १९५३ तथा १९५३ से १९५९ के बीच जितनी नियुक्तियां हुयीं उनमें कुछ ऐसे विभाग हैं जिन में एक भी प्रतिशत हरिजन नहीं रखा गया।

इसी प्रकार से मान्यवर, पेज ३२ पर प्रधानाचार्य अधिकारी, प्रशिक्षण विद्यालय में कोई भी हरिजन नहीं रखा गया। सचिव, लोक सेवा आयोग, में कोई भी नहीं रखा गया है। निबन्धक, उच्च न्यायालय में १४६ नियुक्तियां की गयीं, १९४७ से १९५३ तक और १९२ नियुक्तियां की गयीं १९५३ से १९५९ के बीच, लेकिन उन में एक भी हरिजन नहीं रखा गया है। इसी प्रकार से निदेशक, गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी में, मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राज्यपाल के सचिव, भूतत्व तथा खनिकर्म विभाग, महाप्रशासक तथा न्यास-पाल, सचिव, सैनिक, नाविक तथा वैमानिक परिषद् में बिलकुल निल हैं। इसी प्रकार से विद्युत निरीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार में भी कोई हरिजन नहीं रखा गया है। कुछ ऐसे विभाग हैं जिन में एक भी हरिजन नहीं रखा गया और अगर रखे गये हैं तो १ से २ प्रतिशत के बीच रखे गये हैं। स्वास्थ्य सेवा निदेशक, श्रमायुक्त, निदेशक, आर्थिक अभिसूचना तथा संख्या विभाग, शिक्षा निदेशक, उद्योग निदेशक, उपनिदेशक, राजकीय कृषि क्षेत्र, नैनीताल, मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग मुख्यालय, मुख्य लेखा परीक्षा प्राधिकारी, पंचायत लेखा, निदेशक, नियोजन क्रिया एवं अनुशीलन संस्थान, कानपुर विद्युत वितरण प्रशासन; सचिव, विधान मण्डल; कृषि निदेशक ऐसे विभाग हैं जिन में १ और २ प्रतिशत के बीच नियुक्ति की गयी हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

इन विभागों ने नियुक्तियां नहीं कीं तो सरकार जिम्मेदार है और सरकार जवाब देगी लेकिन आप के विभाग ने अगर कोई नहीं रखा तो इसका जवाब कौन देगा?

श्री अध्यक्ष—

इसीलिये तो मैं हंस रहा था।

श्री माताप्रसाद—

मान्यवर, यह तृतीय श्रेणी की बात हुई। चतुर्थ श्रेणी, जिस में चपरासी आदि आते हैं, और जिन के लिए शिक्षा आदि की बहुत आवश्यकता नहीं होती, उस में भी ऐसे विभाग हैं कि जहां एक प्रतिशत भी हरिजन नहीं रखे गये। पंचायत निदेशालय है, महाप्रशासक व न्यायपाल है, मुख्य लेखा परीक्षक आदि के दफ्तरों में चपरासी तक हरिजन नहीं रखे गये। इस के माने यह हैं कि या तो परिगणित जाति के लोगों को अभी तक हमारी सरकार इस योग्य भी नहीं बना पायी है कि वे चपरासी भी हो सकें अथवा उस योग्यता के लोग होते हुये भी वह नौकरी में नहीं रखे जाते। मन्त्री भले ही हरिजन हो जाय, लेकिन वह चपरासी या क्लर्क नहीं हो सकता। कुछ लोगों में उन के लिए विरोधी भावना है और वे उन को नौकरियों में नहीं देखना चाहते। अभी १३ अगस्त को मत्स्य विभाग में यहां एक इन्टरव्यू था। एक शैड्यूल्ड कास्ट का लड़का जो इलाहाबाद युनिवर्सिटी का एम० एस० सी० सेकिंड डिवीजन था, आया था। इन्टरव्यू करने वालों ने उससे उसका नाम, जाति पूछी। जब उसने कहा कि मैं चमार हूं, तो उनमें से एक ने कहा कि तुम को तो जूता बनाना चाहिए, यहां क्यों आ गये? तो इस भावना के लोग शासन में उन लोगों को नहीं लाना चाहते। कुछ लोगों में छुआछूत की भावना होती है और उस के कारण भी वे लोग चतुर्थ श्रेणी में हरिजन तथा अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं रखना चाहते। अफसरों की स्त्रियां चाहती हैं कि चपरासी उन के घर का खाना बनावे, पानी भरे और इस लिए अफसर लोग हरिजनों को नौकरी में रखते नहीं।

सरकार की मंशा ठीक है और वह चाहती है कि हरिजनों को नौकरी मिले, लेकिन अफसरों के कारण वह अपने आदेशों का पालन नहीं करा पाती।

इस प्रतिवेदन की जिन आठ सिफारिशों को सरकार ने अस्वीकृत किया है उस में एक १५७ पैरा पर यह है कि "सरकार को अनुसूचित जाति के किसी उपयुक्त व्यक्ति को लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त करने की सम्भावना पर विचार करना चाहिए"। इस से अनुसूचित जाति के लोगों में बड़ा असन्तोष है, बड़ा रोष है। इसी सदन में गुप्त जी जब चीफ मिनिस्टर थे, तो हरिजन अनुदान पर भाषण देते समय उन्होंने कहा था कि हम किसी ऐसे हरिजन की तलाश कर रहे हैं कि जो योग्य हो और उसे हम लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त करने पर विचार करेंगे। इस सदन के परिगणित जाति के सभी सदस्यों ने मांग की थी कि हमारा एक सदस्य लोक सेवा आयोग में जरूर रखा जाय। ऐसे सदस्य के न रहने के कारण ही बहुत से योग्य व्यक्ति नौकरी नहीं पाते। रेलवे बोर्ड में जो सेलेक्शन करते हैं कर्मचारियों का उन में अनुसूचित जाति के लोग हैं। पोस्ट आफिस विभाग में हैं और उसका नतीजा यह है कि जितना प्रतिशत रेलवे में या दूसरे विभागों में है वह संख्या पूरी हो जाती है। उस की वजह यह है कि जो उन्होंने कमीशन बनाया है उस में अनुसूचित जाति के सदस्य को भी मान्यता है जो उन के हितों की रक्षा करते हैं। मैं जोरदार मांग करता हूं कि प्रदेशीय लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जाति का एक सदस्य जरूर रखा जाय। सरकार ने कमेटी नियुक्त की और उस की जो सिफारिश आयी, उस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए जबकि हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री गुप्ता जी ने आश्वासन दिया था कि हम अनुसूचित जाति के व्यक्ति को लोक सेवा आयोग में रखने का प्रयास करेंगे।

अब कुछ थोड़े से सुझाव मुझे देने हैं जिनका वर्णन इस रिपोर्ट में भी है, जिन के द्वारा अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व पूरा हो सकता है। एक तो लोक सेवा आयोग में एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो। दूसरे जिला स्तर पर जितनी नियुक्तियां होती हैं, उन के लिए एक कमेटी बना दी जाय और प्रतिवेदन में भी दिया हुआ है कि आरक्षण आदेशों के पालन के लिए जिला स्तर पर कोई समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। वह कलेक्टर की देख-रेख में जिले के सब विभागों में अनुसूचित जातियों की नियुक्ति में संरक्षण पर नियंत्रण रख सकेगी। दूसरी चीज, प्रदेश के स्तर पर एक कमेटी रहे जो हर जिले से यह आंकड़े मंगाती रहे कि कुल कितनी नियुक्तियां हुयीं और उन में कितने परिगणित जाति के व्यक्ति रखे गये....

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं १५ मिनट से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए।

श्री माताप्रसाद—

ठीक है, लेकिन मैं आरम्भ कर रहा हूं। मेरा एक सुझाव यह है कि जितने हेड्स आफ डिपार्टमेंट हैं उन से कह दिया जाय कि जो अधिकारी अपने यहां हरिजनों की संख्या को पूरी करेगा उस को तरक्की दी जायगी और प्रोमोशन दिया जायगा। अगर संख्या पूरी नहीं की जायगी, कम से कम तीसरी और चतुर्थ श्रेणी के मामले में, तो ऐसे अधिकारियों के कैरेक्टर रोल में एंट्री की जायगी। ये आदेश दे दिये जायं तो थोड़े ही दिनों में अनुसूचित जातियों की संख्या पूरी हो जायगी।

तीसरी बात यह है कि परीक्षा शुल्क और यात्रा के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को सहूलियत मिलनी चाहिए। पृष्ठ ६७, रिपोर्ट में इसका जिक्र है और मेरा निवेदन है कि इन सिफारिशों को अवश्य पूरा किया जाय—

"(१) अनुसूचित जाति के ऐसे अभ्यर्थियों से जो लोक-सेवा-अयोग द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं या चुनाव के लिए आवेदन-पत्र देते हैं, कोई आवेदन-शुल्क न लिया जाना चाहिए।

[श्री माताप्रसाद]

(२) परीक्षा शुल्क और साक्षात्कार-शुल्क के रूप में अन्य जाति के अभ्यर्थियों द्वारा जो शुल्क देय हो उसका केवल एक चौथाई शुल्क ही अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से लिया जाना चाहिए।

(३) अनुसूचित जाति के ऐसे अभ्यर्थियों को जो कहीं भी सेवा में न हों और जो लोक-सेवा-आयोग या विभागीय अधिकारिकी द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाये जायं, पसेंजर गाड़ी से तृतीय श्रेणी के रेल के किराये का यात्रिक भत्ता दिया जाना चाहिए।"

मान्यवर, अगर यह सुविधायें उनको मिल जायं, तो काफी संख्या में परिगणित जाति के लोग इन परीक्षाओं में बैठ सकते हैं और फिर यह बहाना सरकार को नहीं मिलेगा कि योग्य आदमी नहीं मिलते। क्या वजह है कि यह लोग प्रतियोगिता की परीक्षाओं में तो पास हो जाते हैं मगर पर्सनल इन्टरव्यू में उन को अयोग्य करार दे दिया जाता है। कह दिया जाता है कि उन की टाई ठीक नहीं है, उन की कमीज ठीक नहीं है, कोई न कोई बहाना बना कर के उन को निकाल दिया जाता है। इसलिए इस तरह से उन के साथ अन्याय होता है। मेरा सुझाव है कि इस ओर सख्ती से कदम उठाया जाय।

मान्यवर, पुलिस विभाग सब-इन्स्पेक्टरों और कांस्टेबिलों तक की पोस्ट्स पर उन को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इस रिपोर्ट के ११वें अध्याय को आप श्रीमन् देखें, उस में लिखा है कि तृतीय श्रेणी के पदों पर भी इनका प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा। ६१,८३६ जगह में से १,६८१ जगह अनुसूचित जाति के लिए हैं और उन में उन का प्रतिशत २.७० का ही है। इसी तरह कांस्टेबिलों की जगह पर भी यही हाल है। कभी कहते हैं चेस्ट कम है तो कभी कोई और बहाना निकाल देते हैं। यह सभी जानते हैं कि अनुसूचित जाति के लोग गरीब होते हैं, न अच्छी तरह खा सकते हैं न पहन सकते हैं और न ही उचित वातावरण में रह पाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि उनको कुछ रिआयत दी जाय। सभी विभागों में सख्ती से इस बात का पालन हो कि अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्वेशन है वह पूरा किया जाय।

कुछ गड़बड़ी अभी हाल ही में मेडिकल कालेज लखनऊ और कानपुर में भी हुई है। इस साल के प्रास्पेक्टस में अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के लिए ११ सीटें सुरक्षित थीं। इस साल उन सभी जगहों पर पिछड़ी जाति के लोगों को रख लिया गया, यह कह कर कि उन के नम्बर अनुसूचित जाति के लोगों से अधिक थे जब कि संविधान में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ही रिजर्वेशन की बात कही गयी है। उस में पिछड़ी जाति शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है।

मेरा यह भी सुझाव है कि जिस तरह से हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट बोर्ड में आप ने इन के लिए व्यवस्था की है वैसी ही व्यवस्था यूनिवर्सिटी में भी की जानी चाहिए। डिग्री सेक्शन में विद्यार्थियों को कुछ रियायत दी जानी चाहिए, भर्ती आदि के मामलों में।

स्थानीय निकायों में भी मान्यवर, इन के साथ बड़ी गड़बड़ी होती है। अनुसूचित जाति के लोग उस में रखे ही नहीं जाते। जब बड़े-बड़े अधिकारी उन के साथ यह व्यवहार करते हैं तो वहां की बात तो अलग ही है। वहां भी उन को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। सरकार का यह काम बहुत ही सराहनीय है कि वह अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देकर आगे बढ़ा रही है, यह बड़ा ही श्रेयस्कर कार्य है। इस रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि जो अनुसूचित जाति के लड़के पढ़ने में अच्छे हों, उन के स्कालरशिप का रेट औरों से कुछ ज्यादा कर देना चाहिए।

अन्त में, मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संरक्षण तो दिया गया है, लेकिन सरकार के अधिकारी जो हैं, विभागों के अध्यक्ष वगैरह वह अपने विभागों में इस को लागू नहीं करना

चाहते हैं और जब सरकार से कोई सूचना मांगी जाती है, हम प्रश्न करते हैं, तो वहां से कह दिया जाता है कि कोई सूटेबिल कैन्डीडेट नहीं मिला। यह एक आम बात हो गयी है यह कह देना कि कोई योग्य कैन्डीडेट नहीं मिला। योग्य अयोग्य करना उन के हाथ में है; जिस को चाहें योग्य कर दें, जिस को चाहें अयोग्य कर दें। तो मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस का सख्ती से कार्यान्वयन होना चाहिए और दूसरी मांग मैं यह करता हूं कि लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति मेम्बर जरूर होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

अब पन्द्रह मिनट का समय हर एक के लिए रहेगा।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---

पन्द्रह मिनट में तो अपनी बात भी नहीं कही जा सकती। चाहे चार को ही आप बुलवायें लेकिन उसे अपनी पूरी बात तो कहने दें।

श्री अध्यक्ष---

तो, हरीसिंह जी, आप लोग बैठकर निश्चय कर लीजिये कि चार आदमी कौन बोलेंगे।

श्री हरीसिंह---

इस पर दो तीन दिन बहस होनी चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां सदन में उपस्थित नहीं था। मेरी अनुपस्थिति में माननीय सुदामा प्रसाद गोस्वामी ने कुछ मेरे बारे में कहा है। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि या तो उसे पढ़कर सुना दें या मेरे पास जो उन्होंने कहा है उस को कापी भेजवा दें ताकि मैं उस के बारे में अपना स्पष्टीकरण दे सकूं।

श्री अध्यक्ष---

अब वह रिपोर्ट तैयार हो जाय तो देखा जायगा।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)---

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत दिन के बाद एक प्रतिवेदन आदरणीय सदन में प्रस्तुत हुआ। हम समझते हैं इसको बहुत पहले ही प्रस्तुत हो जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से हरिजनों के रिजर्वेशन के बारे में चर्चा हो रही है ठीक वही हालत इस प्रतिवेदन के बारे में भी है। इतने दिनों पहले यह रिपोर्ट तैयार हो गई थी। सरकार से कई बार निवेदन हुआ और इसके पीछे भी काफी आन्दोलन हुआ है तब सरकार को कुछ दयादृष्टि हुई है कि हरिजनों के बारे में जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा करा दी जाय ताकि एक रस्म अदायगी तो पूरी हो जाय। श्रीमन्, अभी एक माननीय सदस्य ने हरिजनों के सम्बन्ध में बहुत बड़ा विस्तारपूर्ण अपना भाषण दिया। इस तरह का १८ फीसदी या १० फीसदी का जो नियम बना हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह नियम उसी तरह कार्यान्वित हो रहा है जिस तरह अपने प्रदेश में शारदा ऐक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। शारदा ऐक्ट तोड़ने पर बड़ी सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। लेकिन, श्रीमन्, शारदा ऐक्ट आज कैसे तोड़ा जाता है? तोड़ने वाला बाकायदा नोटिस देता है, निमंत्रण देता है, बाजा बजाकर, पुलिस और बड़े-बड़े नेताओं की देखरेख में शारदा ऐक्ट तोड़ता है। हम समझते हैं कि इतना कमजोर कानून किसी

[श्री मंगलदेव]

और गवर्नमेंट का नहीं रहा होगा। उसको तोड़ने वाले को कोई सजा नहीं, कोई जुर्माना नहीं। ठीक उसी तरह आपका यह जो १८ फीसदी का नियम है उसको हर अधिकारी और कर्मचारी जो भर्ती करने का अधिकार रखता है, हर वरिष्ठ नेता, हर वरिष्ठ व्यक्ति इस प्रदेश का, खुले आम इसको तोड़ता है, उसको कोई सजा नहीं होती। प्रश्न करने पर यह बता दिया जाता है कि अधिकारियों को परिपत्र भेज दिये गये हैं, आदेश भेज दिये गये हैं, लेकिन प्रदेश के किसी भी अधिकारी की जांच करके उसको सजा नहीं दी गई जिसने कि नियम का उल्लंघन किया हो। जो अधिकारी १८ प्रतिशत हरिजनों को भर्ती नहीं करते हैं और हरिजनों पर जो घोर अन्याय हो रहा है प्रदेश के भर्ती वाले विभागों की ओर से, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि कोई तरीका ऐसा होना चाहिये जिससे उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सके।

माताप्रसाद जी ने यहां भाषण दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे किसको सुना रहे थे। अगर सरकार को सुना रहे थे तो किसको सुना रहे थे। वे बहुत दिनों से उधर बैठे हुए हैं, उनके अतिरिक्त ५६ हरिजन सदस्य और बैठे हैं, उनको तो यह रोना उस हाल में होना चाहिये था, यहां क्यों रो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने १८ फीसदी का नियम अगर पालन नहीं किया था तो उसके लिये उन्होंने क्या किया। जब तक समाज की मनोवृत्ति नहीं बदलेगी, विचारों में परिवर्तन नहीं होगा, लोगों में ईमानदारी नहीं आयेगी, यह चीज कागज के पन्नों पर रह जायगी, उस पर अमल नहीं हो सकता, लिखने-पढ़ने से कोई काम होने वाला नहीं है। इस रिपोर्ट को तो पहले ही आ जाना चाहिये था। जो रिपोर्ट में लिखा है अगर उसका आधा भी कार्यान्वित किया जाय तो हरिजनों का बहुत भला हो सकता है।

कहा जाता है कि हरिजनों की भर्ती के मामले में हमने बहुत प्रगति की है। जब हरिजनों का रिजरवेशन १० प्रतिशत था तो उनकी भर्ती प्रतिशत ३.४२ थी, लेकिन जब वह १८ प्रतिशत हो गया है तो वह घट कर २.०१ प्रतिशत रह गया है। यहां पर सवाल तो नीयत का है, कुछ करने का सवाल है। सरकारी कर्मचारी, नेतागण, वरिष्ठ सदस्य और मंत्री सभी इस समाज के अंग हैं, उन सब को यह देखना है कि भर्ती के समय इन नियमों का पालन किया जाता है या नहीं। कहां तो १८ प्रतिशत और कहां २ प्रतिशत! कितना फर्क है? अगर १०-१२ फीसदी भी भर्ती होती तब भी कुछ समझा जा सकता था। हाई स्कूल और इन्टर पास व्यक्ति चपरासी के स्थान के लिये घूमते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है। यह सब नियमों के पालन करने की नीयत पर आश्रित है।

आंध्र की सरकार को इस सम्बन्ध में बनाये नियमों के लिये मैं बधाई दूंगा। जहां समान योग्यता वाली बात होती है वहां पर वे हरिजनों के स्थानों को रिजर्वेशन नहीं समझते हैं। उनकी नीयत ज्यादा साफ थी तो वे ज्यादा आगे बढ़ गये, उन्होंने ज्यादा सुविधायें दे दीं। यह भीख मांगने की बात नहीं है, दया की बात नहीं है। समाज के लोगों ने, बुद्धिवादी लोगों ने यह सोचा कि हरिजनों का कोई दूसरा देश नहीं है, उनको यहीं रहना है, अतः उनके लिये कुछ फेवर के नियम बनाये। अगर उनका पालन नहीं किया गया तो हरिजन लोग उसके भरोसे ही नहीं बैठे रहेंगे। बी० ए० पास करके सड़कों पर नहीं घूमेंगे, रेल के नीचे कट नहीं मरेंगे, बहुत दिनों तक वे इन्तजार नहीं कर सकते, क्योंकि शारदा ऐक्ट की तरह वह टूट चुका है। हमें रोटी कपड़े की जरूरत है, पढ़ने और इज्जत के साथ रहने की जरूरत है। प्रदेश के खजाने में और प्रदेश के हर एक जीवन के पहलू में समानता के साथ नागरिक जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। सरकार को चाहिये कि इस प्रतिवेदन की जो मंशा है उसके अनुसार वह काम करे। ऐसे लोगों की फीस माफ कर दी जाती है जो पिछड़ी जाति के कहे जाते हैं जबकि हरिजन बच्चों की फीस नहीं माफ होती है। मैंने माननीया सुचेता जी को एक चिट्ठी लिखी कि सदन में प्रतिवेदन पर बहस होनी चाहिये। इस सदन के करीब ८४ हरिजन सदस्यों ने आज से डेढ़ साल पहले उस समय के मंत्री महावीर प्रसाद जी को लिखा था, मुख्य मंत्री को मैंने लिखा था तथा डाक्टर साहब को भी लिखा था लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ।

इसीलिये मैं कहता हूं कि इस प्रतिवेदन पर बहस करने से या इसके पास होने या फेल होने से कुछ होने वाला नहीं है। सवाल नीयत का है कि किस तरह से इस प्रश्न को देखा जाता है। डाक्टर साहब के लिये यही समझा जाता है कि चूंकि वे हरिजन हैं, इसीलिये उनको हरिजन विभाग दे दिया गया है। मैं कहता हूं कि आखिर साल, डेढ़, दो साल के बाद भी आपको कोई दूसरा विभाग तो मिलेगा ही, फिर आप जब सरकार में बैठे हुए हैं और किसी तरह से हरिजनों के हक की कोई हकतल्फी इस प्रदेश के अन्दर कानूनी ढंग से होती है तो उसके लिये सबसे अधिक जिम्मेदारी ट्रेजरी बेंच पर बैठने वाले हरिजन सदस्यों की है। इस आरोप से आप लोग बरी नहीं हो सकते। आपकी कलम में इतनी ताकत है और आप सरकार को चैलेंज कर सकते हैं, उसको अल्टीमेटम दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास खजाना है, कोड़ा है, बन्दूक है। जहां तक आफिसरों की बात है, ये तो नाचने लगेंगे जैसे चर्खे पर तकुवा नाचता है। आपको इस बात को देखना चाहिये कि प्रान्तीय सरकार द्वारा सर्विसेज में हरिजनों के लिये जितना रिजर्वेशन है उसके अनुसार काम हो रहा है या नहीं। कहने के लिये एम्पलायमेंट एक्सचेंज नाम की एक संस्था बनी है जो लोगों को नौकरी देने में सहायता करने के लिये है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें भी बहुत भ्रष्टाचार है और एक तरह से सप्लाई विभाग के बाद इसमें उसी का नम्बर आता है। बहुत से विभाग तो ऐसे हैं जो इनसे पूछते तक नहीं और अपने यहां भर्ती कर लेते हैं।

आजमगढ़ पोलिटेक्निक के बारे में मैंने सवाल किया था कि २५ प्रतिशत हरिजन उम्मीदवारों को सीट वहां क्यों नहीं दी गयीं तो माननीय मंत्री ने बतलाया कि परिगणित जाति के साथ ही पिछड़ी जाति के लोगों को भी उसमें सीट दे दी गयी। तो यह एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हर डिपार्टमेंट में मौजूद है। गड़ेरी, सोनार, लोहार सब को अछूतों में लिखा दिया जाता है। अगर इसकी जांच की जाय तो आधे से अधिक पिछड़ी जाति के लोग ही ऐसे मिलेंगे जो हरिजनों के स्थान पर हैं। इस प्रतिवेदन पर बहस करने के समय मैं देख रहा हूं कि बहुत कम लोग हैं जो इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर हरिजनों से वोट लेने का मौका होता और अपना मतलब साधना होता तो वे घड़ियाल के आंसू बहाने लगते, यह इस बात का प्रतीक है कि हमें स्वयं ही अपनी रक्षा करनी है। बहुत दिनों तक १८ या १२ परसेंट वाले रिजर्वेशन की बात नहीं रह सकती। मैं तो कहता हूं जो ट्रेजरी बेंच पर बैठने वाले माननीय हरिजन सदस्य हैं वे अपनी कमजोरी को दूर करके खड़े हो जायं तो मैं कहता हूं कि दूसरे दिन ही हरिजनों की ठीक भर्ती होने लग जायगी।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में एक प्रस्ताव दिया है, उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

इस वक्त कोई प्रस्ताव तो सामने है नहीं। ऐसे भाषण देते हुए आप अपने विचार सुना सकते हैं। इस वक्त कोई प्रस्ताव नहीं आ सकता।

श्री धर्मसिंह--

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, एक माननीय सदस्य ने बहुत विस्तारपूर्वक अपनी बात कही। जहां तक इस रिपोर्ट का सम्बन्ध है अगर हम विस्तारपूर्वक इसमें जायं तो हम केवल एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह रिजर्वेशन पूरा नहीं होता और जो अधिकार सरकार ने दिया हुआ था, जब वह पूरा नहीं हुआ, तो यह कमेटी बनाई गई। अब कमेटी ने जो निर्णय किये हैं यदि सरकार पूरे तरीके से उन पर विचार करे और सोचे तो मैं समझता हूं कि वह उन पर पूरे तरीके से पालन करा सकती है और तभी इस पर बहस करने से कोई लाभ हो सकता है। जिस तरह से कि श्री माताप्रसाद जी ने बहुत से आंकड़े पेश किये, चाहे हरिजन विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे पी० डब्लू० डी० विभाग हो, किसी भी प्रदेश के विभाग में आज तक सन् १९४७ के बाद से कोई यह दावा नहीं कर सकता कि जो रिजर्वेशन संविधान

[श्री धर्मसिंह]

के अनुसार और इस सरकार के निश्चय के अनुसार उनको देना निश्चय हुआ था उसका कोई प्रतिशत भी उनको दिया गया है। क्या उसका पालन हुआ है? केवल यहां पर नोटिफिकेशन होते रहें, व्यवस्थायें होती रहें, नियम बना लें इससे कुछ नहीं होता। इस रिपोर्ट में यह स्वयं स्वीकार किया गया है कि आज तक इन नियमों और कानूनों का कोई पालन नहीं किया गया।

इधर और उधर के बैठने वालों ने कहा कि आज यहां एक वातावरण बनाने की जरूरत है, आज इसकी आवश्यकता है कि हम लोगों की मनोवृत्तियों को और विचारों को बदलें, लेकिन आज तक इस विषय में कोई मनोवृत्ति और वातावरण को बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई और न वह बदला ही है और तरह तरह की तरकीबें लगाने के बावजूद जहां तक हरिजनों के रिजर्वेशन का सम्बन्ध है जो कि संविधान में गारन्टीड था, उसका कहीं पालन नहीं किया गया है। एक तरफ बदनाम किया जाता है कि हरिजनों को तो १८ प्रतिशत का रिजर्वेशन है, लेकिन अगर आज भी मंत्री जी पच्छिमी जिलों में चलें तो जिस केटेगरी के वह विद्यार्थी चाहें या ग्रेजुएट चाहते हैं वह मिल सकते हैं। बड़े दुख और शर्म की बात है कि १८ प्रतिशत रिजर्वेशन के बावजूद और नियमों के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में ग्रेजुएट्स साल साल, डेढ़ डेढ़ और दो दो साल तक घर पर बैठे रहते हैं और छोटी छोटी नौकरियों के लिये भी कोई इन्तजाम उनका नहीं हो पाता। हम चाहें सदन में कितनी बहस कर लें, लेकिन जब तक कि सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ़ कदम नहीं उठायेगी जो उन नियमों का पालन नहीं करते, उनके कैरेक्टर रोल्स में एन्ट्री नहीं करेगी कि उन्होंने क्यों इन नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि जिन्होंने इन नियमों का पालन नहीं किया उनको क्या सजा दी गई। इसको मनवाने के लिये केवल यहां की बहस से काम नहीं चलेगा, मेरा निवेदन है कि पूरे तरीके से इस रिपोर्ट पर विचार किया जाय और बहुत कड़ाई क साथ इसकी सिफारिशों पर अमल कराया जाय। इसमें किसी अहसान की बात नहीं है हमारे संविधान में प्राविजन है और इस कमेटी की भी सिफारिश है और यह सरकार के लिये बहुत बड़ा सहारा है, परन्तु यह इस देश की बदकिस्मती है कि हम सब जानते हैं कि सन् ४७ में तमाम देश के लोगों ने एक निर्णय किया कि कुछ लोगों को हम रिजर्वेशन के नाम पर कुछ संरक्षण देना चाहते हैं लेकिन १७ साल के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उसका किसी भी स्फीयर में पालन नहीं किया गया है, न टेक्निकल क्षेत्र में न नान-टेक्निकल क्षेत्र में, चपरासियों और क्लर्कों तक के क्षेत्र में पालन नहीं हो पाया है।

दूसरे प्रदेशों में सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय किये हैं, ऐसे नियम बनाये हैं और उनके आधार पर यह सरकार भी उन नियमों का यहां पालन कर सकती है। राजस्थान सरकार को देखें, आन्ध्र को देखें, और दूसरे प्रदेशों को देखें तो आप पायेंगे कि जो इसमें सिफारिश हैं बहुत बड़ी तादाद में वहां सहूलियतें दी गयी हैं। कई सरकारों ने नियम बनाये हैं कि जब तक हरिजनों का १८, १७ या १६ फीसदी रिजरवेशन पूरा नहीं हो जाता हम बराबर रेक्रूटमेंट उन विभागों में देते रहेंगे। उन्होंने नियम बनाया है कि १९६३ में हरिजनों का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हुआ है पिछले ५ साल तक तो सब लोगों का कोटा बन्द करने के बाद उनका रिजरवेशन पूरा किया गया। अगर आपके आर्डर का पालन नहीं होता, नीति कार्यान्वित नहीं होती तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है? एक तरफ समाज में बदनाम किये जाते हैं और दूसरी तरफ उन नियमों का पालन नहीं होता तो कोई फायदा इस बहस स नहीं होगा।

जहां तक जातियों का सम्बन्ध है, कुछ ऐसे नियम रहे कि जहां पर यह मालूम होता है कि परिगणित जाति से सम्बन्ध है, ऐंट्री लग जाती है, उसको कोई नहीं पूछता। मेरा सुझाव है कि नीचे के आधार पर ऐंट्री हो तो सरकार से उसका ऐप्रूवल लिया जाय, हेड आफ दी डिपार्टमेंट से उसका ऐप्रूवल लिया जाय और अगर मंत्री जी से ऐप्रूवल लिया जाय तो अच्छा रहे। एक सिफारिश यह है कि जो शेडयूल कास्ट के लोग इनएफीशियेंसी के नाम पर निकाल दिये जाते हैं उनका कोटा उन्हीं के आधार पर दिया जाय, तो क्या सरकार इस सिफारिश को मानने के लिये तैयार है। कुछ प्रेक्टिकल आस्पेक्ट भी होना चाहिये। जब संविधान में प्रोवीजन है तो

उसका पालन होना चाहिये। माननीय माताप्रसाद जी ने कहा कि कुछ सिफारिशें मान ली गयी हैं लकिन ६ महीने तक कोई प्रोफारमा मंगाया गया है यह जानने के लिये कि कहां तक उसका पालन हुआ है ? आज रिजर्वेशन की एक यह दिक्कत है, और चाहता हूं मंत्री जी उसको देखें, रिजर्वेशन का मतलब यह है कि सब विद्यार्थी, शेडयूल कास्ट के परीक्षा या इंटरव्यू में बैठते हैं जनरल कैन्डीडेट्स के साथ उसको एक कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। रिजर्वेशन की परिभाषा यह है कि एक तरफ जनरल कैन्डीडेट्स बैठें और एक तरफ शेडयूल्ड कास्ट के बैठें और आप यह छांट लें कि शेडयूल्ड कास्ट में जिसके ज्यादा नम्बर आये हैं उन्हीं को लें। आप करते क्या है कि कम्पटीशन में उतने ही नम्बर देते हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को जितने जनरल कैन्डीडेट्स को दिये जाते हैं और तब कहा जाता है कि ऐफीशियेंट नहीं हैं, टेक्नीकली ऐडवांस नहीं हैं। मेरी धारणा है कि सब-इन्स्पेक्टर आफ पुलिस में पिछले ५ साल में जितने व्यक्तियों को निकाला गया है उतना रेक्रूटमेंट भी नहीं किया गया। विचारना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कि कहां गल्ती है और आप उन लोगों को सजा दीजिए जो आज्ञा का उल्लंघन करने के दोषी हों। आज सही वातावरण बनाने की आवश्यकता है। उसको बना दीजिए। अफसरों के कैरेक्टर रोल में एडवर्स एंट्री कीजिए और जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके उसे कीजिए। इससे कोई लाभ नहीं है केवल सरकार बदनाम होती है कि इतना प्रोवीजन है, उतनी रिकमेंन्डेशन्स हैं लेकिन नियम का पालन नहीं होता है।

श्रीमन्, इन चन्द शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि जहां तक रिकमेन्डेशन का सम्बन्ध है उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके पालन करवावें।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, सेवाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन का प्रारूप १०-१२ साल के पहले से तैयार रखा हुआ था किन्तु अनुसूचित जाति के विधायक इसे अन्दर से धक्का मार कर बाहर ले आये हैं।

(इस समय १२ बजकर ५७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायणराय, पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, हम सीधी बात यहां पर कहते हैं। जिस साम्प्रदायिकता का दोष जनसंघ पर मढ़ा जा रहा है उससे उल्टे साम्प्रदायिकता की दोषी कांग्रेस सरकार है क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यक, बैकवर्ड, आदि इस तरीके के नाम देकर उनकी शोभा बढ़ायी है। यह सारा दोष कांग्रेस का है। अधिष्ठाता महोदय, उन्होंने सुधार के नाम पर अनुसूचित जाति की जड़ काटी है। उन्होंने कहा छुआछूतपन, जातिपांति के झगड़े कम कर दिए लेकिन ये बात वे हवा पर उड़ाया करते हैं जिसका असर आज यह ह कि हमारी दुर्गत हो रही ह। मान्यवर, इन्होंने जमीन सम्बन्धी सबसे पहला सुधार अपने हाथ में लिया। जमींदारी खत्म की। गरीबों और भूमिहीनों को यह लालच दिया कि अगर हमारा साथ दोगे तो हम अधिक भूमिवालों से जमीन छीन कर उनके गले में लटका देंगे। गरीबों न और भूमिहीनों ने सरकार का साथ दिया। जन-जन से जिस जिस तरीके से सहयोग मांगा हमने दिया पर नतीजा क्या हुआ। जमींदारी टूट गयी। मुआवजा दे दिया गया, पुनर्वास ऋण दे दिया गया पर वह जमीन आज तक भी उन्हीं के हाथों में है। उनको बातें नहीं करनी चाहिए। उन्हें (कांग्रेसियों) को अपने मुंह बन्द कर लेने चाहियें। हरिजनों को धन-धरती और धाम सब कुछ वे लोग दबाये बैठे हैं। यह आपने सुधारने की कोशिश की। अब हवाबाजी नहीं चलने वाली है।

अधिष्ठाता महोदय, अभी-अभी जब यह गल्ले की महंगाई का प्रश्न सामने है। तमाम समाज परेशान है। उस पर हमने एक नियम ५२ के अन्तर्गत लिख कर दिया कि पूरा समाज परेशान है इससे और सरकार भी लगी हुई है किन्तु इसमें जो भूमिहीन हैं, श्रमिक हैं उनके पास न खाना है और न आवास है। केवल आबरू बाकी है। उस आबरू बचाने के लिए क्या सरकार कोई कदम उठायेगी। दिल को टटोलें और देखें सब लोग परेशान हैं। अगर सरकार इस समय

[श्री नाथूराम शिक्षक]
कुछ नहीं कर सकती तो कुर्सी छोड़े। हरिजनों के सुधार के लिए दिल्ली से लेकर प्रान्तों की सरकारों ने न जाने कितना कितना रुपया बरबाद किया! काका साहब की टोली निकली और इलाहाबाद में पहुंची। मैं मिलने गया कि काका साहब क्या रिपोर्ट लाये हैं। उसमें कुछ भी नहीं था। उससे हरिजनों का कल्याण नहीं हो सकता। मेरा यह खुला चार्ज है सरकार पर कि जितना रुपया व्यय किया गया है वह उनके दलाल, पिट्ठू और कुनबापरस्तों के पेट में गया है। वहां से उसे निकालने की जरूरत है। साम्प्रदायिक कह कह कर हमको ठोकर मारी जाती है। लेकिन हमको भी देखना है कि आपने उनको क्या दिया है। पढ़ने में भी आपने उनको सुविधा नहीं दी। स्कूलों में जितने वजीफे दिये जाते हैं उनकी जांच करने वाला कोई नहीं है। सारा का सारा रुपया खाया जा रहा है। विद्यार्थी शिकायत करता है तो उसे निकाल दिया जाता है। जितना रुपया हरिजनों के नाम पर ब्लाकों में, जिला परिषदों में खर्च हुआ है उसकी अगर जांच कराई जायगी तो पता चलेगा कि हरिजनों के नाम पर कितना बड़ा धोखा समाज को दिया गया है। मैं सरकार से शिकायत नहीं करता बल्कि हरिजन विभाग के अनुसूचित जाति क जितने सदस्य हैं उनसे मेरा निवेदन है कि समाज कल्याण का प्रारूप नीचे से तैयार करने की आवश्यकता है। गांव हमारे देश की जड़ हैं। भूमि वाले और सम्पत्ति वाले ये दोनों हैं मगर श्रम न लगे तो दोनों जैसे के तैसे रह जायं। इसलिये हमको श्रम तथा पूंजी का मूल्य बराबर करना चाहिये। सरकार इस बात पर तय करले कि भूमि सम्पत्ति है तो श्रम उसका सहयोगी है। जब से भूमि सम्पत्ति कानून बने हैं, आपस में खींचातानी पैदा हो गयी है। श्रम पूरा इसलिये नहीं मिल पाता क्योंकि श्रमिक समझता है कि उसे पैसा नपा तुला मिलना है। १७ वर्षों से चाहे जितनी महंगाई आई उसमें भूमिपति तथा पूंजीपति लाभ उठा गये, लेकिन भूमिहीन तथा श्रमिक अछूता रह गया। उसकी दुर्दशा ऐसी है जो देखने लायक नहीं है। जिस तरह से पशु बन्द रहते हैं उसी तरह से छोटी-छोटी कोठरियों में वे भी बन्द रहते हैं। सरकार के पिट्ठू, दलाल और कुनबापरस्त इन हरिजनों को दबाये रखे हैं और यहां लम्बे भाषण दिये जाते हैं। देखना है उनको तो अपने नीचे देखें कि हरिजनों ने कितनी प्रगति की है।

अधिष्ठाता महोदय, रिपोर्ट पर माननीय माताप्रसाद जी ने काफी कहा है। हम तो इसको रद्दी की टोकरी में फेंकने वाले हैं। बार-बार ऐसी रिपोर्ट लाकर हवाबाजी फैलाकर समाज को धोखा देना है। इन शब्दों के साथ मैं इस रिपोर्ट का बहिष्कार करता हूं।

*श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—

अधिष्ठाता महोदय, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में जो कमेटी बैठाई गई थी आज उसकी रिपोर्ट पर सदन में विचार हो रहा है। अभी माताप्रसाद जी ने बताया है कि इसकी कौन कौन सी सिफारिशें मान ली गई हैं लेकिन मैं उनकी चर्चा में न जाकर सुझाव देना चाहता हूं कि इन सिफारिशों को मनवाने के लिये या सरकारी आदेशों के एक्जीक्यूशन के लिये क्या कदम उठाये जायं।

एक सिफारिश यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में हरिजनों का एक नुमाइन्दा होना चाहिये। कमीशन में हमारे इंटरेस्ट को वाच करने वाला कोई नहीं होता है। यह कहा जाता है कि कोई काबिल आदमी नहीं मिलता, अगर मिलेगा तो रखने की बात सोची जा सकेगी। हरिजनों में आई० ए० एस० हैं, पी० सी० एस० हैं और डिप्टी सेक्रेटरी तक हैं, फिर मैं नहीं समझता कि काबलियत का आधार क्या हो सकता है। इसलिये मैं मजबूती से कहना चाहता हूं कि कमीशन में एक हरिजनों का नुमाइन्दा होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट करते समय हरिजनों को इगनोर किया जाता है। अगर चार जगह होती हैं तो चार बार एडवरटाइज करके उनको भरा जाता है और हरिजनों को न लेकर उच्च वर्ग के लोगों को ही लिया जाता है और उनको ही परमानेंट किया जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा सुझाव है कि हर विभाग में एक लिस्ट होनी चाहिये कि कितनी जगहें हरिजनों के लिये खाली हैं और जब हरिजन न मिलें तो वे जगहें खाली रखी जायं। इसके एक्जीक्यूशन के लिये प्रांतीय स्तर पर और जिला स्तर पर कमेटी होनी चाहिये जो रिजर्वेशन के कार्य को देख सके और इसका प्रेसीडेंट नान-आफीशियल होना चाहिये। हरिजन वैलफेयर का डाइरेक्टर उसका सेक्रेटरी होना चाहिये। हर विभाग से उसके पास एक पूरा स्टेटमेंट जाना चाहिये कि कितनी वैकेंसीज हरिजनों के लिये खाली हैं, कितनी भरी गयी हैं और कुल कितनी वैकेंसीज हैं। अगर किसी हरिजन को क्वालीफिकेशन के ऊपर रिजेक्ट किया जाय तो उसकी पूरी सूचना डायरेक्टर के पास जानी चाहिये कि इसको क्यों रिजेक्ट किया गया।

इसी तरह से जिला स्तर पर एक एम्पलायमेंट कमेटी की व्यवस्था होनी चाहिये, क्योंकि जिलों में जो आफिसेज होते हैं उनमें इस बात का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है कि कितनी जगहें हैं, कितनी वैकेंसीज भरी हैं, कितनी वैकेंसीज किस डिपार्टमेंट के अन्तर्गत हैं और उनमें कितनी हरिजन व्यक्तियों के लिये हैं, तथा कितनी वैकेंसीज खाली हैं। अगर डिपार्टमेंट-वाइज जिला स्तर पर इसकी सूचना होगी तो हरिजन कल्याण अधिकारी के जरिये वह स्थान हरिजनों को प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो सेलेक्शन के लिये ऐप्वाइंटिंग अथारिटी बैठती हो चाहे लिखित परीक्षा के लिये, चाहे साक्षी के लिये उसमें एक हरिजन सदस्य चाहे वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा नामजद हो चाहे डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो, होना चाहिये जो देखे कि उसमें हरिजनों के कैंडीडेट लिये जा सकें। हरिजन कल्याण अधिकारी के पास भी अगर सूची की व्यवस्था हो तो उससे यह होगा कि मान लीजिये, सिंचाई विभाग में ५० पोस्ट्स क्लर्क की हैं तो उसमें ९ हरिजनों के कैंडीडेट्स लिये जाने चाहिये। अगर कोई स्थान खाली होगा तो यह व्यवस्था होगी कि हरिजन अभ्यर्थी हरिजन वेलफेयर आफिसर या हरिजन डाइरेक्टोरेट से सूचना मंगा सकते हैं और उससे होगा कि किसी जिले में कोई अभ्यर्थी है हरिजन उसे पता चल जायेगा क्योंकि क्वालिफिकेशन के आधार पर जब सेलेक्शन होता है तो अधिकारियों के पास यह हथियार रहता है कि क्वालिफाइड कैंडीडेट्स अवेलेबिल नहीं हैं और यह बहाना बना कर उनको सेलेक्ट नहीं किया जाता। मैं सोचता हूं कि बेसिक क्वालिफिकेशन जो सेलेक्शन के अन्दर रखी गयी है उसको देखकर ही तो कैंडीडेट्स को बुलाया जाता है। फिर क्या कारण है कि यह समझ लिया जाता है कि वह कैंडीडेट जो हरिजन उस बेसिक क्वालिफिकेशन को पूरा कर लेता है समझा जाता है कि क्वालिफाइड नहीं है। मैं मानता हूं कि क्वालिफिकेशन का स्टैन्डर्ड बनना चाहिये और निश्चित रूप से उनको रखना चाहिये, लेकिन अगर क्वालिफिकेशन की बात को कोई पूरी कर लेता है तो फिर बेसिक क्वालिफिकेशन में आये हरिजन कैंडीडेट को नहीं लिया जाता यह बात समझ में नहीं आती। मान लिया जाय किसी डिपार्टमेंट में क्लैरिकल पोस्ट्स खाली हैं। उसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उससे उसकी योग्यता जो और कैंडीडेट्स आये हैं कम हैं, तो उसे दो महीने या चार महीने के लिये ट्रायल पर रखना चाहिये, ताकि उसको जो क्वालिफकेशन की कमी उसमें बतायी जाती है उसे पूरा करने का मौका मिल सके।

इसके अतिरिक्त लोकल बाडीज के संबंध में जो एक बात मैं समझता हूं कि किसी ने नहीं कही मैं उस पर बल देना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में इस का इंडीकेशन एक स्थान पर मिलता है कि लोकल बाडीज में किसी तरह का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर सरकार उनको दबा नहीं सकती, स्टैट्यूटरी एन्फोर्समेंट नहीं कर सकती कि वह रिजर्वेशन की बात को मानें तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फिर ५० प्रतिशत आपका यह रिजर्वेशन का प्राविजन बेकार सा रह जाता है, क्योंकि वहां तो मेम्बरों को क्लोज करने के लिये, वह चाहे हरिजन हो चाहे गैर हरिजन हो, काम होते हैं। वहां हरिजनों की संख्या बहुत कम है इसलिये दूसरे लोगों को खुश करने के लिये दूसरे लोगों को हरिजनों के स्थान पर रखा जाता है, उनके यहां भी रास्टर सिस्टम होना चाहिये। हरिजन वैलफेयर अधिकारी को इस बात की सूचना मिलनी चाहिये कि फला टाउन एरिया और फला म्यूनिसिपल बोर्ड में इतने अध्यापक हैं और उसमें इतने हरिजन

[श्री रामसिंह]

अध्यापक होने चाहिये। इतने थे, इतने नहीं हैं और उनकी कमी को कैसे पूरा किया जाय यह सब अगर हरिजन वैलफेयर अधिकारी के पास सूचना हो तो हरिजन वेलफेयर अधिकारी नामों को भेज कर उन स्थानों की पूर्ति करा देगा। अगर किसी जिले में काबिल कैंडीडेट नहीं मिल पाते, क्योंकि अगर उस जिले में काबिल कैंडीडेट नहीं मिल पाते तो सेलेक्शन अथारिटीज यह रीजन लेते हैं कि कैंडीडेट हरिजन कोई काबिल नहीं मिला और उस को नान-हरिजन कैंडीडेट से पूरा कर लिया जाता है, तो अगर दूसरे जिले में काबिल कैंडीडेट एक्सेस में हों या दूसरे जिले में मिल जायें तो हरिजन डाइरेक्टोरेट उस रिजर्वेशन को पूरा करेंगे और इस प्रकार रिजर्वेशन की कमी पूर्ति हो जायगी। जैसे चपरासी की बात आपके सामने कही गई। मैं नहीं समझता की उसके लिये कोई योग्यता की आवश्यकता होती है। विभाग में जो अधिकारी होते हैं उनके काम करने के लिये भी चपरासी होते हैं। एक चपरासी दिन भर कार्यालय में काम करता है, और फिर शाम को घर पर आकर घर का सारा काम करता है, बाजार से सब्जी लाता है, खाना बनाता है आदि। इसलिये अधिकारी छुआछूत की वजह से किसी हरिजन को रखना पसन्द नहीं करते क्योंकि यदि हरिजन रक्खेंगे तो घर का काम कौन करेगा? उनको घर का काम करना पड़ेगा या घर के और सदस्यों को करना पड़ेगा। इसलिये चपरासी की जगहों की पूर्ति हरिजन कैंडिडेटों में से नहीं हो पाती है।

मान्यवर, रिजर्वेशन के बारे में बहुत बातें कही गयीं। इसकी पूर्ति के लिये एक प्रांतीय स्तर पर और एक जिला स्तर पर कमेटी होनी चाहिये जिसका चेयरमैन नान-आफिशियल हो और सेक्रेटरी, डाइरेक्टर, हरिजन वैलफेयर हो। जिले में हरिजन कमेटी ३ कमेटियों में काम करती है, चौथी भी उसमें सम्मिलित की जा सकती है। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के अधिकारियों को स्थानों के लिये हरिजन उम्मेदवारों के नाम भेजने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। एडवर-टाइजमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाते हैं और डाईरेक्शन्स भी पूरी तरह से नहीं होते कि कितने हरिजनों के पद के लिये कितने हरिजन उम्मीदवार भेजने की आवश्यकता है। अगर चार जगहें रिक्त होती हैं, तो केवल ४ आदमी ही एम्प्लाएमेंट से भेज दिये जाते हैं, उनमें से अगर दो अनस्यूटेबिल हैं तो २ ही जगह भरी जाती हैं और शेष दो जगहों पर दूसरे आदमी रख लिये जाते हैं और उनका हित मारा जाता है। इसलिये जब जगह एडवरटाइज़ हों तो जितनी जगहें हों उनसे कम से कम चौगुने आदमी भेजे जायें, ताकि सारी जगह भरी जा सकें और भरने वालों को कहने का मौका न मिले कि कोई स्यूटेबिल आदमी नहीं मिला।

इस तरह से जो भावना लोगों में है कि हरिजन का रिजर्वेशन दिया जा रहा है, लेकिन उसका एक्जिक्यूशन नहीं हो पाता है और लोग उसको अपने दिल से इग्नोर करते हैं, जैसे टैक्निकल ट्रेनिंग में ही आप देख लीजिए कि उनको कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाती है। जो स्कालरशिप जनरल लोगों को दिया जाता है, वही हरिजन छात्रों को भी दिया जाता है। अगर कहीं सेलेक्शन हो और उसमें ४ उम्मीदवारों में से २ हरिजन सेलेक्ट हो जायें तो उनको कोटा से निकाल देना चाहिये। उनके अलावा अगर योग्य आदमी मिल जायें, तो बाद में उन जगहों पर हरिजन उम्मीदवारों को लेना चाहिये। अभी कुछ दिन पूर्व सरकार की तरफ से आदेश हुये थे कि २५ फीसदी क्लैरिकल जगहों के लिये हरिजनों का रिजर्वेशन हो। जब १८ प्रतिशत स्थानों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो २५ प्रतिशत के कैसे संभव होगी? आप के पास कोई सेंट्रल एजेन्सी नहीं है, जो इस पर नियंत्रण कर सके कि कौन आदमी गलत काम करता है और कैसे हरिजनों को इग्नोर करता है। उसको देखने के लिये उसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिये आपके पास कोई सेंट्रल एजेंसी अवश्य होनी चाहिये। अगर आप डी० एम० को आदेश दे देंगे तो मैं समझता हूं कि हरिजनों के नाते उसकी कोई हमदर्दी नहीं होगी कि वह देखे कि किस विभाग में कितनी जगहें थीं और उस पर कितने हरिजन लिये गये। हरिजन आफिसर्स को बहुत कम पावर है कि वह हरिजनों के हित को पूरी तरह से देख सके। उसके पास समय है उसको पावर दे दी जाय कि वह इस काम को देखे, और वह हर विभाग से सूचना एकत्र कर सके कि किस

डिपार्टमेंट में कितने हरिजन की पोस्ट रिजर्व हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं। कितने पोस्ट फिल हैं और कितन वैकेंट। हरिजन अफसर इसको देखें और खाली जगहों पर जो हरिजनों के लिये खाली पड़ी हैं, उन पर योग्य हरिजन छात्रों को भेजें, जिससे उनको पूरा किया जा सके।

अतः मेरा निवेदन है कि प्राविन्शियल लेवेल पर एक कमेटी होनी चाहिये डिस्ट्रिक्ट हरिजन डाइरेक्टर के बराबर से। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी कमेटियां होनी चाहियें जो कि नाम हरिजन वैलफेयर के सेक्रेटरी के दफ्तर से मंगा सकें। मैं मौलिक बात यह समझता हूं कि कोई सेन्ट्रल एजेन्सी उस इन्टरेस्ट को वाच करने के लिये निश्चित रूप से होनी चाहिये ताकि वह हरिजनों के फायदे की बात को सोच सके और उनका रिजर्वेशन पूरा कराने में सहायता दे सके। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)--

अधिष्ठाता महोदय, आज का विषय ऐसा है जिसमें उत्तर प्रदेश की एक-चौथाई जनसंख्या यानी हरिजनों के संबंध में बात चल रही है। मैं समझता हूं इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना है जो मुझ आज इस बात का साहस मिला है कि मैं अपने विचार अपने समाज के उत्थान के लिये कुछ अपने विचारों द्वारा शासन वर्ग को रास्ता दे सकें। मैं समझता हूं उनको भी पिछला अनुभव हो चुका है कि इस देश में एक समाज ऐसा है जो इस देश में बहुत पिछड़ा हुआ है या कहें कि उसको पिछड़ाया गया है। इसका अनुभव आज से बहुत दिन पहले पूज्य महात्मा गांधी को हुआ था और जिनको साथ न रखने की वजह से इस देश को आजाद कराने में कठिनाई सामने आई थी। शायद आज यह उसी का परिणाम है कि हम इस पर बहस कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसके बारे में बहुत गंभीरता के साथ विचार करने की जरूरत है। उसी नीयत से महात्मा गांधी जी ने हरिजनों को हिंदू समाज की रीढ़ बतलाया था। यदि शरीर में रीढ़ समाप्त हो जाय या उसमें बीमारी हो जाय तो सारे शरीर का ढांचा ही नष्ट हो जायगा। आज इसी विचार से मैं यह समझता हूं कि हिन्दुस्तान के आजाद होने का प्रश्न १९३१-३२ में राउंड टेबिल कांफ्रेंस के सामने आया था तो हरिजनों का प्रतिनिधित्व करने के सिलसिले में डाक्टर अम्बेदकर ने इस प्रश्न को उठाया था कि हिन्दुस्तान में एक ऐसा समाज है जो सारे समाज के नीचे दबा हुआ है, उसको भी उठाना चाहिये। इस बात को महात्मा गांधी जी ने भी माना। सन् १९३४ में पूना पैक्ट के नाम से एक बात स्वीकार होकर मशहूर हुई जिसके अन्तर्गत उनको प्रतिनिधित्व देने का वादा किया गया। उसी चीज को कांस्टीट्यूशन में लाया गया है। मैं समझता हूं कि उस पैक्ट के शब्दों को देखना चाहिये। कांस्टीट्यूशन में जो प्राविधान किया गया है उसके लिये अगर सरकार कोई बात नहीं मानती है तो वह अपने वचनों से पीछे हटती है और वही प्रश्न उठ सकता है जो कि इस देश को आजादी के समय उठा था। यदि इस संविधान को बनाने वाले अपने वचनों को पूरा नहीं करते हैं तो इस समाज का कल्याण भी नहीं हो सकता है मेरा सरकार से निवेदन है कि बहुत गंभीरता के साथ जो वचन दिया है उसको पूरा करना चाहिये। यह प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। हमारे ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से इस प्रश्न को उठाया गया था लेकिन मुझे दुख है कि १९५२ से लेकर आज तक हमारी जाति के कर्मचारियों में प्रतिनिधित्व देने के संबंध में ध्यान नहीं दिया गया है। सवाल इस बात का है कि हमारे जो हरिजन भाई हमारी तरफ बैठते हैं उनको कम अनुभव है? १९५४ में श्री रामसुमेर जी ने यहां पर एक विधेयक रखा था और इस आशा के साथ रखा था कि सरकार अपने वचनों का पालन करेगी लेकिन दुख है कि उनको अगले एलेक्शन में टिकट ही नहीं दिया गया। एक भाई उनके दल के ५६ में यहां पर एक विधेयक लाये थे उनको टिकट नहीं मिला लेकिन आज भी उधर के हरिजन भाई इसी वजह से कोई विधेयक नहीं ला रहे हैं कि संभवतः उनको १९६७ में टिकट न मिले। मैं समझता हूं हमारी सरकार राम सुमेर द्वारा प्रस्तुत विधेयक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामअधार कनौजिया]

को यदि स्वीकार कर लेती तो वह कठिनाई दूर हो जाती, लेकिन अभी सूचना यह है कि १९४७ से १९५४ तक नौकरियों में जो प्रतिनिधित्व हरिजनों को मिला वह १९५४ से १९५९ तक नहीं मिला। उसमें कमी हुई। इससे सिद्ध होता है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है और उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस प्रतिवेदन में भी दिया हुआ है कि विभिन्न विभागाध्यक्षों ने और कर्मचारियों ने इस संबंध में सूचना देने में कितनी देरी की और कुछ विभागों ने तो सूचना दी ही नहीं। तो कैसे संभव हो सकता है कि वे सरकार के छोटे मोटे आदेशों को पालन करेंगे ? इसलिये मरा सुझाव है कि सरकारी कर्मचारियों के लिये स्पष्ट और सख्त आदेश होने चाहिये ताकि उनका पालन होता रहे।

सरकारी सेवाओं में हरिजनों को उनका निर्धारित संरक्षण प्राप्त करने व शिक्षा संबंधी दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में हमारी मांग है कि प्रांतीय एवं जिला स्तर पर हरिजन सेवा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की जाय जो प्रांतीय स्तर व जिला स्दर पर होने वाले सुरक्षित रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु हरिजन अभ्यर्थियों को समय-समय पर चयन करे और संबंधित विभाग को योग्य हरिजन चुन कर भेजें। प्रतिबंध यह रहे कि इस हरिजन सेवा संरक्षण बोर्ड का चेयरमैन हरिजन ही होगा।

दूसरी मांग है कि तृतीय श्रेणी के लिपिक वर्गीय रिक्त स्थानों पर उस समय तक जब तक हरिजनों का संरक्षण पूरा न हो जाय अन्य व्यक्ति नहीं रखा जायगा।

तीसरी मांग है कि चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में जब तक हरिजनों का निर्धारित संरक्षण पूरा न हो जाये किसी अन्य व्यक्ति को न लिया जाय।

चौथे, विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश के सरकुलर के अनुसार खंड विकास क्षेत्रों में चपरासी और डाकिया के स्थानों की पूर्ति केवल हरिजन अभ्यर्थी द्वारा होनी चाहिये, परन्तु खेद है कि उक्त सरकुलर का पालन नहीं हो रहा है। कड़ाई से पालन कराया जाय।

लखनऊ के ही एक कार्यालय से हरिजन अभ्यर्थियों के नाम नहीं मांगे जाते और न उनके संबंध में आरक्षण आदेशों का पालन किया जाता है। यह हेडक्वार्टर की बात है। अतिरिक्त जिलाधीश नियोजन, इलाहाबाद के लिये भी उन्होंने लिखा है कि सेवाओं में भरती के विषय में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को दी गयी रियायतों के संबंध मे जो आदेश थे उनकी प्रतियां कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं थीं। इसी तरह से आबकारी कार्यालय, इलाहाबाद, में ६० अभ्यर्थी भरती किये गये, किंतु उनमें से एक भी अनुसूचित जाति का नहीं है। यह १९४७ से १९५९ तक की बात है। इसमें ही पता चलता है कि विभाग कहां तक सरकार के आदेश का पालन करते हैं। मैं समझता हूं कि प्रांतीय स्तर पर जैसा कि मैंने ऊपर कहा, एक समिति की स्थापना होनी चाहिये, ताकि वह इसकी देख रेख कर सके।

बहराइच के एक ब्लाक की बात मैं बतलाना चाहता हूं। वहां से लिस्ट मांगी गयी उम्मीदवारों की। पहली लिस्ट में चूंकि उनके अपने आदमी नहीं थे, इसलिये फिर दूसरी लिस्ट मांगी गयी। उसमें दो व्यक्ति जूनियर हाई स्कूल पास थे, लेकिन उन तक को चपरासी की जगह नहीं दी गयी। तो चूंकि हरिजन वहां नहीं हैं, इसलिये निम्न पदों पर भी हरिजन नहीं लिये जाते हालांकि वे काबिल हैं। अभी बी० डी० ओज का रिट्रेचमेंट हो गया। मैं समझता हूं कि उनके केसेज पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और उनको पुनः अपने स्थान पर नियुक्त करना चाहिये। अगर किसी के विषय में कोई खास शिकायत हो तो आप उसे देख सकते हैं, लेकिन सामूहिक तौर पर हरिजनों को निकाल देना उचित नहीं है। बहराइच जिले में भी इसी प्रकार की एक समस्या है। आशा है कि उसमें जिन हरिजनों को निकाला गया है उनको पुनः नियुक्ति दी जायगी। जहां तक जुडिशियल सर्विसेज का संबंध है मैं १९६१ का एक आंकड़ा दे रहा हूं। १९६१ में १२ जगहें पी० सी० एस० में थीं और ४ हरिजनों के लिये रिजर्व थीं। उनमें १२ के लिये २० को रिकमेंड किया गया और ४ के लिये १ को रेकमेंड किया गया। उसमें एक कैन्डीडेट ने लिखित परीक्षा में ३६·५

परसेंट मार्क्स पाये थे। लेकिन दुख है कि उन चार जगहों के खिलाफ एक को तो ले लिया गया, दूसरा जो पास था उसे नहीं लिया गया। आज भी उसे एप्वाइंटमेंट नहीं मिल पाया है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करते समय मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। श्रीमन्, यह प्रतिवेदन १९६० में प्रस्तुत किया गया था और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। मेरा विश्वास है कि ऐसे प्रतिवेदनों पर बहुत ही खुले दिल और दिमाग से विचार होना चाहिये। इस प्रतिवेदन का, श्रीमन, हमारे राष्ट्र की नीतियों से, जिनका संविधान में स्थान है, संबंध है। कांग्रेस पार्टी ने उन नीतियों को अपनी पालिसी का एक अंग बनाया है। इस तरह से जब कोई काम जिसका निदेश हमारे संविधान में हो, उसे पालन करने की दिशा में, उसे कार्यरूप में परिणत करने की दिशा में अगर कोई कदम उठाया जाता है और उसमें गत्यावरोध होता है तो उस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस नजरिये से यह बात सोचने की है कि जब प्रतिवेदन १९६० में आ गया तो उसे इतने दिनों के बाद विचार के लिये रखा जाना ही अनुचित सा मालूम होता है। ऐसे सभी प्रतिवेदनों पर, जिनका संबंध हमारे राष्ट्र की नीतियों से हो, हमको शीघ्र ही विचार करना चाहिये। अब ऐसा कार्य जब होता है और जब शिथिलता पड़ती है जब कि संविधान में कहा है अबालीशन आफ अनटचेबिलिटी क बार में और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में बातें मौजूद हैं, लेकिन जब हम कार्य रूप में देखते ह तो व्यावहारिक रूप नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिये जब कोई रिपोर्ट बनती है तो विचार-विमर्श होना चाहिये। मेरा निवेदन है कि परिगणित जाति की तरफ जो सामाजिक अन्याय है उनमें से एक पहलू पर यहां विचार हो रहा है और वह है सरविसेज में उनका संरक्षण जो १० से १८ प्रतिशत हो गया है। जो मूल्यांकन समिति ने किया है उस पर हमें विचार करना है।

इस प्रतिवेदन के पढ़ने से हमें मालूम होता है कि सभी दिशाओं में सभी विभागों के जो आंकड़े हैं उनमें हम बहुत ही पीछे हैं। हमारे नियुक्ति अधिकारी, जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, वह हमारे निश्चित प्रतिनिधित्व को किसी परसेंटेज तक भी पूरा नहीं कर पाये हैं, उसमें असफल रहे हैं। तो हमें देखना चाहिये कि कौन से ऐसे कारण हैं और परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से वह उन परिणामों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं जिनको करना चाहिये। क्या कोई सरकारी कारण है? सरकार ने १८ परसेंट के लिये कहा। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, टेक्निकल अधिकारियों को छोड़ दीजिये, इंजीनियरिंग के नहीं, मेडिकल अफसर नहीं हैं, टेक्नालाजी के नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जैसे क्लेरिकल पोस्ट हैं जिनमें हाई स्कूल पास व्यक्तियों की आवश्यकता है तो उनका क्या हाल है? उनमें तो कमीबेश योग्यता के लोग भी रखे जा सकते हैं क्योंकि वह किसी अधिकारी के नियंत्रण में काम करते हैं। जैसे, सुपरवाइजर, चपरासी, कामदार, हर जिले में सहायक टीचर हैं तो इन जगहों में भी हरिजन और परिगणित जातियों के विद्यार्थियों को अवसर नहीं मिलता है। इसके बहुत से कारण हैं। अपने क्लास कैरेक्टर से, वर्ण चरित्र से नियुक्ति अधिकारी मजबूर हैं, गलत संस्कारों से मजबूर हैं। उनके सामने नियुक्ति का ऐसा प्रश्न होता है जिसके दो पहलू हैं। नियुक्ति करते समय परिगणित जाति के कम लोग रखे जाते हैं और छटनी करते समय ज्यादा लोगों की छटनी कर दी जाती है। उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में तमाम बातें आती हैं और जैसा कि चपरासियों के संबंध में तथ्य रखे गये हैं, यह बिलकुल वास्तविकता है कि परिगणित जाति के व्यक्ति इसी वजह से नहीं रखे जाते, क्योंकि कौन उनका चौका-बर्तन करेगा,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बेचनराम]

कौन पानी भरेगा, घड़ा कौन भरेगा ? यही योग्यता है उनकी नजर में चपरासी की। मंत्री जी बता रहे थे कि कोई १८ जून का जी० ओ० है जिसमें २५ परसेंट प्रतिनिधित्व रखने की बात है। मैं तो कहता हूं कि आप १० परसेंट, ५ परसेंट ही रखिये, लेकिन उसको कड़ाई के साथ पालन कराइये, दृढ़ता के साथ पूरा कराइये और अप्वाइंटिंग अथारिटी जो अपनी ड्यूटी से शर्क करती है या और भावनाओं से प्रेरित होकर दूसरों को नियुक्त करती है उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही कीजिये। जो भी अधिकारी यह कहते हैं कि अयोग्य नहीं हैं उनके करेक्टर रोल में सरकार को एडवर्स इन्ट्री करना चाहिए। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि वे यह बतलायें कि कितने ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने उस कोटे को पूरा नहीं किया कार्यवाही की गयी और क्या की गयी ? मैं समझता हूं कि जितनी भी सुविधायें आज हरिजनों को सरकार ने दी है अगर वे सभी उनको उपलब्ध हो जाया करें तो उसी से उनका काफी उद्धार हो सकता है, उनकी हालत काफी सुधर सकती है। मैंने अभी पाणिक्कर साहब की रिपोर्ट में एक जगह पढ़ा था, उसमें लिखा था कि चीन में भूमिहीन लोगों के साथ विशेष रियायत बरती जाती है और उनको जो विशेष सुविधायें दी जाती हैं उनकी देखरेख के लिए कुछ अधिकारी रखे जाते हैं जो यह देखते हैं कि वे सुविधायें उनको मिलती हैं या नहीं। वे गांव गांव में जाकर उनको उपलब्ध कराते हैं। मगर अपने यहां ऐसी कोई चीज नहीं है।

मान्यवर, अभी पुलिस विभाग में कुछ लोगों की छटनी हुई। और भी जगह जब छटनी होती है तो पहले अनुसूचित जाति के लोग ही निकाले जाते हैं। उन लोगों की नियुक्ति एक कान्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है। जब किसी का कन्फर्मेशन हो जाता है तो उसका उस जगह पर राइट हो जाता है। किसी को बिना नोटिस के नहीं निकाला जाना चाहिए। जिनकी २–४ साल की भी सेवा हुई, यहां बिना नोटिस दिए हुए ही लोगों की सेवा समाप्त कर दी गयी। छटनी के लिए जब लिस्ट आउट होती है तो नीचे से उन्हीं लोगों को छांटा जाता है जिनकी कोई पहुंच नहीं होती है। जिनकी कोई पहुंच होती है वे बने रहते हैं, दूसरे निकाल बाहर किए जाते हैं। हरिजन कर्मचारी जिनका कोई सोर्स नहीं होता, वे निकाले जाते हैं। वे ही बलि के बकरे बनाए जाते हैं। श्रीमन्, यह सब बड़े दुख की बात है। अगर हम इन सब बातों पर विचार नहीं करते तो हरिजन-उद्धार का जो हमारा अभियान है वह सफल नहीं होगा। अभी २० बी० डी० ओ० निकाले गए, उसमें से १३ हरिजन थे, लेकिन अभी भी ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है।

तो मेरा, श्रीमन्, निवेदन यह है कि अगर आप चाहते हैं कि देश में हरिजन उद्धार का जो अभियान चलाया गया है वह सफल हो तो आप जो भी रिजर्वेशन रखें, चाहे वह १० या ५ प्रतिशत ही हो, वह अवश्य पूरा होना चाहिए। जो भी अधिकारी उसको पूरा नहीं करते, जो उनके मार्ग में रोड़ा बने रहते हैं, उनको अवश्य दण्ड मिलना चाहिए, ताकि वे अपनी मनमानी न कर सकें। जो सुविधायें और अधिकार हरिजनों के लिए सरकार ने दे रखे हैं वही इतने काफी हैं कि अगर उनको ठीक से काम में लाया जाय तो काफी उद्धार हो सकता है। ग्रान्टों के बारे में धेबरभाई ने कहा था कि हरिजनों और आदिवासियों को ग्रान्ट ब्लाकों में मत दो, इन्हें उन लोगों को दो जो गांधी विचाराधारा के हैं और सभी लोगों से हम हरिजन उद्धार की आशा नहीं कर सकते। इसमें विशेष प्रतिज्ञा वाले और हरिजन विचारधारा वाले लोग ही ठीक से कार्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की जिले के स्तर पर कमेटी बनाओ जिन्हें हरिजनों के उद्धार में प्ररणा है, जो इसके लिए व्रतधारी हैं। कई जिलों में हमने देखा कि हरिजन अनुदान ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। हमारे जिले में डी० पी० ओ० और दूसरे अधिकारी मिलकर एक कमेटी किया करते थे। लेकिन अब वह नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि ऐसी कमेटियां होनी चाहिए जो हरिजनों के हितों की रक्षा करें। संविधान के नाम पर जो इसे पूरा होना जरूरी समझते हैं, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में यह चीज होनी चाहिए।

हरिजनों का लोक सेवा आयोग में प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। हमारे यहां अच्छे से अच्छे एस० पी० और जिलाधीश हैं। उन एस० पीज ने मानसिंह के बेटे तहसीलदार सिंह को पकड़ा और २४, २४ साल से वह एस० पी० का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप कमीशन में रख सकते हैं। यह संविधान और कंट्री का काज है। इस ब्लैक स्पाट को धोना है। जो सरकारी कर्मचारी सरकार की नीतियों के विरुद्ध कार्य करते हैं उनको दण्ड मिलना चाहिए और वह हम लोगों को मालूम होना चाहिए।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अच्छा हुआ कि ८ दिन के निलम्बन के बाद एक ऐसी चर्चा हमें आज मिली। तो उस पर हमको याद पुरानी आती है, पुरानी याद। बापूजी कहा करते थे कि मैं चाहता हूं, तलाश कर रहा हूं, कि हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति कोई हरिजन हो, प्रधान मन्त्री कोई किसान मजदूर हो, जो मन्त्री बैठे रहते हैं यहां भी और लोक सभा में भी, वे उनके किलरक बनकर काम करें। यह बापूजी की कामना थी। लेकिन आज हम देखते क्या हैं? इस रिपोर्ट में हमारे मतलब की बात है ही नहीं। यह मुझे कोरी खराब मालूम होती है। इसे पढ़कर मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि इसमें "कुछ नहीं" अधिक लिखा है। नैनीताल में जनरल ४१ और हरिजन कुछ नहीं। और कहां? कृषि विभाग में इसमें लिखा है। फिर "कुछ नहीं।" निदेशक, समाज कल्याण है, इसकी ३ लाइन में "कुछ नहीं"। फिर, राजकीय सीमेंट फैक्ट्री चुर्क, इसमें भी "कुछ नहीं"। तो इसे तो मैं पढ़ूं ही क्या? इसमें हम कुछ नहीं पढ़ते। हम अपनी बात कहना चाहते हैं।

समाजवादी पार्टी ने डंके की चोट कहा है कि अछूत जाति को, अछूत जिसे कहते हैं, गिरी हुई जाति को, विशेषकर गांधीजी के प्राण को, ६० परसेन्ट स्थान बड़ी-बड़ी जगहों में दो। अब हम जानना चाहते हैं कि देश में अछूत राज्यपाल कितने हैं। फिर चलिए, दूसरे नम्बर पर कमिश्नर कितने हैं? इसी सूबे में आ जाइए जिसमें हम प्रतिनिधि बनकर आये हैं। कितने विभागों के हेड हरिजन हैं? फिर, जिलाधीश कितने हैं? हां, यह सरकार हमको धोखे में डालती है जो उधर कांग्रेस के टिकट की छत्रछाया में एम० एल० ए० और एम० पी० बने हैं वे हरिजनों की हकतलफी कराते हैं। हरीसिंह जी या बैजनाथसिंह जी नाराज हो जावें। अगर इन कुचली हुई जनता की हकतलफी कराने के जिम्मेदार पापी है तो ये उधर के विधायक हैं। हम नहीं हैं। हम तो कहते हैं कि स्वराज्य के कोई मायने नहीं हैं, समाजवाद खाक नहीं, जब तक इन २ करोड़ जनसंख्या को ६० परसेन्ट स्थान बड़ी-बड़ी जगहों पर न दिए जावें। हरीसिंह जी, स्थान दिया कहां जाता है? या तो बस कन्डक्टर बना दिए जाते हैं, या और अगर जोर मारते हैं तो ब्लाक के चौकीदार या चपरासी बना दिए जाते हैं। और थोड़ा जोर मारते हैं तो अध्यापकी में ले लेते हैं। एम० एल० ए० लोग जनता को अपने जाल में फांसते रहते हैं और उनसे वोट लेते रहते हैं। हां, एक जगह जरूर यह ठीक हक दे देते हैं, एम० एल० ए० और एम० पी० की सीट तो ठीक दे देते हैं नहीं तो फिर यहां हमारे शान्तिप्रपन्न शर्मा जी मन्त्री कैसे बनेंगे? बाकी और सब जगह हकतलफी करा रहे हैं।

एक सदस्य—

इसे भी खत्म कराना चाहते हैं?

श्री लखीसिंह—

नहीं जी, मैं तो और चाहता हूं। मैं तो समाजवाद की बात कह रहा हूं कि अगर भुवनेश्वर के समाजवाद में सत्यता है, सत्य और अहिंसा से पास किया है, तो इनको ६० परसेन्ट स्थान देना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखीसिंह]

चाहिए। एक भी चीज समाजवाद की आप न लावें और हमसे कहें कि कांग्रेस में चले आओ, कांग्रेस में, श्रीमन्, कैसे चले जावें, आप तो चले गए.....

श्री अधिष्ठाता--

जैसे मैं चला गया।

श्री लखीसिंह--

हम भी पुराने कांग्रेसी हैं, मन हमारा भी करने लगता है, लेकिन ऐसी कांग्रेस में? ऐसी कांग्रेस में हम नहीं जा सकते। अच्छा, एक ही काम कराओ। चलो, इस काम को कराओ कि जनसंख्या के आधार पर जो हरिजनों की है उनको बड़ी-बड़ी नौकरियों में लो। तब हम आपको मानेंगे कि भुवनेश्वर के प्रस्ताव में कुछ सच्चाई है। नहीं तो, कोरी चार सौ बीसी है, धोखा है, बिल्कुल सफेद धोखा है। श्रीमन्, अभी तक यह हो रहा है, बड़ी बड़ी नौकरियां, बड़ी-बड़ी जगहें तो दरकिनार रहीं, हम तो पुराने आदमी हैं, सन् ३० और ३१ में सहभोज हुआ करता था। बापू जी न जब अनशन किया तो उन्होंने कहा कि सहभोज करो हरिजनों के साथ। उनके घरों में जाओ, खाना खाओ, कच्चा खाना खाओ। कच्चे से यह मतलब नहीं कि वह सिके नहीं। तो वह सहभोज हुआ करता था। वह भी अब स्वराज्य होने के बाद बिल्कुल बन्द हो गया और उनको और ज्यादा अछत बना दिया। यहां तक बात है कि आज जो असली हरिजन हैं, शुद्ध हरिजन, वह तो अभी प्यासे मर रहे हैं, उनको पानी तक नहीं मिल रहा है। घड़े को लिए फिरते हैं, पराधीन हैं। कहां हैं सीताराम जी? इस विभाग के मन्त्री ही नहीं हैं....

श्री अधिष्ठाता--

भोजन करने गए हैं।

श्री लखीसिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कितने अन्याय की बात है कि इस विभाग के मन्त्री भी नहीं हैं यहां पर, तो अब मैं किससे कहूं? ठीक है, शर्मा जी हैं लेकिन उनको बैठना चाहिए और हमारी एक-एक बात नोट करनी चाहिए। हम विरोधी पक्ष की ओर से नहीं कह रहे हैं। हम बड़े दुखी होकर कह रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी तक इस सरकार ने मुकम्मिल रूप से उनके लिए पीन के पानी का इन्तजाम नहीं किया है। सीटों का हक तो क्या देगी? यहीं तक नहीं, एक मैं बताऊं अपने जिल की बात। एक भग्गो नाम की दाई है, हरिजन। वह फरह कस्बे के अन्दर स्वास्थ्य विभाग में है जो श्री दाऊदयाल खन्ना जी का विभाग है। वहां के हेल्थ आफिसर ऊंची जाति के लोग हैं और बड़ी डाक्टरनी वगैरह जो हैं वह सब ऊंची जाति की हैं....

श्री अधिष्ठाता--

देखिए, मिनिस्टर साहब आ गए हैं।

श्री लखीसिंह--

भग्गो दाई को महज हरिजन भंगी समझ कर दाऊ जी की सड़क पर डाल रखा है, कई जगह उसका तबादला कर दिया गया है। सीताराम जी, सुन लीजिए। आपका नाम तो बड़ा पवित्र है। आपके विभाग में सबसे बड़ी गड़बड़ी है, जरा कस के काम करो। आपके विभाग का काम हो गया तो मैं समझूंगा कि स्वराज्य हो गया। स्वराज्य के मानी हैं अपना राज्य, अभी अपना राज्य है कहां? अभी तो उनको पानी पीने का भी अधिकार नहीं है। आजकल अधिकतर वही लोग भूखों मर रहे हैं। उनके पास न जमीन है, न उनका कोई घर है। आपने कानून बना दिया है जमीन नीलाम करने का, हमारे यहां ग्राम के प्रधानों ने नीलाम किया है, उनको कैसे मिल सकती है? यह मैं इस सरकार की बात कह रहा हूं। पंजाब की सरकार

ने किया है, उसकी तरीफ में करता हूं। उन्होंने हरिजनों के मकानों के लिए बिल्कुल फ्री जमीन दी है और उस पर पक्के मकान बनवा दिए हैं, लेकिन आपकी तरफ से तो बड़ी जाति हरिजन, छोटी जाति हरिजन, बड़ी जाति छोटी जाति ठाकुर, बड़ी जाति छोटी जाति ब्राह्मण और बड़ी जाति छोटी जाति बनिया किया जाता है। आपके यहां से बड़ी जाति के लिए अनुदान दिया जाता है, छोटी जाति के लिए नहीं दिया जाता है। छोटी जाति के हरिजनों के लिए आप पानी का प्रबन्ध भी नहीं कर पाये हैं।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

अधिष्ठाता महोदय, यह प्रतिवेदन जो आज सदन के सामने, सरकारी नौकरियों में हरिजनों को स्थान दिए जाने के सम्बन्ध में है, पेश किया गया है। अधिष्ठाता महोदय, हरिजनों की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। इस पर जिस ढंग से कार्य होना चाहिए था, वह हमारी सरकार नहीं कर सकी। जब सरकार इस कार्य को करने में कुछ विवश रही या जो भी और कारण हों, सब लोगों ने यह मांग की कि इस तरह की एक कमेटी बने जो यह जांच करे कि हरिजनों को सरकारी नौकरियों में जो १८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वह क्यों नहीं मिल रहा है। जब यह कमेटी बनी तो भी बड़ी मेहनत के बाद और बड़े संघर्ष के बाद बनी।

(इस समय २ बज कर ७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

मेरी जानकारी यह है कि इस सदन में विचारार्थ भी यह प्रतिवेदन बहुत कठिनाई के बाद आ पाया है। यह ऐसा विषय है, जैसा कि मैंने कहा--एक राष्ट्रीय समस्या है जिसका सम्बन्ध केवल हरिजनों से ही नहीं है और जिस दिन हमारी सरकार इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझ लेगी तब मैं समझता हूं कि उतनी बड़ी उपेक्षा हरिजनों की सर्विसेज में या अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी नहीं रह पायेगी जितनी कि आज है। इसको सही राष्ट्रीय समस्या का रूप ऋषि दयानन्द और महात्मा गांधी ने समझा था और इसीलिए उन्होंने हृदय से समझा था कि बगैर हरिजनों के सुधार व उत्थान के इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है।

जो यह सरकारी सर्विसेज की रिपोर्ट है और आये दिन उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार को हम देखते हैं, तो सरकार को चाहिए कि यह बहुत दिनों से मांग है और आये दिन सवालों के जरिए भी तथा इस प्रतिवेदन में भी यह मांग की गयी है कि सरकारी सर्विसेज जो मिलती हैं उनमें पक्षपात होता है। जब सरकार उस पक्षपात को समझती है और उसका निराकरण चाहती है तो पब्लिक सर्विस कमीशन में एक हरिजन मेम्बर कर देने में उसे क्या कठिनाई है, मैं समझ नहीं पाता। अगर वह पक्षपात की बात सही मानती है या नहीं मानती है, दोनों दृष्टि से मैं कहता हूं कि १७ वर्ष के स्वराज्य के बाद भी अगर हम कमीशन को एक हरिजन मेम्बर नहीं दे पाए तो हरिजनों को और सन्तुष्टि आप कैसे करेंगे? मैं सरकार के हित में ही यह कहता हूं कि सरकार इस आक्षेप से बरी हो सकती है यदि वह एक हरिजन मेम्बर कमीशन में भेज दे। फिर एक यह बात भी सही है कि हरिजनों का एक मेम्बर कमीशन में हो जाने से उन लोगों को इससे काफी सन्तोष होगा कि उनका एक मेम्बर वहां है और उसकी जिम्मेदारी सरकार से हट कर उस मेम्बर के जिम्मे चली जायगी, लेकिन लगता नहीं सरकार क्यों इस जिम्मेदारी को अपने जिम्मे से नहीं हटाना चाहती। मैं तो खुले दिल से कहता हूं कि इसका मतलब साफ यह है कि सरकार इस शिकायत को जारी रखना चाहती है और वह किसी हरिजन मेम्बर की सेवा कमीशन में नहीं लेना चाहती। आज जबकि हमारा देश इस संकट से गुजर रहा है तो सरकार को चाहिए कि वह हरिजनों को अपने विश्वास में ले। केन्द्रीय कमीशन में तो केन्द्रीय सरकार द्वारा एक हरिजन मेम्बर आ चुका है और मैं कहता हूं कि उसने दूरदर्शिता की है और बड़ी समझदारी से काम लिया है। लेकिन जिन प्रदेशों में अभी यह काम नहीं हुआ है, खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश के लिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]
कहता हूं कि सरकार को चाहिए कि वह यहां के पब्लिक सर्विस कमीशन में एक हरिजन मेम्बर दे दे, इससे एक तरह से उनका छुटकारा हो जायगा।

हरिजनों के संरक्षण की बात आप पहले मान चुके हैं और इसे कह चुके हैं कि उनको सर्विसेज में १८ प्रतिशत रिजर्वेशन देंगे, आपके संविधान में भी कहा जा चुका है और फिर भी आप उस पर अमल नहीं करवा पाते, तो इसके लिए मैं सरकार को ही दोषी मानता हूं। सरकार इस बात के लिए दोषी है कि जो वह कहती है उसे करती नहीं। अगर न कहे तो वह काफी बच सकती है लेकिन जैसा कि माननीय बेचनराम जी ने कहा कि भले ही हमें १८ प्रतिशत मत दो, ५ प्रतिशत दो, १० प्रतिशत दो, लेकिन आप जो कहें उसे जरूर दें। यह बहुत ही उचित व सही मांग है कि सरकार जो कहे उसे जरूर करे और उसके करने में जो बाधायें हों, चाहे वह उच्च वर्ग के लोगों द्वारा हों, चाहे उच्च वर्ग के आफिसरों के द्वारा हो, जो भी इसके लिए उत्तरदायी हो उसको सरकार सजा दे और आवश्यक हो तो उसको नौकरी से भी हटा दे। एक भी ऐसा उदाहरण सरकार ने शुरू किया होता तो आज दूसरी ही स्थिति होती। सरकार को इसके लिए कोई स्टेप लेना चाहिए कि जो लोग हरिजनों को नौकरी देने में कुछ अड़चन डालते हों और हरिजनों को सर्विसेज में १८ प्रतिशत रिजर्वेशन न देते हों उनके साथ सख्ती करे, उनसे जवाब तलब करे, उनसे पूछे और आवश्यक होने पर उनको दण्ड भी दे, तो मैं समझता हूं कि यह समस्या सुलझ सकती है। लेकिन मुझे सरकार के इरादे में शक है और वह सही शक है। रोज किसी न किसी रूप में यह विषय आता है। आज ही यह विषय नहीं आया है। प्रश्नों के द्वारा, बजट के समय यह प्रश्न आता है। अभी मैं भाई राम सुमेर जी की बात सुन रहा था। तमाम इस तरह के गैरसरकारी सुझाव आते हैं लेकिन इस प्रश्न को बराबर टाला गया और टाला जाता रहा है। मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि अब वह वक्त नहीं रहा है कि हरिजन समस्या को इतनी देर तक टाला जाता रहे और इस तरह से लापरवाही उस के प्रति दिखाई जाती रहे और अगर अब भी वह नीति जारी रही तो देश को एक भयंकर खतरा उठाना पड़ेगा। उन के सम्मान को अब अगर अधिक ठेस पहुंची तो एक संकट खड़ा हो सकता है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस राष्ट्रीय संकट को समझा जाय, यह एक राष्ट्रीय संकट है यह कोई यहीं के हरिजनों की बात नहीं है। उनकी समस्या को वही रूप दिया जाय जो महात्मा गांधी चाहते थे, वह चाहते थे—जैसे कि अभी श्री लखीसिंह जी बता रहे थे, कि आज चपरासियों की मांग कर रहे हैं कि उन का प्रतिशत १८ का कर दो, उतना ही नहीं, महात्मा गांधी का स्वप्न था कि राष्ट्रपति के पद पर भी हरिजन विराजमान हों, बड़े-बड़े पदों पर भी वह जायं। कोई खाली आर्थिक लाभ की ही उनकी बात नहीं है कि उन को नौकरियां मिल जायं, वह बड़े पदों पर पहुंच जायं बल्कि उनकी इस समस्या के हल से एक सामाजिक क्रान्ति का श्रीगणेश होता है और उससे उनको समाज में उन का समुचित स्थान मिलता है और उससे देश की मिलीजुली ताकत और बल बढ़ता है। इसलिए इस प्रतिवेदन में जो मांग की गई है और जो सरकार के लिए सम्भव है और जिस के बारे में सरकार ने कह रखा है कि इतना देंगे तो वह तो उन्हें देना ही चाहिए।

मैं इस अवसर पर खास तौर से उन मन्त्रियों से निवेदन करना चाहता हूं जो हरिजन मन्त्री हैं। यह शिकायत काफी कम हो जाय अगर हरिजन मन्त्री ही अपने विभागों में १८ प्रतिशत उन का पूरा करा दें। कमीशन में हरिजन हो यह भी ठीक है लेकिन उन मन्त्रियों को इस दिशा में जरूर कदम उठाना चाहिए। जैसे कि माननीय चरणसिंह का हवाला देकर एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि उन्होंने अपने विभाग में एलान किया है कि जब तक वहां १८ प्रतिशत हरिजन उनके यहां पूरे न हो जायेंगे दूसरे लोगों को नौकरी नहीं दी जायगी। हरिजनों को काफी बल मिले अगर हरिजन मन्त्री ही अपने विभागों में १८ प्रतिशत पूरा कर के दिखा दें। अगर हरिजन मन्त्री तक ऐसा नहीं करा सकते तो फिर यह सब के लिए सोचने की बात हो जाती है। इन शब्दों के साथ मैं अन्त में सरकार से निवेदन करूंगा कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है, इसका हल भी राष्ट्रीय ढंग से ही सोचा जाय और जो वादा सरकार उनसे कर चुकी है उसे अवश्य पूरा करे और यही देश और प्रदेश के हित में होगा।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)--

उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों का जो रिजर्व प्रतिशत है जिस की पूर्ति नहीं हो पा रही है उस विषय पर विचार कर रहे हैं । आज देश में जो दल शासक के रूप में स्वराज्य प्राप्ति के बाद सत्तारूढ़ हुआ है उस के सामने यह प्रश्न सर्वप्रथम सन् १७ में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में आया था और उसी समय कांग्रेस की महासभा ने वहां यह निश्चय किया था कि देश में व्याप्त छुआछूत की समस्या को पूरे तौर पर समाप्त किया जायगा और एक समानता सारे भारतीय समाज में लाई जायगी और उसके बल पर नागरिक नागरिक में कोई भेदभाव नहीं रह जायगा । किन्तु सन् १७ से आज तक जो संस्था ऐसे पवित्र ध्येय को लेकर चली थी शासनारूढ़ होने के बावजूद, राष्ट्र की बागडोर अपने हाथ में रखने पर भी अपने उस पुनीत व्रत को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकी, इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है ?

यह रिपोर्ट जो प्रस्तुत है इस के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसके निर्णय इसलिये ठीक हैं क्योंकि उसमें अधिकांश सदस्य अनुसूचित जाति के थे । इस रिपोर्ट में जिन बातों पर विचार किया गया है वह भी सराहनीय हैं और जिन बातों को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने न्याय प्रियता का प्रदर्शन किया है, वह भी सराहनीय है । किन्तु जब जगह-जगह पर सदस्यों ने असमर्थता प्रकट की है तब सरकार को सोचना चाहिये कि जिन आदमियों को कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं उनका असंतोष किस प्रकार दूर होगा और ऐसा वातावरण देश में होगा जहां विद्वेश नहीं होगा । उसको जब तक कार्य रूप में परिणत नहीं किया जायगा तब तक इस रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं है । इस समिति के सदस्यों ने पहले पेज पर लिखा है कि सरकार अब तक तमाम अपने वायदों को पूरा करने में असमर्थ रही है । असमर्थ रही है या स्वयं असमर्थ है, इस पर सोचना चाहिये । हम समस्याओं को अलग करने में होशियार हैं । १९१७ से अपनी बात कह रहे हैं और बराबर समाज में मगरमच्छ के आंसू बहाकर हरिजनों का मुंह धोते चले आये हैं, जिनके मानवीय अधिकारों को कुचला गया है, जिनको इनसान नहीं समझा गया इसका पाप उन्हीं पर है जो प्रिविलेज क्लास का अपने को कहते हैं । जिस सरकार ने देश में समता लाने का उत्तरदायित्व लिया हो, जो समाजवाद का ढिंढोरा पीटती हो, जो संविधान के अनुसार अधिकारों को दिलाने में असमर्थता का सर्टिफिकेट अपने ही सदस्यों द्वारा लेती हो उसके लिये क्या मुंह रह जाता है जो जनता के सामने कुछ कह सके ? हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, अपनी खामियों को देखते हैं और उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आया उन बातों पर जिनके बारे में असंतोष है उनको पूरा करते हैं । इस रिपोर्ट में है कि उन्होंने कार्यालयों का निरीक्षण किया और विभागाध्यक्षों से बातें कीं और संख्या नगण्य रूप में मिली। कहीं पर कुछ नहीं जिसको देख कर शरम आती है । जो प्रदेश संस्कृति का केन्द्र रहा, जहां महापुरुषों ने जन्म लिया वहां के आदमी अपने अधिकारों से वंचित रहें, इससे ज्यादा और शरम की क्या बात हो सकती है ?

उन्होंने विभागों से रिपोर्ट मांगी तो साफ इनकार आता है कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं। १९४७-५३ के आंकड़े शून्य हैं, जबकि केन्द्रीय सरकार पूर्णतः कोशिश कर रही थी, वहां अनुसूचित जाति के कमिश्नर नियुक्त कर दिये गये रिपोर्ट तैयार करने के लिये । हमारे आदरणीय बाबा साहब ने प्रश्न किया, शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर केन्द्र में अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को देते ह कि कहां क्या हो रहा है, कि इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दें तो वहां पर वह रिपोर्ट पूरी तरह से नहीं आ पायी । असंतोष, असंतोष के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता । यही बातें इस समिति के सदस्यों के सामने आयीं । १९५३ के बाद के कुछ रेकार्ड मिले, कहीं १, कहीं डेढ़ प्रतिशत अन्यथा सब जगह निल, निले । यह क्या रिपोर्ट है ? क्या आपका साहस है जिसके बल पर आप जनता के सामने डींग मारते हैं ? कम से कम मैं जानता हूं कि स्वतंत्र देश में जनतंत्र की मर्यादाओं के लिये बलिदान देना होता है । संसार के राष्ट्रों में जहां पर स्वयं बलिदान की वेदी पर खड़े होकर अध्यक्षों ने अपने सिर कटाये हैं तभी प्रगति प्रतीत होती है। आज हम अपनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री खेम चन्द]

व्यवस्था में तमाम असमानताओं को लाद कर चल रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिये हम कौन" सा आदर्श उपस्थित करते जा रहे हैं। कौन-सी बात यहां पर पूरी हुयी? किस अधिकार प्राप्त अधिकारी ने संघर्ष किया? कुर्सी प्यारी लगती है और जब कोई इन कुर्सियों पर बैठता है तो वे भूल जाते हैं कि उसके नीचे समाज की क्या दशा है। आगे चलकर इस रिपोर्ट में यह बताया गया है जो उन्होंने उपसंहार दिया कि सदस्यों के सामने कठिनाई आती हैं। वे कठिनाइयां कौन-सी हैं? वे हैं डिपार्टमेंटल अकर्मण्यतायें। मान्यवर, इस प्रदेश की सरकार जिम्मेदारी के साथ यही कह सकती है कि हमने अलग से एक मंत्रालय खोल रखा है जो इन नागरिकों के अधिकारों की ठीक प्रकार से सुरक्षा कर सके। क्या वह मंत्रालय कुछ कर सकता है? हमारे जगजीवन राम जी, ने जब वे रेल मंत्री थे, चाहा कि यहां पर १८ फीसदी का कोटा पूरा हो, तो वहां पर एक सफेद पोश कांग्रेसी ने कहा कि जगजीवन राम अन्याय कर रहे हैं। ये शिड्यूल्ड कास्ट की ज्यादा भर्ती कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं नागरिकों की भावनाओं की बात करता हूं। एक बार मैं दिल्ली में राजा मंडी में जा रहा था। वहां पर मुझे मेरा एक क्लास फैलो मिला उसने कहा कि भाई शेड्यूल क्लास एंड फेयर सैक्स इज ए प्राब्लम। यह हमारे गौर का विषय बनता है कि हम इस प्रकार की बातें करते हैं। नारी एक समस्या के रूप में रही। उसको हमने अकर्मण्य बनाया, उसे घर के काम में रखा, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट जिनके सीमित अधिकार हैं, जिनके नम्बर वहां पर निश्चित हैं १२ १/२ परसेन्ट सेन्टर में और यहां पर १८ १/२। तो शेष ८१ १/२ परसेन्ट के लिये क्या होता है? वास्तव में आज जो अधिकारी हैं वे भूल जाते हैं कि हमसे भी कोई नीचे हैं। जब यह पिछड़ा वर्ग अपने अधिकारों की मांग करेगा तभी सीटों का विभाजन होगा, तो क्या होगा। आदरणीय बापू जी ने कहा था कि इस देश में या तो आर्थिक आधार पर डिवीजन करो और अगर नहीं करते हो। तो देश से जातिवाद को खत्म करो और जातिवाद को खत्म नहीं करते हो तो उसे एक सामाजिक इकाई मानो और हर इकाई का प्रतिनिधि जनतंत्र की रक्षा करे। अगर इकाइयों के प्रतिनिधि यहां बैठते हैं तो डेमोक्रेसी सफल हो जायगी और हर वर्ग उस हालत में अपने अधिकारों की रक्षा करने का दावा कर सकेगा। एक तरफ आप जाति की रक्षा का दावा करते हैं, दूसरी तरफ उसे अधिकार नहीं देना चाहते। जनतंत्र में नागरिकों को पूर्ण अधिकार देने की बात तभी पूर्ण हो सकती है जब हम सरकारी रूप से किसी कदम को उठायें। वर्ना इस रिपोर्ट को पढ़ कर हम क्या करेंगे और इन आंसुओं को बहा कर क्या करेंगे? ये मगर मच्छ के आंसू बहा कर हम देश का भला नहीं कर सकते और न जो असंतोष है उसे ही दूर किया जा सकता है। ओवर लैपिंग हो रही है। एक तरफ जो साधन सम्पन्न हैं वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरी तरफ वे आदमी जो संख्या में अधिक हैं, लेकिन साधनहीन हैं, उनको डिवाइड ऐंड रूल के जरिये उनका शोषण किया जाता है, उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया जाता है। तो जो लोग उनके प्रति न्यायप्रियता का दावा करते हैं वह अत्यन्त ही अमान्य है। इन तमाम बातों के रहते हुये और जो बातें यहां कही गयी हैं उन पर गौर करने के पश्चात् यह सरकार जो सेक्रिफाइस का प्रतिबिम्ब मानी जाती है, जिसका दावा है त्याग और बलिदान की कसौटी पर कसे जाने का, उसके त्याग और बलिदान की सबसे बड़ी कसौटी का परिचायक यही है कि वह ईमानदारी और दयानतदारी बरते और जो सिफारिशें प्रतिवेदन में दी हुई हैं उन पर पूर्णरूपेण अमल करे।

श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में राजकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व के बारे में प्रतिवेदन पेश हुआ है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। १९५९ में श्री राधाकृष्ण समिति इस सदन द्वारा कायम हुई और उससे प्रतिवेदन मांगा गया कि प्रान्त भर से घूम कर पता लगायेगी कि हरिजनों को १८ प्रतिशत रिजर्वेशन दिया गया है अथवा नहीं। उसने अपनी रिपोर्ट ६० में दी और यह प्रतिवेदन इस सदन में बहुत जल्दी आना चाहिये था, लेकिन आज ४ साल के बाद प्रस्तुत किया गया। उसको देखने से यह पता चलता

है कि इस विधेयक में कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें सरकारी आदेशों के अनुसार १८ परसेंट रिजर्वेशन हरिजनों को दिया गया हो । केवल २ से लेकर ५ परसेंट तक स्थान भरे गये हैं । प्रतिवेदन के अध्याय ६, पैरा ४० में आप देखेंगे यह लिखा हुआ है--"इससे यह विदित होगा कि १९४७ से १९५३ तक की अवधि में ७६,०२२ की कुल भरती में से ३,७६५ (४.९७ प्रतिशत) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी भर्ती किये गये । १९५३ से १९५९ तक की अवधि में २,११,३०४ में से ७,५१५ (केवल ३.५५ प्रतिशत) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी भरती किये गये। इससे यह प्रकट होता है कि १९४७ से १९५३ तक की अवधि में ७,६०१ पद सामान्यतया अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को मिलने चाहिये, किन्तु उन्हें केवल ३,७६५ पद मिले जो उनके अभ्यंश (कोटा) का ४९.५ प्रतिशत होता है और १९५३ से १९५९ तक की अवधि में २,११,३०४ पदों में से उनके हिस्से में ३८,०३४ पद आने चाहिये थे, किन्तु उन्हें केवल ७,५१५ पद मिले जो उनके अभ्यंश का १९.५ प्रतिशत होता है । इससे प्रगट होता है कि अनुसूचित जातियों के लिये जो रिजर्वेशन १० से बढ़ाकर १८ प्रतिशत किया गया था उसमें भी कमी की गई । इसी तरह से अन्य जगहों को भी देखा जाय तो कम से कम जगह हरिजनों को दी गई हैं । जब सरकार ने आदेश दिये हैं कि १८ प्रतिशत हरिजन रखे जायं तो अधिकारी क्यों नहीं रखते हैं? इसका भी एक खास कारण है । बड़ी नौकरियों को छोड़ दीजिये जिनके लिये यह कह कर टाल दिया जाता है कि योग्य व्यक्ति नहीं मिलते हैं । लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि छोटी-छोटी जगहों पर भी जैसे चपरासी, लेखपाल और रोडवेज के कर्मचारी हैं, जहां योग्यता का कोई सवाल नहीं है, वहां हरिजनों को क्यों नहीं रखा जाता है ? आजकल बहुत से जगह हरिजन बच्चे हाई स्कूल और इंटर पास करके मारे मारे घूम रहे हैं उनको ये जगहें क्यों नहीं दी जाती हैं, इसका कारण यह होता है कि चपरासी खाली आफिस का ही काम नहीं करता है बल्कि आफिसरों के बच्चों को खिलाता है, कपड़ा धोता है, खाना बनाता है और घर के सारे काम करता है । अगर अछूत चपरासी रखा जाता है तो उनकी देवी जी खाना नहीं खा सकती हैं और उसको घर के कामों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है । इसलिये मैं मांग करूंगा कि इन छोटी-छोटी जगहों पर जब तक हरिजनों का कोटा पूरा न हो जाय। दूसरे न रखे जायं ।

शिक्षा के संबंध में जो हरिजनों को सुविधा दी गई है तो क्या यह मतलब है कि पढ़-लिख कर वह बेकार घूमें ? उनके पास जमीन भी नहीं है इसलिये उनके लिये कोई न कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा । शुरू से ही जातिपांति के झगड़े खड़े किये जाते हैं । हरिजन विभाग से छात्रावास के लिये अनुदान दिया जाता है, लेकिन उन छात्रावासों में हरिजन नहीं रहते हैं और उनसे हरिजनों को कोई लाभ नहीं होता है । इनका नाम मिश्रित छात्रावास होना चाहिये और दोनों वर्ग के लोग उनमें साथ-साथ रहें। वैसे आदेश हैं कि सब बच्चे एक बर्तन में पानी पियें और साथ-साथ रहें, लेकिन सारी बातें कागज पर ही हैं और किसी नियम की पूर्ति नहीं की जाती है । छोटी-छोटी जगहों पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो बड़ी जगहों में कैसे पूर्ति कर सकेगी, जहां के लिये ये लोग कहते हैं कि इनकी टाई ठीक नहीं है, इनका कद ठीक नहीं है ? सरकार को इस पर उचित ध्यान देना चाहिये ।

पिछले बजट सेशन में मैंने डाक्टर साहब से कहा था कि हरिजनों के विकास के लिये रुपया तो काफी दिया जाता है, लेकिन हरिजनों के इस्तेमाल में नहीं आ पाता है। जब जिला कमेटी थी तब तो कुछ पैसा हरिजनों को मिल जाता था, उनके मकान बन जाते थे, उनके कुयें बन जाते थे, लेकिन जब से ब्लाक में रुपया दे दिया है, तब से हरिजनों को नहीं मिल पाता। प्रधान के आदमियों को ही मिलता है। यह रुपया जिला कमेटी के सुपुर्द किया जाय। जो भी प्रतिशत मिला है उसमें अन्याय किया जा रहा है । अभी पता चला है कि १०० बी० डी० ओज० को अलग कर दिया है, लेकिन सभी के आदेश अभी नहीं दिये गये हैं, लेकिन जहां तक आदेश जा चुके हैं २४ आदमियों में से १३ हरिजन बी० डी० ओ० निकाले गये हैं । यह वह बी० डी० ओ० थे जिनका कार्य बिलकुल ठीक रहा, जिनके कैरेक्टर रोल बहुत ही सुन्दर हैं और उनके खिलाफ कोई

[श्री रामसमझावन]

भी बात नहीं है । लेकिन क्या कारण है कि उनको सेवा से निकाला गया ? कहने को तो सरकार कह देती है कि अनुसूचित जाति को रिजर्वेशन दिया गया, इतना कोटा दिया गया, सुविधा दी गई, लेकिन उसके बाद १ साल के अन्दर, २ साल के अन्दर और ३ साल के अन्दर उनको निकाल दिया जाता है । तो मैं सरकार से पूंछना चाहता हूं कि क्या वह कोटा जो हमको हरिजनों के लिये दिया गया । वह पूरा हो सका है ?

इसी तरह से दूसरा प्रश्न मेडिकल कालेज में अनुसूचित जाति के छात्रों के भर्ती के बारे में आया । ११ जगह हरिजनों के लिये रिजर्व थी, लेकिन उसमें बैकवर्ड रखे गये । क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह बैकवर्ड अनुसूचित में कैसे मिल गये ? मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उनके लिये कोटा अलग रखें और उनके लिये निश्चित नियम हों और उन सारे नियमों को सरकार द्वारा पूरा किया जाये । हरिजनों और बैकवर्ड के लिये अलग अलग कोटा रखा जाना चाहिये । अगर आप में हरिजनों के प्रति उत्साह है, भावना है और सचमुच आप चाहते हैं कि हरिजन और बैकवर्ड, जो सदियों से नीचे दबे हुये हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको मानव अधिकार देना चाहते हैं, उनको समाज में एक आदर का स्थान देना चाहते हैं, तो आपको उनके रिजर्वेशन के सिलसिले में विशेष ध्यान देना चाहिये । देश में, प्रान्त में और जिले में एक ऐसी कमेटी होनी चाहिये जो इस पर पूरा ध्यान रखें । वह हरिजनों की भरती की जानकारी रखे, हरिजनों को शिक्षा के बारे में जानकारी करे और हरिजनों की सेवाओं के बारे में जानकारी रखे और वह उनको वह सुविधा और सहूलियतें दिलाये जो उनको नहीं प्राप्त हैं ।

मैं तारीफ करूंगा सरकार की कि उसने एक कमेटी बनाई है, जो जानकारी प्राप्त करे कि हरिजनों को जो १८ प्रतिशत रिजर्वेशन का कोटा दिया गया है, वह पूरा हुआ है या नहीं । यह कमेटी ४ साल पहले बनाई गई थी, जिसने रिपोर्ट दी थी कि कोई भी स्थान ऐसा नहीं है, जहां पर १८ प्रतिशत हरिजनों का कोटा पूरा है । तो मैं जानना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट के बावजूद सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ? उसमें आखिर सरकार का भी तो कर्त्तव्य है । सरकार तो अपना कर्त्तव्य नहीं समझती है । उसकी जिम्मेदारी है कि वह इन कमियों को पूरा करने के लिये, जिनको पूरा करने का सरकार ने निश्चय किया है, देखे कि किन लोगों ने यह कोटा पूरा नहीं किया है । जिन्होंने जानबूझ कर यह असावधानी की है और कोटा पूरा नहीं किया है, तो मैं चाहता हूं कि सरकार इन अधिकारियों के प्रति सतर्क हो, यदि वह सचमुच चाहती है कि वह अधिकारी सरकारी आदेशों और नियमों को मानें । इस सम्बन्ध में सरकार को अपना व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिये । यह वह लोग हैं जो चाहते हैं कि वह जितने दबे हुये हैं उसी तरह से दबे रहे, जिस तरह से अभी तक चलता रहा, उसी तरह से आगे भी चलता रहे । मैं चाहता हूं कि सरकार मेरे सुझावों पर ध्यान देकर सम्बन्धित सरकारी अधिकारियों को आदेश दे कि वह कोटे को पूरा करें । एक सज्जन ने बताया कि एक ऐसा विभाग भी है जिसके मंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपने विभाग को यह आदेश दे दिया है कि जब तक हरिजनों का कोटा पूरा न होगा तब तक मैं और किसी को नहीं रखूंगा । जिससे मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं । अगर इसी तरह से अन्य मंत्रिगण भी अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी ले ल तो उससे हमारा काम ठीक होगा और कोटा पूरा होगा । जिले में जो चुनाव कमेटी बनी हैं, जहां तक मेरा विश्वास है उसमें एक भी हरिजन सदस्य नहीं होता है । इसकी वजह से छोटे छोटे नुक्स निकालकर हरिजनों को उन जगहों पर नहीं रखा जाता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि हरिजन सदस्यों का प्रतिनिधित्व उन कमेटियों में होना चाहिये ।

इसी तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन का भी सवाल है, जैसा कि अन्य सदस्यों ने कहा। उसमें भी हमारे हरिजनों का एक प्रतिनिधि होना चाहिये । मैं भी उसी मांग को पुनः दोहराता हूं कि वहां भी हमारा एक सदस्य होना चाहिये । पिछले मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह कमीशन म हरिजन सदस्य को रखेंगे । वह मंत्री चले गये, नये मंत्री आ गये, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । तो मैं समझता हूं कि एक मुख्य मंत्री जो आश्वासन

देता है और आश्वासन देने के बाद जब वह अलग हो जाता है तो उसके बाद उसका पद लेने वाला मंत्री समझता है कि पिछले आश्वासन को पूरा करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है । पी० सी० एस० में हरिजन सदस्य अवश्य होना चाहिये । इससे हरिजनों का बड़ा उपकार होगा। जिन नौकरियों पर हरिजन व्यक्तियों को रखना है उसके लिये आप जिला अधिकारियों को आदेश दें कि उसका वह अधिक से अधिक विज्ञापन करायें ताकि सेलेक्शन में काफी हरिजनों के लिये काफी मौका मिल सके और वह आ सकें । इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि जिले में जो हरिजन आफिसर है और हरिजन सहायक आफिसर हैं जो ग्रान्ट वगैरह देते थे, अब वह काम उनसे लेकर ब्लाक के पास चला गया इसलिये उनके पास अब कोई काम नहीं रह गया है । ऐसी हालत में मैं चाहूंगा कि उन हरिजन आफिसरों को कम से कम यही काम दिया जाय कि वे अपने जिले की ऐसी लिस्ट तैयार करें कि कितने व्यक्ति किस किस योग्यता के मिल सकते हैं, कितने स्थान खाली हैं और किन को कहां भेजा जा सकता है । अगर यही काम उनका हो जाय तो मैं समझूंगा कि उनके स्थान का औचित्य सिद्ध हो जायगा । इन शब्दों के साथ, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कमेटी की सिफारिशों पर ध्यान देकर उसकी सिफारिशों पर उचित कदम शीघ्र उठाये जायं ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हरिजन संरक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन पर विचार हो रहा है। यह विचार माननीय सदस्यों द्वारा विभागीय मंत्रिगण को सुनाने के लिये और उनको कार्य रूप में परिणत करने के लिये दिये जा रहे हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ८९ सदस्य हरिजनवर्ग के हैं, लेकिन इस समय शायद ८९ सदस्य सदन में नहीं हैं और मंत्रिगण भी यहां नहीं हैं और विशेषत: मुख्य मंत्री महोदया जो हमेशा यह घोषणा किया करती हैं कि वे और उनकी सरकार पूर्णरूप से हरिजन अधिकारों के प्रति जागरूक है वह भी यहां नहीं हैं और इस महत्वपूर्ण बात को सुनना भी उचित नहीं समझतीं और मंत्रिगण इस विवाद में भाग लेने से हिचकते हैं। इसी से वे भी सदन में नहीं आयीं ।

मैं इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में इतना कहूंगा कि यह बात तो माननी पड़ेगी कि एक बटा चार अहमियत तो हरिजन वर्ग को इस सरकार ने जरूर दी है और चाहे प्रलोभन के रूप में ही सही, या उनको पीछे चलाने के लिये सही, १८ प्रतिशत रिजर्वेशन की बात उनकी गिरी दशा को ठीक करने के लिये कर दिया है। लेकिन इन १७ सालों की हुकूमत में अगर देखा जाय तो उसका स्वरूप इस प्रतिवेदन में ही मिल जायगा कि क्या हुआ है । अब तक २ या ३ परसेंट से अधिक रिजर्वेशन पूरा नहीं हो सका । बड़े दुख की बात है । कोई भी कितना ही पददलित वर्ग हो, वह कुछ न समझता हो, लेकिन इतना तो महसूस करता ही है कि जो रिजर्वेशन उसे दिया गया है वह सिर्फ कागज पर ही रखा गया है । क्या आप उस वर्ग को इतना निठल्ला समझते हैं कि आपकी समाजवाद के लिबास में छिपाने और कागजी कार्यवाही करने की बात को नहीं समझता? कहीं किसी विभाग को देखा जाय तो कहीं पर, किसी पद पर हमारे वर्ग का आदमी नहीं है और अगर है तो वह भी चन्दरोजा मेहमान है । जब चाहते हैं विभागीय अधिकारी उनको निकालकर बाहर कर देते हैं । जब चाहते हैं दिखाने के लिये रख लेते हैं । तो इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है । इस खिलवाड़ को, नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि हरिजनवर्ग अब बरदाश्त करने के लिये तैयार नहीं है और कमर कसकर मैदान में इसके लिये आने को तैयार है ।

एक सदस्य—

इतने जागरूक अभी हरिजन कहां हैं ?

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

ठीक है, अभी वह इतने जागरूक नहीं हैं, लेकिन वह जानते हैं कि उन पर असहनीय अत्याचार हो रहा है और उभड़ना आरम्भ हो गया है और अगर वह उभड़ गये तो यह सरकार क्या, कोई भी सरकार चाहे वह कोई भी रूप धारण करके आवे वह ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती । आप देखें, कितने अन्याय की बात है कि उत्तर प्रदेश

[श्री रघुवीरसहाय कैथवार]

में कुल एक इन्फार्मेशन आफिसर हरिजन था जिसको अनेक तरीकों से जलील करके विभाग से हटा दिया गया । अब एक भी नहीं हैं । आप विचार करें कि आपके पुलिस विभाग में पन्त जी महोदय की कृपा से कुछ सब-इंस्पेक्टर रखे गये थे । अब वह १९६१ में निकाल कर बाहर कर दिये गये। फिर आप रिजर्वेशन देने की बात करते हैं और रिजर्वेशन उनको देते नहीं और दूसरी तरफ किसी तरह से दिखाने के लिये किसी तरीके से रख लिये गये तो उनके साथ यह व्यवहार होता है । श्रीमन्, आपने हाल ही में एक प्रश्न के उत्तर में सुना होगा कि जितने उत्तर प्रदेश के ब्लाकों में बी० डी० ओज० हैं उनमें केवल १३, १४ हरिजन थे और अब उन १३, १४ को भी निकाल कर बाहर कर दिया गया हैं । उत्तर प्रदेश में केवल २ हरिजन सरकिल इंस्पेक्टर हैं। उनमें से एक को ३० जनवरी, १९६४ को बिना किसी आरोप के, बिना किसी शिकायत के और बिना किसी शो काज नोटिस के बरखास्त कर दिया गया है।

मान्यवर, दूर न जाइये, इस लखनऊ की बात को ही देखिये कि आपके आयुक्त महोदय के कार्यालय में ३७८ क्लर्कों के पद हैं जिनमें केवल १ हरिजन है । उनके यहां १७५ चपरासी हैं, जिनमें केवल ३१ चपरासी हरिजन हैं । जितने चपरासी रखे गये हैं वह काम करने के लिये नहीं रखे गये हैं उनसे कपड़ा धुलाया जाता है और उनसे गलीच से गलीच काम कराया जाता है । अगर वे एतराज करते हैं तो उनको निकाल कर बाहर कर दिया जाता है । अगर वे अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचाते हैं तो सरकार जवाब देती है कि वह नालायक था इसलिये निकाल दिया गया। इनके यहां हरिजन चपरासी भी नालायक हैं । एक आदमी कमीशन से कम्पीट करने के बाद आता है । वह भी नालायक हो जाता है । सब तरह से लायक, अच्छे और योग्यता प्राप्त करने के बाद भी जो यहां आते हैं उनको नालायक करके निकाल दिया जाता है। तो फिर यह सरकार किस तरह से इस वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा करेगी ? मैं आपसे निवेदन करूं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी जिला परिषदों के अध्यक्ष हैं उनमें कितने हरिजन हैं ? एक भी हरिजन नहीं हैं । ब्लाक प्रमुखों में भी कोई हरिजन नहीं है । क्या इस तरह से हरिजनों के अधिकारों का संरक्षण किया जा सकेगा ? इतने पर भी यह सरकार इस बात का दावा करती है कि वह प्रदेश में समाजवाद लाना चाहती है । समाजवाद का नमूना हम तभी देख सकेंगे जब हरिजनों को उनका अधिकार दिया जायगा और उनके अधिकारों का संरक्षण दिया जायगा । सरकार उनको अधिकार दे और उनको आगे बढ़ाये, यह दिखादे कि वास्तव में वह हरिजनों का कल्याण करना चाहती है और हरिजनों को समता पर लाना चाहती है । पर यह कुछ नहीं हो रहा है । कुछ लोग यह समझते हैं कि इस प्रतिवेदन को यहां पर पेश करने से सरकार कुछ ध्यान देगी, पर यह कुछ होनेवाला नहीं है । हरिजन ऐसे ही पिछलग्गा बने रहें, यह सरकार चाहती है । आप दूर न जाइये इसी कौंसिल हाउस के अन्दर कई सौ सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं और कई सौ असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं और अनेक क्लर्क हैं, लेकिन एक भी सुपरिन्टेन्डेन्ट हरिजन नहीं है केवल एक आदमी असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं । सरकार ने २० दिसम्बर, १९६३ में एक रीसेंट जी० ओ० जारी किया है जिसमें कहा गया है कि नियुक्ति के अलावा प्रोमोशन में भी उनको रिजर्वेशन दिया जायगा, लेकिन जब यहां पर प्रश्न किया जाता है तो जवाब दिया जाता है कि रिजर्वेशन प्रोमोशन में नहीं है। जबकि जी०ओ० मौजूद है तब यह जवाब दिया जाता है । दूसरी बात यह है कि एक आदमी को प्रोमोशन दिया जाता है और कह यह दिया जाता है कि एक एक आदमी के बीच अछूत कैसे रखा जाय । सरकार चाहे तो एक एक में भी दे सकती है । जब अन्य जातियों के ५ आदमी हो जायं तो एक आदमी अछूत भी रख लिया जाय, तो उस में संरक्षण मिल जावे । लेकिन जब नियत नहीं है तो क्या हो। देने की नियत नहीं, सुनने की नियत नहीं, करने की नियत नहीं, तो यह कागजी घोड़ा कब तक चलेगा ? यद्यपि हरिजन वर्ग को पददलित जानकर पढ़ाई, नौकरियां आदि के मामले में मुगालते में रखा जाता है तो उसने भी यह जान लिया है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनके अधिकारों का हनन होता है यही कारण है कि ७९ सदस्यों मे निर्दलीय और अपोजीशन के ४० सदस्य जीत कर आये हैं और वे सरकार का पीछा छोड़ चुके

हैं और अगर सरकार इसी तरह से उनके साथ अन्याय करती रही तो आपके साथ जो लोग हैं वे भी इधर आ जावेंगे और अगर ऐसा हुआ तो आपकी यह गद्दी बरकरार नहीं रहेगी। अतः प्रतिवेदन में जो सुझाव दिये गये हैं उन्हें कार्यान्वित करना अत्यावश्यक है।

*श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रतिवेदन पर आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आप का आभारी हूं। इस सदन में १७ साल के बाद हरिजनों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिये पहले प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है। जो महानुभाव समाजवाद का नारा लगाते हैं, उनसे मुझे निवेदन करना है कि समाजवाद का नारा बड़ा सुलभ है, लेकिन उसे रचनात्मक रूप देना बड़ा कठिन है। जिस तरह से हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और होते हैं उसी तरह से हमारे भाई समाजवाद को समझने की कोशिश भी करते हैं। महात्मा गांधी के युग में जो भारतीय समाजवाद है उसे हमारी कांग्रेस ने समझा है, आपने नहीं। अंग्रेजी साम्राज्यशाही में हरिजन कुचले जाते थे, उनकी पढ़ाई-लिखाई का कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन आज हरिजनों को वह बहुत-सी सुविधायें प्राप्त हैं जो पहले कभी नहीं थीं। श्रीमन्, मुझे कहना है कि अंग्रेजी साम्राज्यशाही के जमाने में, जमींदारों की हुकूमत में हमको पढ़ने लिखने से रोका गया, स्कूलों में जाने नहीं दिया गया, लेकिन इस १७ साल के जमाने में कांग्रेस ने हमको अपने अधिकारों की रक्षा के लिये खड़ा कर दिया है। आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और कल वे अपने उचित अधिकारों को अवश्य पायेंगे। बाबा अम्बेदकर चले गये और उनके वसूल और सिद्धान्त सब दबे पड़े हैं। उनको उभारने के लिये अगर आपमें शक्ति हो तो आप हरिजन समाज को जगाइये। (व्यवधान) मुझे आप से कहना है कि माननीय पंत जी, माननीय सम्पूर्णानन्द जी और माननीय गुप्त जी ने जो कार्य किये वे महान् थे और आज एक माता उस कुर्सी पर बैठी हैं जो सब बच्चों को प्यार करती हैं। तीन बच्चे तो ऊंची जाति के हैं उनकी तरफ तो उनका ध्यान है ही, लेकिन चौथा जो हरिजन समुदाय का है उस बच्चे की तरफ भी उनका ध्यान जाना चाहिये। प्रतिवेदन में जो सिफारिशें की गयी हैं, उन पर सरकार ने अभी तक कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। आज हरिजनों के बच्चे नौकरियों में नहीं लिये जाते हैं और कैसे लिये जायं? जब ऊंची श्रेणी के लोग ऊपर बैठे हुए हैं, और जब सेलेक्शन (चुनाव) होता है तो यह कह कर उनको हटा दिया जाता है कि आप इस काबिल नहीं हैं। माननीय कृषि मंत्री, चौधरी चरणसिंह ने हाउस में ऐलान किया था कि टेक्निकल हैंड को छोड़कर बाकी जगहों पर हरिजन लिये जायेंगे। अभी गोंडा जिले में २५ लिपिकों का चुनाव हुआ, उसमें एक हरिजन था, उसको नहीं लिया गया यह कह कर कि यह अयोग्य है, जबकि वह सेकेंड क्लास पास है और अच्छी योग्यता रखता है, ३० वर्ड टाइप कर लेता है। यही नहीं, गोंडा कलेक्टरी में एक हरिजन है जबकि २५० या ३०० क्लर्क मौजूद हैं। जजों में भी एक हरिजन है जबकि ढाई-तीन सौ जगहें हैं। इस प्रतिवेदन को अगर सही रूप में लागू किया जाय, तो हमारे हरिजनों की दिक्कत दूर होगी।

जहां तक चतुर्थ श्रेणी की बात कही जाती है, जहां चपरासियों की समस्या आती है वहां जातिवाद का बोलबाला है। इसलिये कि ऊपर से नीचे तक आज हरिजनों का एक भी सदस्य कमीशन में नहीं है जो उनके हितों की रक्षा कर सके। जितनी कमेटियां चुनाव के संबंध में बनायी जाती हैं उनमें भी हरिजन नहीं होता है, जिससे उनकी आवाज दब जाती है और सही ढंग से चुनाव नहीं होता है। वहां आजकल कुनबापरस्ती का बोलबाला है। मजबूरन भी जहां आदेश दिया जाता है वहां भी पालन नहीं होता है। लखनऊ की हालत बताना चाहता हूं। अभी हाल में पी० एम० टी० के चुनाव में छात्र आये और वहां पर ३ जगहें रिजर्व थीं, लेकिन एक भी सदस्य नहीं लिया गया जब कि मंत्री जी ने भी काफी लिखा-पढ़ी की, लेकिन आज भी उन तीन छात्रों को नहीं लिया गया। जब दिये के तले अंधेरा है तो जिले में क्या दशा होती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगाप्रसाद]

होगी ? इसी जून में एक सरकुलर गवर्नमेंट ने प्रसारित किया है, जिसकी मंशा है कि २५ फीसदी लिपिक और ४५ फीसदी चतुर्थ श्रेणी के चपरासियों में हरिजन लिये जायेंगे, लेकिन वह सरकुलर जिलों में नहीं गया है । जो हमारे हरिजन अधिकारी देखरेख के लिये रखे गये हैं वह सेक्रेटेरियट की बात देख लेते हैं, लेकिन कितनी जगहें खाली हुई, उनको देखने वाला कोई नहीं है । रोजगार दफ्तर से भी पता नहीं लगता है कि कितने आदमी लिये गये कितने नहीं और कितनी जगहें खाली हैं । तो हर जिले में कमेटी होनी चाहिये जो वहां की नौकरियों की बात देखे, कि कितनी जगहें खाली हुई हैं और कितनी पर लोग रखे गये । यह प्रतिवेदन सन् ५९ तक का है, उसके बाद इन चार सालों में क्या स्थिति है, कितनी जगहें हैं, कितने हरिजन रखे गये, सारी चीजों पर मैं चीफ मिनिस्टर से अनुरोध करूंगा कि वह आंकड़े देंगी जिससे पता लग सके कि सुरक्षित स्थानों में कितनी पूर्ति हुई है । आज इस प्रदेश से अभी तक कोई हरिजन अमेरिका, इंगलैंड या रूस छात्रवृत्ति देकर नहीं भेजा गया है ताकि वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक भी हरिजन छात्र को विलायत नहीं भेजा गया । इसकी पूर्ति होनी चाहिये । क्यों नहीं भेजा गया इसका जवाब भी मिलना चाहिये ।

भर्ती का जो तरीका है वह भी गलत है । रोजगार दफ्तर से नाम भेजे जाते हैं, मगर हरिजन लोगों को उसकी कोई सूचना नहीं दी जाती । जब चुनाव होता है तो वह भी ठीक तरह से नहीं होता है । आज, क्या कारण है कि १७ साल के बाद भी १८ प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं हो पाया ? माननीय जगजीवनराम जी ने जब हरिजनों के प्रतिनिधित्व को पूरा करने का बीड़ा उठाया तो उन पर लान्छन लगने लगा । डाक्टर सीताराम जब मंत्री ट्रांसपोर्ट के थे उन्होंने कोटा पूरा करने का इरादा किया तो उन पर लांछन लगने लगा कि अपने ही आदमियों, हरिजनों को रखा जा रहा है । तो जब इस तरह आप लांछन लगायेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो भाई समाजवाद लाना चाहते हैं, वे कैसे लायेंगे ?

अन्त में, मैं यह चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी आज यह घोषणा करें कि इस प्रतिवेदन की ५१ सिफारिशों में से कितनी सिफारिशों को वे स्वीकार कर रही हैं और कब तक उनकी पूर्ति हो जायेगी और पूर्ति के लिये एक समिति बनायी जाय, जो खाली और होने वाली जगहों की देखभाल करें ।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रतिवेदन पर हम विचार कर रहे हैं वह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, क्योंकि इसका संबंध हमारे राज्य की २०प्रतिशत जनता से है जो सदियों से पीड़ित और शोषित रही है, जिसको अपनी उन्नति के कभी कोई अवसर नहीं मिले हैं । आजादी के बाद देश नें जो संकल्प किया उसमें सबसे बड़ा उद्देश्य और लक्ष्य यह था कि हमारे देश की जनता का वह हिस्सा जो सदियों से पीड़ित रहा है जिसका शोषण हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उसको हम बन्द करेंगे, उनको राहत पहुंचायेंगे और अधिकाधिक सुविधायें देंगे, क्योंकि हम समझते थे कि जब तक हमारे समाज का इतना बड़ा हिस्सा शोषित रहेगा, उनका शोषण जब तक जारी रहेगा, तब तक राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता और इसीलिये हमने उसको एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा । इतिहास इसका साक्षी है कि इन लोगों के साथ सामाजिक न्याय नहीं किया गया । इसलिये हमने अपने संविधान सक में इसकी व्यवस्था की । आज प्रशासन जिन्दगी के हर हिस्से में घुसा हुआ है । जब तक प्रशासन में उन लोगों का हाथ नहीं होगा उनकी उन्नति संभव नहीं है । इसी उद्देश्य से संविधान बनाने वालों ने उनके लिये एक विशेष व्यवस्था की है । नौकरी में भी सुरक्षा की व्यवस्था की है । इस बात को बराबर कहा जाता रहा कि नौकरियों में और प्रशासन में यह लोग नाम मात्र के ही हैं । इसी कारण इस कमेटी का निर्माण हुआ था । इस रिपोर्ट को देखने से ज्ञात होगा कि जिन बातों को यहां कहा जाता रहा वे सब अक्षरशः सत्य निकलीं । कितना कम उनका परसेंटेज है, कितना उनके साथ है उपेक्षा का व्यवहार, कितना हेय व्यवहार है, यह रिपोर्ट इस शासन के ऊपर एक बड़ा भारी रूलर है । उत्तर प्रदेश का शासन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आजादी के बाद भी समाज के एक उस सब से पिछड़े हुए वर्ग के लिये, उनके उत्थान के लिये जो कुछ आवश्यक था और जिसकी व्यवस्था संविधान में की गई, उसको भी करने में असमर्थ रही । संविधान में यह अधिकार दिया गया और सरकार ने इसको माना कि १८ फीसदी संरक्षण इनको मिलना चाहिये । लेकिन अब तक ३–४ फीसदी से ज्यादा उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है। आंकड़े बतलाते हैं कि सन् ४३–५३ तक ४.९७ इनका प्रतिनिधित्व था और ५३–६३ तक वह ३.५५ रह गया । अगर इस वक्त के आंकड़े आयें तो शायद और भी घटे हुए मिलेंगे । मैं इसकी जिम्मेदारी आज के इस मंत्रिमंडल पर डालना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश का मंत्रिमंडल आज इस राष्ट्रीय समस्या के प्रति, समाज के इस पिछड़े हुए शोषित वर्ग के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा है और इस बात को महसूस नहीं कर रहा है कि इनका उत्थान, इनका आगे बढ़ाना एक राष्ट्रीय कर्त्तव्य है । मैं इसको केवल सामाजिक और आर्थिक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक समस्या के रूप में भी देखता हूं ।

आज जो भीषण स्थिति है उसके भयंकर राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं । जो गहरा असन्तोष चारों तरफ फैल रहा है, जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर जाति, धर्म आदि फैल रहा है इसका बहुत बड़ा कुपरिणाम इस देश को भुगतना पड़ा है । जाति के नाम पर महान् अपराध हुए हैं । इस देश के एक वर्ग का शोषण धर्म और जाति के नाम पर इतने दिनों से किया गया है और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर ऊंचे वर्ग के लोग जो ऊंचे-ऊंचे पदों पर हैं जिनकी शोषण की प्रवृत्ति है, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स कायम हो गये हैं वह जानबूझ कर इस वर्ग को दबाये रखकर उसका शोषण करने पर तुले हुए हैं । इस रिपोर्ट में बतलाया गया है । आंकड़े मांगे जाते हैं, इस शासन के अंदर ऐसे ऐसे विभाग हैं जिन्होंने ग्यारह ग्यारह महीने तक आंकड़े अपने यहां से देने से इंकार किया । मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री से कि क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई ? एक कमीशन बनाया गया था, उसने उनके विभाग से कुछ आंकड़े मांगे और ग्यारह महीने तक लगातार मांगते रहे, उन्होंने आंकड़े नहीं दिये । ऐसे अधिकारी शासन में रखने योग्य नहीं हैं । यह उनकी उस मनोवृत्ति का द्योतक है कि जो वह चाहते हैं कि यह वर्ग पिछड़ा रहे, इसे आगे न बढ़ने दिया जाय । हमने लगातार इस बात को कहा है कि आज सरकार अगर इस बात को मजबूती के साथ नहीं देखती है तो ऐसे लोग जो शासन में टाप पर बैठे हुये हैं, जो ऐडमिनिस्ट्रेशन पर हावी हैं, जो नहीं चाहते कि इस गरीब तबके के लोग आगे बढ़ें, इनके शोषण का अंत हो, वह कुछ भी नहीं होने देंगे, वह इस वर्ग को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे और यह सरकार उनके हाथ का एक साधन बनी रहेगी । अगर यह सरकार आश्वस्त करना चाहती है सदन को कि हमारे देश और प्रदेश में इस गरीब तबके और मेहनतकश तबके के साथ, जो कि इस देश की दौलत बनाता है, जिसका राजनीतिक इस्तेमाल इस देश में किया जा रहा है, जिसके साथ आज अन्याय हो रहा है, सोशल जस्टिस उनको नहीं मिल पा रही है, १७ साल की आजादी के बाद जिनकी यह हालत है, यह हेय दशा है, इसी लखनऊ के अंदर ऐसे-ऐसे विभाग हैं, यहां का कृषि विभाग है, इसके अंदर ·३४ प्रतिशत हरिजन ७,००० कर्मचारियों के अंदर हैं, क्लर्कों के अंदर जो कि मामूली लिखे-पढ़े होते हैं । क्या आप यह कह सकते हैं कि इसके लिये भी पढ़े-लिखे नवजवान उनको नहीं मिलते ? हजारों की तादाद में ऐसे पढ़े-लिखे नवजवान चारों तरफ फिर रहे हैं । हम जब यह बात कहते थे तो हमारी बात मानी नहीं जाती थी । एम्प्लायमेंट एक्सचेंज का कहना यह है कि हमसे हरिजनों के लिये सुरक्षित जगहों के नाम नहीं मांगे जाते और अगर कभी मांगे जाते हैं तो ऐसे वक्त पर मांगे जाते हैं कि जब हम न दे सकें । इस तरह वह नवजवान लड़के जो कि योग्य हैं लिये जा सकते हैं, वह नहीं लिये जा पाते । यह मनोवृत्ति तोड़नी पड़ेगी, यह वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों की मनोवृत्ति है जो समाज के शोषण को कायम रखना चाहते हैं । इसलिये मैं यह कहता हूं कि अगर सरकार संविधान के प्रति वफादार है, अपनी जिम्मेदारी के प्रति वफादार है, अगर इस रिपोर्ट के प्रकाश में वह ठोस कदम उठाना चाहती है, तो माननीया मुख्य मंत्री को यह स्पष्ट रूप से घोषणा करनी होगी कि वह क्या कदम उठाना चाहती हैं । न, रिपोर्ट इस कमीशन की बनायी गयी, लेकिन चार साल तक वह विभाग में ही पड़ी रही, सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिस सदन

[श्री चन्द्रजीत यादव]

की मांग पर यह कमीशन बैठाया गया था, उसके सामने भी उस रिपोर्ट को नहीं पेश किया गया और अब चार साल के बाद इस सदन को मौका मिला है कि वह इस पर विचार करे । अगर सरकार हरिजनों के साथ न्याय करना चाहती हैं तो उसको तुरन्त ही शोषण बंद कराना होगा । सरकार को इसे अपनी जिम्मेदारी समझ कर इसको एक राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्या के रूप में गंभीरतापूर्वक देखना होगा और उसके लिये वाजिब कदम उठाने होंगे ।

हमारे हरिजन बच्चों की क्या हालत है ? उनको २५–३० रुपया वजीफा दिया जाता है जब कि यूनिवर्सिटी में १००–१५० रुपया माहवार से कम का खर्चा पढ़ने, बोर्डिंग और लाजिंग में नहीं होता है । भला बताइये, वह किस प्रकार से आगे पढ़ सकता है ? हमारे पास लड़के आते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आगे पढ़ो, वे कहते हैं किस प्रकार से पढ़ें, हमारे मां बाप के पास पैसा नहीं है । इसलिये अगर आपको भविष्य में ऊंचे स्थानों पर भेजना है तो आपको उनका पूरा-पूरा खर्चा बरदाश्त करना होगा । होस्टल की फीस भी पूरी बरदाश्त करनी होगी, खाने का खर्चा भी देना होगा । जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक उनकी रोजी रोटी की समस्या हल नहीं हो सकती । मां बाप गरीब हैं, वे चाहते हैं कि बच्चा उनके साथ खेत में काम करे, उनके काम में हाथ बटाये, इसलिये वह उसको पढ़ने के लिये नहीं भेजना चाहते हैं । इस प्रकार से इस पूरी समस्या को आपको देखना होगा ।

आज देखा जाता है कि जिले में अगर कोई हरिजन आफिसर पहुंच जाता है तो उसके खिलाफ तरह तरह का षड़यंत्र किया जाता है । कहीं कहीं किसी हरिजन मजिस्ट्रेट के खिलाफ सारा बार एसोसियेशन संगठित हो जाता है । इस प्रकार की प्रवृत्ति जिन लोगों में पायी जाती हैं उन लोगों को सरकार को मजबूती के साथ कुश करना होगा, सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी होगी ।

अन्त में मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि इस कमीशन ने जो सिफारिशें की हैं, उनके बारे में ६ महीने के अंदर सरकार इस बात को बताये कि सरकार ने कौन-कौन कदम उठाये और उनमें क्या-क्या दिक्कतें पड़ीं । ६ महीने के अंदर सरकार स्पष्ट निर्देश दे कि जब तक हरिजनों के सुरक्षित स्थानों की पूर्ति नहीं होती है तब तक वे जगहें खाली रहेंगी और दूसरों को नहीं दी जायेंगी । लेकिन आज होता यह है कि हरिजन लोग बेकार फिरते रहते हैं और जो स्थान खाली होते हैं उन पर दूसरे लोग रख दिये जाते हैं और बहाना यह किया जाता है कि अच्छे लोग मिल नहीं रहे हैं । लखनऊ में, केन्द्र स्थान पर, एक ऐसी मशीनरी बनायी जाय जो यह देखे कि हरिजनों को संविधान में जो गारंटी दी गयी है उसकी पूर्ति हो रही है या नहीं तथा लोग डिफाई तो नहीं कर रहे हैं । जो लोग डिफाई करें उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाय । प्रत्येक विभाग में ऐसे लोगों की नियुक्ति हो । तभी जाकर इसकी पूर्ति हो सकती है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष––

चूंकि बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये मैं ५–५ मिनट का समय निश्चित करता हूं ।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)––

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रतिवेदन जो सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है . . .

*श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)––

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह समिति जो बनी थी उसके सभापति पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे । तो आज यह आवश्यक था कि जब यहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नौकरियों के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो चीफ सेक्रेटरी या उसका कोई रेप्रेजेंटेटिव यहां होता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहां कोई नहीं है । फिर ऐसी हालत में हम कैसे समझें कि हमारी बातें जो यहां कही जा रही हैं उनके कानों तक पहुंच सकेंगी ? यह बहुत ही मुश्किल बात है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है । आपके सामने तो माननीय मंत्री जी व दूसरे लोग मौजूद हैं ।

*श्री जसरामसिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सम्मुख उत्तर प्रदेश की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत है और यह विवाद सदन के सम्मुख है कि हरिजनों को नौकरियों में १८ प्रतिशत स्थान देने की जो बात है उसकी पूर्ति हुई है या नहीं हुई है । वैसे हरिजनों की समस्या बहुत विशाल है और इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इस रिपोर्ट में जो लिखा है उसके अनुसार इस समय तक सरकार द्वारा कितना काम हुआ है और सर्विसेज में हरिजनों को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है, आज सदन में इस पर विवाद होने की बात है । श्रीमन्, अगर आप देखें तो सन् १९५९ में यह समिति बनायी गयी थी और २४ अगस्त, सन् ६० को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और सन् ६२ में यह रिपोर्ट छप कर आयी और २६ अगस्त, सन् ६४ को इस पर हम विचार कर रहे हैं । इस तरह करीब ४ वर्षों के बाद आज इस प्रतिवेदन पर विचार हो रहा है। तो यह समस्या उस विभाग की है, उस समाज की है जो सदैव निरीह रहा है, दूसरों की कृपा का पात्र रहा है । आज ४ वर्षों के बाद सदन में उसकी रिपोर्ट इसलिये प्रस्तुत हुई है कि १८ प्रतिशत स्थानों की पूर्ति हम कर पाये हैं या नहीं ।

श्रीमन्, इस प्रतिवेदन को अगर मैं आपके सम्मुख रख दूं कि जितने भी विभाग इसमें दिये हुए हैं उनमें इसकी पूर्ति कहां तक हुई है तो आप पायेंगे कि सन् ४७ से ५३ और सन् ५३ से ५९, इसके दो भाग किये गये हैं ।

मैं इस रिपोर्ट को बहुत दिनों से पढ़ रहा हूं और मैंने देखा है कि कहीं भी किसी विभाग में १८ प्रतिशत की पूर्ति नहीं हुई है । आप देखें---मुख्य लेखा संपरीक्षा अधिकारी, पंचायत राज में १.०५ प्रतिशत; कार्यालयों के मुख्य निरीक्षक---१० प्रतिशत, सांस्कृतिक कार्य एवं वैज्ञानिक अनुसंधान निदेशालय--१० प्रतिशत; उच्च न्यायालय--९ प्रतिशत; जिला अधिकारी--९ प्रतिशत; परिवहन विभाग--९ प्रतिशत; नियोजन--क्रिया एवं अनुशीलन संस्थान--९ प्रतिशत; शिक्षा निदेशक--९ प्रतिशत; कानपुर विद्युत् प्रशासन वितरण--८ प्रतिशत; डिवीजनों के आयुक्त--८ प्रतिशत; लोक सेवा आयोग--७ प्रतिशत; फलोपयोग निदेशालय--७ प्रतिशत; उद्योग निदेशक--६ प्रतिशत; श्रम आयुक्त--६ प्रतिशत; मुख्य अरण्यपाल--५ प्रतिशत; भूगर्भ एवं खनिज शास्त्र निदेशालय--५ प्रतिशत । इसी प्रकार से कुछ ऐसे विभाग भी दिये हैं जिनके सामने "कुछ नहीं, कुछ नहीं" लिखा हुआ है। इसमें एक स्थान पर कहा गया है कि जहां तक चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में अनुसूचित जातियों की भरती का संबंध है, राजस्व परिषद्, कृषि निदेशालय, मुख्य अभियन्ता; स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग का कार्यालय, विद्युत् परिषद्, सूचना निदेशालय, स्थानीय निधि लेखा, मनोरंजन कर आयुक्त इत्यादि में उनकी भर्ती की संख्या घटती हुई प्रतीत होती है।

दूसरी ओर १९५३ से १९५९ तक की अवधि में कतिपय कार्यालयों, जैसे प्रधानाचार्य अधिकारी, प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद का कार्यालय; राज भवन, लखनऊ; हरिजन कल्याण निदेशालय; विकास आयुक्त का कार्यालय; मुद्रण कार्यालय; पंचायत राज निदेशालय में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत इन सेवाओं में काफी बढ़ गया है तथापि कुछ कार्यालयों में १९५३ से १९५९

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जसरामसिंह]

तक की अवधि में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की भर्ती लगभग नहीं के बराबर रही । यह अंश मैंने कुछ आपके सामने रखे । इस देश में १०० में २० या हर ५ आदमी पर एक हरिजन निवास करता है, इस समाज में आज हरिजनों की यह हालत है। मेरा हरिजन समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन है कि खास तौर से आप के पास एक विभाग २ साल से है और बराबर आप हरिजनों को ग्रांट दे रहे हैं, लेकिन उल्टा काम हो रहा है, दो साल से सभी सदस्य यह बात कह रहे हैं, ढाई साल बीत गये और ढाई साल और बाकी हैं चुनाव तक और फिर सदस्य बदल जायेंगे। लेकिन क्या यह उल्टा ही होता रहेगा या हमारे जमाने में कोई उसका उपाय हो जायगा ?

दूसरा निवेदन यह है कि आप मुख्य मंत्री से मिलकर ऐसे कुछ सेक्रेटरीज की नियुक्ति करें और एक कमेटी कुछ माननीय सदस्यों को लेकर आप बनायें, आप उसके चेयरमैन हों या मुख्य मंत्री हों और हर सेक्रेटरी के पास उसके विभाग का एक पूर्ण नक्शा हर समय रहे कि चपरासी से लेकर ऊपर तक उन के विभाग में किस-किस स्थान पर अभी प्रतिशत पूरा होने में कितनी कसर बाकी है। इस रिपोर्ट में ४७ से ५९ का और ६० तक का ब्योरा दिया हुआ है और ६० से ६४ तक का पता नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ? इसके अलावा एक जिला स्तर पर भी ऐसी कमेटी बनायें क्योंकि जितने भी वहां पर बाबू और क्लर्क और अफसर लगे हैं उन्होंने वहां की नौकरियों को अपनी एक बपौती बना लिया है, बाप के बाद बेटा और फिर पोता, वही लोग घुसे हुए हैं और हरिजनों को वहां जाने की नौबत नहीं आती। तो जिला स्तर पर जिलाधीश की देख-रेख में एक ऐसी कमेटी बनाई जाय जो देखे कि जब तक हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा न हो नई अन्य नियुक्तियां किसी और को न की जायं । अन्त में । मेरा हरिजन कल्याण मंत्री जी से एक और निवेदन यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिये। वहां एक सदस्य आप मुख्य मंत्री जी से बात करके भिजवायें, क्योंकि वहां धांधलेबाजी से अक्सर योग्य हरिजन अभ्यर्थी भी अयोग्य कर दिये जाते हैं और दूसरे सूबों में जाकर वही उम्मीदवार योग्य हो जाते हैं । यही मोटी-मोटी बातें मैं इन ५ मिनट में कह सकता था। जो समय आपने दिया इसके लिये मैं आप का आभारी हूं ।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत दिनों के बाद इस सदन में इस प्रतिवेदन पर बहस हो सकी है । यह एक हरिजनों की और पिछड़ी जाति की राष्ट्रीय समस्या है जिसके ऊपर हमारे ऊपर के नेताओं ने बहुत पहले ध्यान दिया था । इस देश के अन्दर आजादी के बाद जितना हमारा शासन चलता आगे रहा उतनी ही हरिजन उन्नति में ढिलायी आती गयी । संसार के हर मुल्क में यह समस्या रही थी क्योंकि सब जगह गुलाम प्रथा रही है। रूस और अमेरिका में भी गुलाम प्रथा थी। जब उन मुल्कों में आजादी आयी तो वहां भी ऐसे वर्गों पर बहुत पैसा खर्च करके बराबरी पर पिछड़े लोगों को लाया गया। हमारे देश में इस समस्या पर शुरू में अच्छे ढंग से काम हुआ, लकिन धीरे-धीरे इसमें ढिलायी आती रही और यह समस्या जटिल होती गयी।

मैं एक नयी बात कहना चाहता हूं कि किसी सरकार के सामने रोने से समाज की बुराई दूर नहीं होती । उसके लिये आन्दोलन की जरूरत होती है तभी समस्या दूर होती है । हम जब समाज में काम करते थे तो सरकार के खिलाफ बाहर आन्दोलन करते थे जिससे सरकार को झुकना पड़ता था, लेकिन जब से कुर्सियों पर आकर बैठ गये हैं, कुछ लोग सरकारी कर्मचारी हो गये तो जनता में आन्दोलन करने वाला कोई नहीं रहा। हर सरकार आन्दोलन के सामने झुकती है । हमारी सरकार आज इसीलिये हरिजनों की किसी समस्या पर विचार नहीं करती है, क्योंकि बाहर कोई आन्दोलन नहीं है । सरकार को सही रास्ते पर लाने के लिये बाहर जबरदस्त आन्दोलन होना चाहिये । केवल भाषणों से काम नहीं चलने वाला है । मैंने पिछले वर्ष भी कहा था कि जब हरिजन बजट पेश होता ह तो बहुत कम आदमी

उसमें भाग लेत हैं। अतः इस विभाग को लावारिस कहा जाय तो अनुचित न होगा। इस पर न मुख्य मंत्री विचार करें और न कोई अन्य मंत्री करता है। नौकरियों के अलावा और बहुत-सी समस्यायें हैं।

डाक्टर संपूर्णानन्द ने हरिजनों को जब जमीनें देने का सवाल आया था तो एक कमीशन बैठाया था जिसके सभापति श्री बलदेवसिंह आर्य थे। उस पर ८०,००० रु० खर्च हुआ जिसका काम यह देखना था कि कहां कहां जमीनें पड़ी हैं। अफसोस यह है कि उसकी रिपोर्ट पर कोई अमल नहीं हुआ। जब विभाजन हुआ तो शरणार्थियों ने तमाम तराई के इलाके में ५०, ५० बीघा जमीन लेकर कब्जा १०० बीघा कर लिया और खेती कर रहे हैं। सरकार की कालोनाइजेशन स्कीमों में जमीन पर नाजायज कब्जा किया है, लेकिन अगर वैसा हरिजन करते तो जेल में बन्द कर दिये जाते हैं। हरिजनों ने दिल्ली पैदल यात्रा की, लेकिन उनको बिजनौर जेल में बन्द किया गया था। क्शर का लाइसेंस भी उसी को मिलता है जो पहले से क्शर चलाता रहा हो, उनको गल्ले की दुकानों की इजाजत भी तभी मिलेगी अगर उस व्यापार में वह या उसका परिवार पहले से लगा हो। अब अगर कोई हरिजन अपनी आर्थिक अवस्था सुधारना चाहता है तो उस पर तरह तरह के प्रतिबन्ध लगते हैं। हजारों हरिजन लड़के पढ़ कर निकल रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती जिसके कारण खाली रहने से वह क्राइम कर सकते हैं। तो इस राष्ट्रीय समस्या को यदि जल्दी से हल न किया गया तो यह भयानक रूप धारण कर सकती है। अभी श्री खेमचन्द जी ने मंत्री जी को कहा कि वे डरते हैं कि जब कभी भी उन्होंने हरिजनों की तरक्की की बात कही तो उनके पीछे बहुत-सी बातें लगायी जाती हैं। जब जगजीवन राम जी कहते थे कि हरिजनों के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है वह हरिजनों का ही है। वह उनकी बीड़ी, सिग्रेट, और तम्बाकू पर लगे टैक्स का है और जो टैक्स लगता है उसका पैसा है वह पैसा जो उन पर खर्च किया जाता है और दूसरों का नहीं है।

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी बी० डी० ओ० जब नौकरी करने आते हैं तो वह एक आदमी को अपने साथ लेकर अपने घर जाते हैं। उसका नाम एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज में दर्ज करा लेता है और बहुत से आदमियों को चुनाव के लिये बुला लेते हैं और चुनाव करने पर उस आदमी को अपने यहां पर रख लेते हैं। अतः यदि इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया कि वे उनसे घर में खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोने का काम नहीं ले सकते हैं और यदि इस प्रकार से सरकार कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाती है, तो याद रखिए कि चौथी श्रेणी के कर्मचारियों में हरिजनों को कोई नौकरी नहीं मिल सकती है।

श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये मुझे समय मिला है उसमें मेरा तो अपना खयाल है कि एक मर्तबा नहीं चाहे जितनी मर्तबा कोशिश की जाय और सरकार कितना ही प्रयत्न करे पर हमें ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है कि हरिजनों का हित होगा। इसलिये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इन नौकरियों में हमारा संरक्षण हो या न हो, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि कम से कम इतना तो करें कि जिनको नौकरियां मिली हैं, जो सर्विसेज में हैं, कम से कम उनके अधिकारों का संरक्षण तो हो सके। यह एक बहुत बड़ी बात है कि नौकरी मिले और उससे भी बड़ी बात यह है कि सर्विसेज में इन्सानियत के आधार पर वह नौकरी में रह सकें। मैं आपके सामने खास तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरह से हरिजनों को सर्विसेज में रहकर दिक्कत उठानी पड़ती है। माननीय मंत्री जी सुन रहे हैं। देरापुर में एक पोस्ट मास्टर हरिजन थे। वहां पर ए० डी० ओ० इन्डस्ट्रीज किसी काम से पोस्ट आफिस में आये और अन्य कर्मचारियों के साथ वहां के पोस्ट मास्टर को पीटा, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करायी। वहां के एस० डी०

[श्री ज्वाला प्रसाद]

ओ० ने बुलाकर वहां के जो दरोगा थे इस तरह से डांट पिलाई कि अगर इस केस में फाइनल रिपोर्ट नहीं लगायी तो अच्छा नहीं होगा। और जब उस दरोगा ने फाइनल रिपोर्ट नहीं लगायी तो उन्होंने उन दरोगा के केसेज को जो उनकी कोर्ट में आये उनमें क्रिमिनल मुल्जिमान को जमानत पर छोड़ देना शुरू कर दिया। पुलिस के अधिकारियों ने भी कोशिश की और नेताओं ने भी बार-बार प्रयास किया। इस तरह से वातावरण क्षुब्ध हो गया और जब देखा कि अब काम चलने वाला नहीं है तो पुलिस मजबूर हो गयी और जांच शुरू की तो एस० डी० ओ० ने गवाहों को बुला कर कहा कि हलफनामा लिखकर तुम अपनी रक्षा करो। नतीजा यह हुआ कि हलफनामे लग गये। उन्हें गल्ले की दुकानों का लालच दिया गया। इस तरह से एक उछल-कूद मचायी गयी। मैंने माननीय मुख्य मंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने हमारे प्रार्थना-पत्र पर गौर किया है। सर्विस देने से ज्यादा अच्छा है कि हमारा संरक्षण किया जाय। पिछले हफ्ते जब श्रीमती तारा अग्रवाल मेरठ गयी थीं तो ज्ञात हुआ कि १७ हरिजन विद्यार्थी जो मेरठ डिग्री कालेज में थे उनको सवर्ण विद्यार्थी हैरान करते थे। एस० ओ० ने रिपोर्ट नहीं लिखी। एस० पी० ने जवाब नहीं दिया। तारा अग्रवाल जी वहां गयीं तो डी० एम० से कहा। उनके प्रयत्न से कुछ हरिजन विद्यार्थियों को न्याय मिल सका। तो इंसानियत के साथ ही अगर हम रह सकें वही ज्यादा अच्छा है।

पब्लिक सर्विस कमीशन भी अगर चुनाव से बना होता तो सोचता कि उसे वोटरों के सामने जाना है और तब वह जरूर हमारे संरक्षण का खयाल रखता। अधिकारियों में इस बात की प्रेरणा पैदा की जाय कि जो हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन उनकी सर्विस को खत्म कर देगा।

एक साहब जनसंघ के थे। उनका कहना था कि इतना हरिजनों को इस सरकार ने सर पर चढ़ा लिया है। हरिजन सदस्य का कहना था कि यहां भी हमको ये बातें सुनने को मिलती हैं। हम लोग इस तरह की बातें नहीं करते हैं। कहा जाता है कि गांधी जी की कृपा है इसीलिये भाई उछल कूद लो। मेरा कहना है कि दिली मोहब्बत लाइये तो हमारा भला हो सकता है वर्ना कटुता पैदा होगी और समाज में खाई चौड़ी होगी और संरक्षण की बात व्यर्थ जायगी।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने जो कुछ इन १७ वर्षों में हरिजन उत्थान के लिये किया वह दोनों पक्ष के बैठने वालों के सामने है। न इधर वाले संतुष्ट हैं और न उधर वाले सन्तुष्ट है। इस असन्तोष का कारण केवल नौकरी पाना है तो हमारे लिये बदकिस्मती की बात है। धर्म के रक्षकों ने गुरु नानक, स्वामी दयानन्द और इस काल के महान् हिन्दू महात्मा गांधी ने हरिजनों को हिन्दू धर्म म रखने के लिये अपने जीवन की आहुति देना कबूल किया। मेकडोनल्ड एवार्ड के बाद अगर आज हरिजन कहलाने वाले अपने आप को संतुष्ट न पाते हों तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, हमारे लिये भी, हिन्दू कहलाने वालों के लिये भी और हिन्दुस्तानी कहलाने वालों के लिये भी, लेकिन जो कौम अपने लिये संघर्ष नहीं कर सकती, उसे संसार में रहने का भी अधिकार नहीं है। जो लोग रात-दिन चिल्लाते हैं उनको चपरासी की नौकरी नहीं मिलती, उनको बाबू नहीं बनाया जाता, मैं उनसे पूछता हूं कि एम० एल० ए० की सीट का टिकट लेने के लिये जानवरों की मानिन्द जब वे घूमते फिरते है उस समय उनका स्वाभिमान कहां चला जाता है? वह चीज कहां जाती है? चंद टुकड़ों पर कौम बिकती है। कलेक्टर से मुलाकात हो जाय, सिपाही से जानकारी हो जाय, अगर यही मंशा है आपकी जिन्दगी का तो १०० वर्ष नहीं बल्कि लाखों वर्ष आप प्रयत्न करते रहें तो भी आप ऊंचे उठने वाले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं हैं । किसी को कोई नहीं उठा सकता है । जिस कौम को उठना है अगर वह अपने कदमों पर खड़ी होने का निश्चय नहीं करती है तो वह उठ नहीं सकती है । मेरा खयाल है कि प्रान्त भर में सब से ज्यादा पढ़े-लिखे हरिजनों में मंत्री जी ही होंगे । मैं जानना चाहता हूं कि आपने अपने भाइयों के लिये क्या किया ? अगर आप कुछ नहीं कर सके तो आपके लिये बेहतर था कि आप मिसाल कायम करते और हमारे साथ बैठते ।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

उन्होंने बहुत कुछ किया है और वे कार्य किये हैं जो आपने भी नहीं किये हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

इस सरकार ने १९६० से अब तक इस प्रतिवेदन को दबा कर रखा है और आप उसके समर्थक होकर यहां बैठे हैं तो हरिजनों के साथ आप अच्छा व्यवहार करते हैं । यह उनको धोखा नहीं देते हैं, तो क्या है ?

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में केवल एक ही हरिजन एस० पी० है और उसका नाम श्री दौलतराम हैं । वे निहायत ईमानदार हैं और शराबी कबाबी नहीं हैं । लेकिन वह व्यक्ति पिछले २४ साल से कोई तरक्की नहीं कर पाया है । ए० एस० पी० से एस० पी० हो पाया है । इसलिये कि वह किसी को खुश नहीं कर सकता है । हमेशा वह किसी न किसी उलझन में पड़ा रहता है । हमारे माननीय सदस्य श्री राम चरण जी उनके रिश्तेदार हैं । जिस काम को उनके सुपुर्द किया जायगा उसको वह बड़ी ईमानदारी से करेंगे लेकिन उनको कोई तरक्की नहीं दी जाती है । आप इन लोगों को ऐसे अधिकारियों के नीचे दबा कर रखते हैं जो सारे दिन शराब पीते हैं और अय्याशी करते हैं और सरकार की जी हुजूरी करते हैं । सरकार नहीं चाहती हैं कि ये लोग उठें, तरक्की करें । लेकिन जहां तक हिन्दू कौम का ताल्लुक है यह बिना इनके जिन्दा नहीं रह सकती है । ये दायें-बायें बाजू बन कर कौम की सेवा में नहीं जुटेंगे और नीच-ऊंच का भेद रहेगा तो हमारा देश तरक्की नहीं कर सकेगा ।

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि १७ वर्ष में सरकार ने क्या किया ? अगर कुछ नहीं किया तो आयन्दा हम समझते हैं कि सरकार अपने वायदे पर पूरी नहीं उतरेगी । ऐसी हालत में भी उनका आपके साथ बने रहना और जी हुजूरी करना ठीक नहीं है । यह हमारे साथ आकर बैठें और हमारे साथ शामिल हों ।

श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम इस प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं जिस पर विचार करने के लिये हमारी बहुत दिनों से इच्छा थी । आज हरिजनों का मसला, समाज में जो विषमता है, वह एक भावना है जो बहुत दिनों से हमारे यहां चली आ रही है । उस भावना को मिटाने के लिये जो सरकार आई, उस सरकार ने बहुत कुछ ऐसी स्कीमें बनाईं और उन स्कीमों के मातहत कुछ छुआछूत को दूर करने के लिये प्रयास किया । इसके साथ ही यह भी एक प्लान हुआ कि उनको नौकरियों में भी संरक्षण दिया जाये, जिससे समाज में जो विषमता, जो छुआछूत फैला हुआ है वह दूर हो सके । मैंने १५ वर्षों के कार्य की जो प्रतिवेदन की रिपोर्ट देखी और सरकार ने जो कार्य किया, तो उस सबका जो मूल्यांकन किया, तो इससे मालूम हुआ कि जो संरक्षण और कानून हमने बनाए थे उसके मातहत हम आगे नहीं बढ़ पाये हैं । इसलिये यह आवश्यक हो जाता है सरकार के लिये कि वह बिचार करे कि इस मूल्यांकन के बाद कहीं न कहीं हमारी मशीनरी में या तो कोई खराबी है या जो हमने संरक्षण दिया था उसमें कोई कमी है । तो उस कमी को पूरा करने के लिये मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह अपनी मशीनरी को तेजी से तेज और दुरुस्त करे और जहां पर १८ परसेन्ट का संरक्षण था वहां पर इसको ज्यादा बढ़ाकर संरक्षण दे । जिससे कि सरकार ने जो एक टारगेट

[श्री गनेशीलाल चौधरी]

रखा था, टाइम बनाया था, जिस टाइम के लिये हमने वायदा किया था अपने संविधान में, उस समय तक हम उसको पूरा कर सकें। मुझको किसी नौकरी में कितना संरक्षण दिया गया, कहां पर कितने आदमी रखे गये, इससे कोई विशेष मतलब नहीं है। मेरा तो इससे केवल एक दिग्दर्शन होता है कि प्रतिवेदन में हरिजनों का जो पिछड़ा हुआ समाज है उसकी किस तरह से अवहेलना की गई है। इसको पूरा करने के लिये आप या तो अपनी पालिसी को बदलें, या जो मशीनरी रखें है उसको आगे बढ़ायें और तेज रफ्तार करायें, ताकि जो समय आपने संविधान में दे रखा है उसे आगे न बढ़ाना पड़े और संविधान में उसके लिये फिर से अमेन्डमेन्ट न करना पड़े तथा उसी समय में यह पूरा हो सके। मैं इतना ही उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

*श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम एक ऐसे वर्ग की समस्या की चर्चा करेंगे अपने इस माननीय सदन में जो वर्ग सदियों से मुंह रखते हुए गूंगा बनाया गया था, कान रहते बहरा बनाया गया, आंख रहते हुए अन्धा बनाया गया था। हिन्दू धर्म की पुस्तकों में उस वर्ग को अनेकानेक प्रकार की संज्ञायें दी गई हैं। उदाहरण के लिये पिशाच और चमार और इसी तरह की जैसी जंगली बर्बर आदि नाम दिये गये हैं। गांधी जी के युग में गांधी जी ने उस वर्ग के नाम बदलकर एक नया शब्द कायम किया और वह शब्द उन्होंने बताया "हरिजन"। पिछले इतिहास को, पिछले सवर्ण हिन्दुओं के कुकृत्यों को छिपाने के लिये उन्होंने हरिजन शब्द का अन्वेषण किया। 'हरिजन' का मतलब उन्होंने यह लिया कि "हरि" माने भगवान और "जन" माने मनुष्य। इस प्रकार से हरिजन शब्द का मतलब हुआ भगवान का भक्त। वह तो भगवान का भक्त है, उनके मतानुसार हरिजन नहीं थे बल्कि दुर्जन भी थे। इसलिये हरिजन शब्द का शूद्रों और अछूतों के लिये प्रयोग करना हम अपना अपमान समझते हैं। जो रवैया समाज ने और सरकार ने आजतक इन निम्न वर्ग के लोगों के लिये अपनाया है, वह निन्दनीय है। मैं कहता हूं कि यह जो एस० एस० पी० वाले कहते हैं कि हमारी हुकूमत जब बन जाएगी तो हम हरिजनों के लिये ६० फीसदी संरक्षण कर देंगे। ६० प्रतिशत या १८ प्रतिशत जो भी आप उनके लिये संरक्षण देंगे, लेकिन जिस तरह का रवैया इस सरकार का रहा है और होगा ही, तो वह सब बेकार है। अभी अभी बहुत से मित्रों ने बताया कि १७ वर्षों के दरमियान में सिर्फ ३ फीसदी ही रिजरवेशन अछूतों को दे पाये हैं जब कि संविधान १८ फीसदी की गारन्टी करता है। इसके बहुत से कारण हैं। हमारे जो छोटे-छोटे बच्चे हरिजनों के पढ़ते हैं, अध्यापक जब यह देखते हैं कि उनमें से कोई बहुत ब्रिलियन्ट है तो उसे होम एक्जामिनेशन में फैल कर देते हैं। उसका वजीफा बन्द हो जाता है, गवर्नमेन्ट का सरकुलर होता है कि फेल बच्चों की फीस माफ न हो और उसकी फीस भी माफ नहीं की जाती उसका भविष्य अधन्कारमय हो जाता है।

अखबारों में मैं पढ़ता हूं कि--

"if there are no suitable candidates available among Harijans, these posts will be filled in from the non-reserved candidates."

अब सूटेबिल का मतलब क्या है? सूटेबिल वह है जो सरकार के मतानुसार काम करे, चिकनी चुपड़ी बातें करें और सरकार के मक्खन लगाये।

आज पब्लिक सर्विस कमीशन में हरिजन मेम्बर क्यों नहीं रखा जाता? पारसाल मैंने गुप्ता जी की मिनिस्ट्री में एक सवाल किया था तो उन्होंने जवाब दिया कि जातीयता के आधार पर मेम्बर नहीं रखे जाते। हम कहां कहते हैं कि जातीयता के आधार पर रखो, लेकिन सोशल जस्टिस के अधार पर, जिसको सदियों से समाज ने मूक बना रखा है उसका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक रिप्रेजेन्टेटिव वहां होता तो वह देखभाल करता कि उनके वर्ग का कोटा पूरा हो रहा है या नहीं। क्या आप चाहते हैं कि हम उन भूखे भेड़ियों पर विश्वास करें जिन्होंने हमें सदियों से गुलाम बनाया है और जो हर मुहकमें में ऊंचे से ऊंचे पदों पर आज भी विराजमान हैं ? हमारा दावा है कि हरिजन समस्या तब तक हल नहीं होगी तब हरिजनों को की पोस्ट पर नहीं रखा जायेगा। इंजीनियर्स, डाक्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर भी और गांधी जी ने तो कहा था कि प्रथम राष्ट्रपति भी हरिजन ही होना चाहिये। केरल में एक बैकवर्ड जाति का चीफ मिनिस्टर आर० शंकर है, लेकिन पद्मनाभन आदि उच्चवर्ग के लोग उसको उखाड़ फेंकने की साजिश में हैं। यह क्यों है ? इसलिये कि इनकी नसों में इसी पुराने रक्त का संचार हो रहा है जो इनके पूर्वजों में थे, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था। आखिर ये हरिजन, चमार, पासी, खटिक, धोबी ये नहीं रहेंगे तो गुलामी के काम इनके कौन करेगा ? कौन हल जोतेगा, ब्राह्मण ठाकुर तो हल चला नहीं सकते ? हरिजन वर्ग आज भूमिहीन भी है, इन्हीं को इस सरकार ने भूमिहीन भी बना रखा है। जब इनको भूख की ज्वाला सताती है तो ये बेचारे गुलामी के लिये मजबूर हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

श्यामलाल जी, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री श्यामलाल--

अभी तो ४ भी नहीं बजे।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी तो ४ बजने में ५ मिनट बाकी हैं, लेकिन बहुत से लोग बोलने वाले हैं। आप कृपा करके समाप्त कर दें।

श्री श्यामलाल--

आप भी हमारा शोषण करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

शोषण नहीं है। जो कायदा है उसे पूरा करना है।

श्री श्यामलाल--

उपाध्यक्ष जी, तो आज सभी इस वर्ग को गुलाम बनाते हैं इसीलिये आज इनको नौकरियों में नहीं रखा जाता। १८ फीसदी का रिजर्वेशन भी इसीलिये पूरा नहीं कर पाते। इनको डर है कि हो सकता है कि अगर १८ फीसदी हरिजन सब डिपार्टमेंट में हो जायेंगे, तो १०-५ वर्षों में इनकी भरमार हो जायगी और फिर से आर्थिक दृष्टि से खुशहाल हो जायेंगे। हमारे संविधान का आर्टिकल ३०० साफ-साफ कहता है कि जो सामाजिक दृष्टि से या शिक्षा के स्तर से पिछड़े हों वही अछूत हैं, लेकिन हमारी सरकार ने एक पुछल्ला लगा दिया है कि जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हो, वही पिछड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हो गया।

(श्री शुगनचन्द मजदूर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मैं एक निवेदन करना चाहता था और वह यह कि यह अनुसूचित जाति का जो प्रश्न इस समय विचाराधीन है बड़ा महत्वपूर्ण है। १७ वर्ष में सरकार ने जो कुछ हरिजनों के लिए किया

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

है उसका लेखा-जोखा करने का यह अवसर है। इधर के नहीं, बल्कि उधर के सदस्य भी सभी यह चाहते हैं कि इस पर पूरी तरह से विवाद होना चाहिए जिससे वे अपने सुझाव दे सकें और गवर्नमेंट ने क्या किया है वह भी सुन सकें और सरकार को यदि हो सके तो सही रास्ते पर ला सकें, इसलिए हमारी यह राय है कि कम से कम २ घंटे का समय आज बढ़ा दिया जाय।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर नान हरिजन की राय भी जाननी चाहिए कि इस सम्बन्ध में वह क्या चाहते हैं और सरकार को क्या करना चाहिए।

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय ऐसा है जिस पर इधर और उधर के सदस्यों की दो राय मालूम नहीं पड़तीं। सब चाहते हैं कि जो नहीं हुआ है वह होना चाहिए और इसी बात को सब कह रहे हैं। यदि गवर्नमेंट की राय सब लोग जान लेंगे तो और जो बोलना चाहते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी ने कोई नई चीज नहीं बतलाई है सब एक ही बात को कह रहे हैं कि आगे कुछ होना चाहिए। मैं समझता हूं समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर पांडेय जी कुछ कहना चाहें तो उनको समय दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं समझता हूं सदन का समय एक घंटे और बढ़ा दिया जाय।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अब जैसा आप उचित समझें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय,

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या पर बोलने का अवसर प्रदान किया। हमारे देश में, अगर मैं गलती नहीं करता तो शायद सारी दुनिया में जबकि मानवजाति एक जाति थी, उस जमाने के समझदार और विद्वान आदमियों ने इस मानवजाति के खण्ड-खण्ड करके चार भागों में तकसीम किया हो तो हो सकता है कि उस जमाने के अनुकूल वह जरूरी हो, लेकिन आज तक वही चीज चल रही है। यह समझ में नहीं आता। यह भी समझ में नहीं आता है कि उस जमाने से आज तक यह वर्ग मानवोचित अधिकारों से क्यों वंचित रहा? अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने हिन्दू धर्म की बड़ी परिभाषा की। हिन्दू धर्म में गाय के पाखाने से रोटी पका कर खाना और उसके गोबर से चूल्हे को लीप कर रोटी बनाना अच्छा समझते हैं और उसके मूत्र को पीकर स्वर्ग में सीट रिजर्व करा लेते हैं और उसके सहारे से सीधे स्वर्ग जाते हैं, लेकिन यह वर्ग जिसने, जिस समय से यह वर्ण व्यवस्था कायम हुई है, उस समय से आज तक इस राष्ट्र की ईमानदारी से और परिश्रम से और मेहनत से सेवा की है वह शायद इतिहास में अकथनीय है। ऐसे आवश्यक वर्ग के साथ ऐसा व्यवहार करना, मैं समझता हूं न्यायोचित नहीं होगा। आज के इस प्रगतिशील युग में, जनतन्त्र के युग में, भले ही आज कुछ आदमी सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि और धार्मिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़ गए हों, लेकिन उनके बड़प्पन से उस वर्ग को क्या फायदा जिसकी वजह से वह वर्ग जीवित है, फल-फूल रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आज भी अछूत है, जिसको मेहतर कहते हैं, मैं समझता हूं सर्विसेज में शायद हरिजन मेहतर जाति का कोई भी आदमी नहीं। इसका यह अर्थ नहीं होता कि जो

हरिजन बहुमत में हो, उसी को सुविधाएं मिलें और सब सुविधाओं का बहुमत ही फायदा उठावे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करेंगे कि मैं कहूं कि आज भी राष्ट्र में और यू० पी० में एक वर्ग ऐसा है जो शौकिया नहीं बल्कि रोटी के अभाव में मरे हुए जानवरों का मांस खाने के लिए बाध्य है। यह राष्ट्र के माथे पर कलंक है। किसी भी जनतन्त्रीय प्रणाली के शासन काल में अगर एक भी आदमी कोई ऐसा निकृष्ट कार्य करे जिसको कोई भी दूसरा आदमी किसी भी मूल्य पर करने के लिए तैयार न हो, उसको मानवता के अधिकार न दिए जायं, उसके दुखों को दुख न समझा जाय मगर ढिंढोरा पीटा जाय कि हम बहुत उद्धार कर रहे हैं, उनके लिए स्वर्ग का रास्ता प्रस्तुत कर रहे हैं तो यह कितना निन्दनीय है। आज लोग हंसते हैं और कहते हैं कि अगर हम हरिजनों में पैदा हो जाते तो हमारा बच्चा जल्दी डिप्टी कलेक्टर हो जाता। मैं कहता हूं कि भूलकर भी ऐसा न कहना। बहुमत की जाति में पैदा होना, भंगी, धोबी, कंजर, सांसिया, डोम में पैदा मत होना वरना दो वक्त खाना भी नहीं मिलेगा।

तो मैं इस प्रतिवेदन पर बोल रहा था। १७ साल के बाद, जबकि पूज्य गांधी जी यह कहते थे कि मैं आजाद हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति एक भंगी की छोकरी को देखना चाहता हूं, आज उन्हीं के उपासक लोग जो सत्ताधारी हैं वह जब अंग्रेज थे तब तो कहते थे कि हम विवश हैं, क्योंकि दूसरी कौम की हुकूमत में हैं, लेकिन आज १७ साल हो गए, कहने को अपनी हुकूमत है, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो हालत ऐज ए होल हरिजन वर्ग की है उसमें कोई परिवर्तन आज तक नहीं हुआ। मेरा जैसा एक आध एम० एल० ए० बन जाय, लेकिन कोई राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक प्रगति नहीं हुई जो कि बहुत आवश्यक है। इस प्रतिवेदन में मैं समझता हूं कि बहुत खुले दिल से विचार किया गया है। इसमें जो सुझाव दिए गए हैं उनसे मालूम होता है कि इस कमीशन के चेयरमैन और मेम्बर भी संतुष्ट नहीं जो कि हमारी जनप्रिय सरकार के कर्मचारियों का रवैय्या रहा है। जब वही संतुष्ट नहीं हैं तो हमारा यह हरिजन वर्ग जो युगों से इन्सानी हकूक से महरूम रखा गया है वह कैसे संतुष्ट हो सकता है। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि जब तक आप रोजाना के हुकूमत के काम में हरिजनों को समान हिस्सा लेने का हक नहीं देंगे तब तक उनको आगे बढ़ाना मुश्किल होगा और लोग ऐसे ही हमेशा इस सदन में, पब्लिक में, आल इंडिया रेडियो से चिंघाड़ते रहेंगे, इनका कुछ भला होने हवाने वाला नहीं है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं मन्त्री जी को कि वे कम से कम इस रिपोर्ट को चर्चा के लिए यहां लाने में सफल हुए। परन्तु मुझे श्रीमन्, इस बात का दुःख है कि यह रिपोर्ट सन् ६० में आयी और यह सरकार अब तक उसे छिपाये रही। आज ४ साल के बाद हम उस पर विचार कर रहे हैं। उधर चुनाव के मौके पर सरकार ने सन् ५९ में यह कमेटी नियुक्त कर दी थी। इस ४ साल के समय में यह पता नहीं चल सका कि सरकार ने कौन-सी सिफारिशों को स्वीकार किया है। सरकार का जो रवैय्या रहा है वह ठीक नहीं रहा है। इस रिपोर्ट में ५१ सिफारिशें की गयी हैं, वे इतनी व्यापक हैं कि अगर उनको ही सरकार मान ले तो यह सरकार जितना हरिजनों का सुधार करना चाहती है उससे कहीं अधिक उनका सुधार हो सकता है। परन्तु मुझे आशंका है कि यह सरकार कुछ करेगी नहीं। सरकार के जो भी जी० ओ० जाते हैं उनका सही तरीके से पालन नहीं होता है। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि एक इन्फार्मेशन आफिसर पूरे प्रदेश में हरिजन था और उसकी भी सेवायें समाप्त कर दी गयीं, उसको भी निकाल दिया गया। एक माननीय सदस्य ने यह भी बताया कि बी ०डी० ओ० में से १३ बी० डी० ओ० जो हरिजन थे उनको निकाल दिया गया। मैं समझता हूं कि हरिजन कल्याण विभाग में ऊंची जगहों पर अगर हरिजन अधिकारी रहेंगे तो उनको उनकी कुछ चिन्ता होगी। आज इन्डस्ट्री आदि के लिए जो भी इन लोगों को अनुदान दिया जाता है वह भी उनको पूरा नहीं मिल पाता है। स्कालरशिप आदि के लिए तहसीलदार के पास उनको प्रमाण-पत्र लेने के लिए जाना पड़ता है जो उनको नहीं मिल पाता और इस कारण वे अपना फार्म

[श्री रक्षपालसिंह]

भी भर कर नहीं भेज पाते। नौकरियों में यह कह कर उनको नहीं रखा जाता कि हरिजन उपलब्ध नहीं हैं। इसमें यह सिफारिश की गयी है कि अगर किसी जगह के लिए हरिजन नहीं मिलते तो उस जगह को दो साल तक खाली रखा जाय। सरकार को इस रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार करना चाहिए। मेरा यही सरकार से निवेदन है।

श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)--

श्रीमन्, नौकरियों में १८ प्रतिशत जगहें मिलें या न मिलें मगर यहां बोलने के लिए समय मिल जाय, यह भी कठिन मालूम होता है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने बोलने के लिए समय दिया। नौकरियों में जो १८ प्रतिशत की चर्चा हो रही है उसके लिए मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जब संविधान में १८ प्रतिशत का संरक्षण दिया गया है तो फिर उसका पालन जिले के बड़े अधिकारियों, एस० पी० और डी० एम० के द्वारा क्यों नहीं किया जाता है, जबकि उन्होंने संविधान के प्रति वफादार होने की शपथ खायी है? अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यह उनकी संविधान के प्रति गैरवफादारी है, विश्वासघात है। शासन को इसको देखना चाहिए।

बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि लोक सेवा आयोग में शिड्यूल्ड कास्ट्स का एक आदमी रखा जाय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं इसको सपोर्ट करता हूं। नीचे लिखित परीक्षा आदि में शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी आ भी जाते हैं लेकिन इन्टरव्यू में नहीं आ पाते। इन्टरव्यू बड़े महत्व का होता है। महाकवि कालीदास को विश्वख्याति प्राप्त है। विद्योतमा से उसका इन्टरव्यू हुआ। उसने एक उंगली उठाई, फिर दो उठाई और फिर मुट्ठी बांधी। इसका अर्थ यह निकाला गया कि भगवान एक है, द्वैत दिखाई देता है, इसलिए वह दो है और पांचों उंगलियों की तरह पांचों तत्व जब एक हो जाते हैं, तब ब्रह्म होता है। इसलिए इस इन्टरव्यू का बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है कि योग्य आदमी नहीं मिलते, लेकिन मद्रास के चीफ मिनिस्टर और आजकल कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज जी कौन हैं? वे जिस योग्यता से काम कर रहे हैं, उनका लोहा सभी मानते हैं। अकबर कितना पढ़ा था, जिसने इतना बड़ा शासन इतनी योग्यता से चलाया? इसलिए पढ़ना लिखना ही खास चीज नहीं होती, ईमानदारी और सच्चाई खास चीज होती है। इस तरह इन्टरव्यू बड़ा महत्व रखता है।

अगर डी० एम० और एस०पी० अपने जिलों में पूरी संख्या में हरिजनों को एप्वाइन्टमेंट्स नहीं दे पाते हैं तो उनके प्रमोशन रोक दीजिये, उनका जवाब तलब कीजिए। अगर सरकार चाहे तो वह कर सकती है। जमींदारी एबोलिशन के समय में जो अफसर दस गुना अधिक वसूल करता था उसको इनाम दिया जाता था, पहली सरकार अच्छे काम के लिए राय बहादुरी आदि देती थी, इसी तरह से इसमें किया जा सकता है। जो अफसर इन लोगों को १८ फीसदी नौकरी नहीं दे पाते उनके खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिए। जिस तरह से रिजर्व फारेस्ट रखा जाता है और कहा जाता है कि अगर न रखा जायगा तो आने वाली पीढ़ी को नुकसान होगा। इसलिए सुरक्षित श्रम का भाव ठीक है, लेकिन जब तक सरकार सख्त कदम न उठायेगी सर्विसेज में १८ प्रतिशत हरिजन हो नहीं सकते हैं।

डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर आफिसरों के पास एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें वे बेकार हरिजनों के नाम लिखें और एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के जरिए उनको नौकरी दिलानी चाहिए। अगर वह यह नहीं कर पाते हैं तो उनको खत्म कर दिया जाय और साल-ब-साल डी० एम० से पूछ लिया जाया करे कि किस जिले में कितने हरिजन बेकार हैं।

श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन की मेज पर जो यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, मैं उसके सम्बन्ध में २-३ शब्द कहना चाहता हूं। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने आंकड़े

प्रस्तुत किए, सारी परिस्थिति सदन के सामने रखी। आखिर म हर एक सदस्य ने यह माना कि सरकार हरिजनों के सुरक्षित स्थानों को पूरा नहीं कर पा रही है। इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि हरिजनों को रखने वाले वही आदमी हैं जिन लोगों ने सदियों से उनको गुलाम बनाया है, जो उनको पानी नहीं भरने देते हैं, जो उनको चारपाई पर नहीं बैठने देते हैं, जो उनसे बेगार लेते रहे हैं, तरह-तरह के जुल्म उन लोगों ने हरिजनों पर ढाए हैं, वे भला कैसे चाह सकते हैं कि हरिजन लोग अच्छी से अच्छी जगहों पर नियुक्त हो जायं। इस सम्बन्ध में एक बात मुझे कहनी है कि अगर एक भेड़िया से कह दिया जाय कि वह भेड़ों की रखवाली करे तो वह बजाय उन भेड़ों की रखवाली करने के उन्हीं में मिल कर उनमें से एक-एक को खा जायगा। वही हालत आज यहां है। स्वार्थी व कुनबा परस्त लोग दरवाजे पर बैठे हुए हैं जो हरिजनों को हेय व बहुत ही गिरा हुआ समझते हैं जो हरिजनों को किसी ऊंची जगह पर नहीं देखना चाहते हैं और हरिजनों को ठोकर लगा लगा कर निकाल रहे हैं। अगर इसमें सरकार का दोष नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि आज सरकार किसकी है और वह किनके हाथों में है। आज सरकार भी उन्हीं के हाथों में खेल रही है जो नहीं चाहते हैं कि हरिजनों को बराबरी का दर्जा दिया जाय या उनको किसी अच्छी जगह पर रखा जाय। अभी एक माननीय सदस्य ने दौलत राम जी का उदाहरण देते हुए बतलाया कि आजमगढ़ में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जिस दिन से वे नियुक्त हुए और आज भी वे अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। इसका कारण यह है कि अच्छी जगहों पर स्वार्थी लोग बैठे हुए हैं जो अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी अन्दर आज भी पुरानी जहनियत है, छुआछूत, जाति-पांति, ऊंच-नीच व धर्म की बातें मौजूद हैं जो एक बहुत बड़ा कारण है जिससे सर्विसेज में हरिजन स्थानों की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

आज मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि हम नहीं चाहते कि मद्रास की तरह से यहां भी संविधान की होली जलायी जाय, लेकिन एक भयंकर विस्फोट अवश्य होगा यदि हरिजन लड़के पढ़-लिख कर और अच्छी शिक्षा पा कर भी नौकरियों के लिए इधर उधर भटकते फिरेंगे और रोडवेज विभाग, प्लानिंग विभाग या अन्य विभिन्न विभागों से एक-एक करके ठोकरें मार-मार कर निकाले जाते रहेंगे। आज १७ साल का जमाना बीत गया और संविधान में भी हरिजनों के संरक्षण की बात दी हुई है जिससे आप अपनी आंखें बन्द नहीं कर सकते, इसलिए मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि हम मद्रास की पुनरावृत्ति होने देना नहीं चाहते, लेकिन सरकार को साफ तौर पर मैं बतला देना चाहता हूं कि गांधी जी के नाम पर इतनी बहुत बड़ी तादाद को अधिक दिनों तक गुमराह नहीं किया जा सकता। वह जमाना गया जब हरिजन भेड़िया धसान की तरह जिधर भी आप चाहते थे उधर चले जाते थे। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस काम के लिए एक हरिजन मन्त्री होना चाहिए जो इस बात की हर विभाग में जांच करे कि हरिजनों को उनके अनुपात में रखा गया है या नहीं। पिछली दफा जब इसके लिए हल्ला हुआ तो माननीय श्रीवास्तव जी जो हमारे मिनिस्टर थे, उन्होंने सब लोगों को बुला कर एक मीटिंग की और कहा कि हम कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ इसलिए मेरी मांग है कि कमीशन में एक हरिजन मेम्बर को रखा जाय जो इस बात का ध्यान रखे कि हरिजनों को उनके अनुपात से सर्विसेज में रखा जा सके।

*श्री छत्रपति अम्बेश---

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि अभी माननीय उप मन्त्री जी ने कहा है कि सरकार कुछ अच्छी घोषणा करने वाली है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा न कहते हुए माननीय मन्त्री जी से चाहता हूं कि वे घोषणाओं के सम्बन्ध में दो तीन स्पष्टीकरण भी दे दें कि १७ साल से इस बात का प्रोविजन होते हुए भी सरकार एक प्रतिशत भी हरिजनों को कई विभागों में संरक्षण नहीं दे सकी इसका क्या कारण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री छत्रपति अम्बेश]

है। मेरी मांग है कि या तो सरकार संरक्षण की पूर्ति करे या १७ साल में भी जब इसे पूरा नहीं कर सकी तो इसको समाप्त ही कर दे या आप एक अवधि तय कर दें कि हम इतने दिनों के अन्दर एक साल, दो साल या दस साल में प्रयत्न करेंगे कि इन सर्विसेज में उनका यह प्रतिशत पूरा हो जाय। यह घोषणा आसानी से हो सकती है और जो छोटा स्टाफ है उसकी घोषणा अगर वह चाहें तो आज ही हमारे सामने कर सकते हैं। दूसरी है सर्विसेज से निकालने की बात। मन्त्री जी को मालूम है और मैं बता दूं माननीय मुख्य मन्त्री जी भी यहां बैठी हैं, एक दोष लगाया जाता है, आप के बी० डी० ओज० को निकालने की बात आई, पुलिस के इन्स्पेक्टर को निकालने की बात आई और उनको अकर्मण्य बताया गया, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर कहता हूं कि मेरी जानकारी में ऐसे आई० सी० एस० और आई० ए० एस० हैं कि जिनके कैरेक्टर रोल्स में इस तरह की इन्ट्रीज थीं कि इनको किसी जिम्मेदार जगह का चार्ज न दिया जाय, लेकिन वह आज कमिश्नर बने हुए हैं और बड़े पदों पर बैठे हैं। जिन के खिलाफ चार्जेज थे लड़कियों को उठाने के और इस तरह के बुरे आचरण के, जिनके खिलाफ कैरेक्टर रोल में इन्ट्री है वह आज की-पोस्ट पर डटे हैं और यही नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि आप के आई० ए० एस० अफसरों में दो तीन ऐसे हैं जिनको आप के मातहत अधिकारियों ने कई बातों में पकड़ा, उन के खिलाफ जांच हुई और मामले को ठप्प कर दिया गया।

अभी कुछ दिन पूर्व एक अफसर बम्बई पोर्ट पर पकड़े गए और यहां से एक टेलीफोन गया और मामला समाप्त कर दिया गया, वह यू० पी० के ही हैं। इस तरह से तमाम इस तरह के लोग बड़े-बड़े पदों पर बने हुए हैं और उन को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन इन तथाकथित शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों पर उन के एक ही अपराध पर सीधा एक दम छुरा चलाया जाता है। इसलिए मन्त्री जी आज घोषणा करें कि उन के साथ भी ऐसा सख्त व्यवहार आगे न होगा। वह इस तरह से निकाल दिए जाते हैं यह क्या तमाशा है? अगर मन्त्री जी यह कहते हैं कि कुछ की-पोस्ट्स ऐसी हैं जैसे कि सेक्रेटेरिएट बड़ी भारी जगह है, यहां पर हम लोग रहते हैं और इतने सदस्यगण हैं, रिजर्वेशन के नाम पर आप देख रहे हैं कि ८२ में से ५७ हैं, यह क्या है? अगर यही प्रतिशत है तो मैं बता दूं कि अगली बार उनकी संख्या और कम हो जायगी। इसलिए मन्त्री जी को पोस्ट के बारे में भी कुछ घोषणा कर दें जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है कि वहां पर भी हम अब उन का मेम्बर भेजेंगे। अगर योग्यता के नाम पर अभी उन में उन के आई० सी० एस० और आई० ए० एस० की योग्यता नहीं है तो उन को अवसर दिया जाय और वहां जाकर समय रहते योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ समय लगेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस नीति की घोषणा आज होनी चाहिए। आज से ४ वर्ष पहले यह पुस्तक आई थी, मैं भी उस कमीशन का सदस्य था जिस के राधाकृष्ण चेयरमैन थे और मैं आप को बता दूं कि उन्होंने हम लोगों को यह आश्वासन दिया था कि एक साल के भीतर पब्लिक सर्विस कमीशन में हम हरिजन मेम्बर पहुंचा देंगे, लेकिन वह बात खत्म हो गई। इसलिए जाति के आधार पर नहीं तो माइनारिटीज के आधार पर जब मुसलमानों को स्थान मिल सकते हैं तो शिड्यूल्ड कास्ट ने क्या कसूर किया है? अगर आज ऐसी कुछ घोषणा मन्त्री जी कर दें तो १७ साल में जो काम नहीं हुआ वह अब पूरा हो सकता है और अगर आगे भी कुछ नहीं किया गया तो उसके भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं।

*कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने हरिजन कल्याण विभाग को देखा है। मैंने पाया कि हरिजनों के विषय में जो अनुदान दिये जाते हैं उसके लिये हरिजन कल्याण अधिकारियों को उन बेचारों को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काफी रिश्वतें देनी होती हैं और इस तरह से हरिजनों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है । अगर आप सही ढंग से हरिजनों का उत्थान चाहते हैं, उनका कल्याण चाहते हैं तो ऐसे पदों पर हरिजन अधिकारी रखे जायं जिन पदों का संबंध हरिजन उत्थान से हो ताकि महात्मा गांधी का वह उद्देश्य पूरा हो सके कि हरिजन आगे बढ़ें, उनका कल्याण हो सके, हरिजन और सवर्ण में समानता आवे । गांवों में आप हरिजनों की दशा देखिये । उनको आज भी दबोचा जाता है, उन पर छींटाकशी की जाती है । इससे उनका कोई हित नहीं हो पाता है । उनको आगे बढ़ाने के लिये आवश्यकता इसी बात की है कि हरिजन विभाग में हरिजन अधिकारी ही रखे जायं जो उनके हित को देख सकें और उनके साथ समानता का बर्ताव कर सकें ।

श्री हरीसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष—

आप बोल लें । उसके बाद चूंकि बोलने वालों की संख्या अधिक है, इसलिये हर सदस्य दो, तीन मिनट ही बोलेगा ।

श्री हरीसिंह—

जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसने हरिजनों के संबंध में जो कार्यसूची बनाई थी उसे कार्यरूप में परिणत करने के लिये हमारे सामने रखा ।

(इस समय ४ बजकर ३१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

हरिजन विभाग के नाम से एक विभाग खोला । जब मुसलमानों का राज्य था तो उन्होंने इन्हीं लोगों को अपन मजहब में लिया । फिर अंग्रेजों का राज्य आया तो उन्होंने भी हरिजनों को ही अपने धर्म का अनुयायी बनाया और वे लोग बने जो देश के निवासियों की तानाशाही से परेशान थे । अब अपना राज्य आया तो हरिजन कल्याण विभाग खोला गया और उसका काम यह था कि जो हरिजन हो चाहे हिन्दू अथवा मुसलमान उनके कल्याण के लिये जो कमियां हों वे दूर की जायं । ४७ में १० प्रतिशत हरिजनों को संरक्षण दिया गया । उस समय शिक्षा का प्रचार ज्यादा नहीं था । उससे १० फीसदी उस वक्त पूरा नहीं हो सका । शनैः शनैः सरकार ने स्कूल खोले, लड़कों को दाखिल कराया, छात्रवृत्तियां दीं और नतीजा यह हुआ कि सवर्णों से अधिक पढ़ लिख कर हरिजनों के लड़के निकलने लगे ५३ में १८ फीसदी संरक्षण दिया गया लेकिन वह आज तक ८ फीसदी भी पूरा नहीं हुआ । २५ प्रतिशत क्लर्कों में रखा है और ४५ प्रतिशत चपरासियों में रखा है । भगवान ही मालिक है । शायद ही यह कमी पूरी हो । हरिजन सदस्य बी० ए०, एम० ए०, एल० टी० और डबल एम० ए० हैं, और पता नहीं न जाने कितनी डिग्री लिये हुये हैं जितना शायद ही और लोग हों । लेकिन इतने योग्य होने पर भी अयोग्य हैं । पता नहीं हिन्दू समाज की योग्यता का पैमाना क्या है ? १९४७ के बाद जितने हमारे हरिजन भाई ईसाई हुये हैं उतने शायद पहले कभी नहीं हुये, क्योंकि आर्यसमाजी जो शुद्धि का कार्य करते थे उन्होंने अपना काम छोड़ दिया । आर्य समाजियों को कुर्सी मिल गई । केवल कांग्रेसी रह गये । वे ईमानदारी से चाहते हैं कि सबको समान अधिकार दिये जायं । लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि १५ वर्षों से प्रत्येक हरिजन सदस्य यह कहता चला आया है कि इस विभाग को ठीक कीजिये, एक कमेटी बनाइये और जिस विभाग में जगह हों वहां हमारा एक नुमाइन्दा जाना चाहिये । एक बात समझ में नहीं आई कि जब हरिजन शब्द हमारे साथ नहीं लगा होता है तो हम पहले नम्बर पर आते हैं और जब मालूम हो जाता है तो कंडम हो जाते हैं । हमने संविधान बनाया जिसको देश और विदेश मानते हैं । फिर हमारे साथ यह बर्ताव है । चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, दोनों हमारे लिये एक से हैं, कोई कम नहीं है । सबकी भावना एक सी ही है ।

[श्री हरीसिंह]

हरिजनों की एक कमेटी बनाई जाय। जो यह देखे कि हरिजनों को कितनी भूमि दी गई और कितनों को दी गई, कितने बैल या हल दिये गये, कितनी पुस्तकें दी गईं, कितनों की नियुक्ति की गई और कितनों को निकाला गया। श्रीमन्, जितने हरिजन रखे गये थे वे सारे निकाल दिये गये। यह बात कांग्रेस सीट से हम कह रहे हैं। इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? पुलिस से हरिजन निकाले गये, प्लानिंग से निकाले गये, यानी दो को रखा गया और ५ को निकाला गया। हम लोग एम० एल० ए० बनना नहीं चाहते हैं बल्कि चाहते हैं कि देश का, समाज का कल्याण हो और सबको समान अधिकार दिये जायं। एक भाई ने कहा था कि समाज में भाई चारा चल सकता है। लेकिन यह लोग सत्ताधारी हैं देश हमारा है। हम जनसंघी थोड़े ही हैं। वे ब्लैक मारकेट करते हैं और दुनिया की सूदखोरी करते हैं। हम कम्युनिस्ट घर में पैदा हुये हैं। यह कम्युनिस्ट नहीं हैं। ये तो रूस और चीन के एजेंट हैं। मेरा निवेदन है कि कांग्रेस के माननीय सदस्य और नेता ध्यान दें कि जो हमने बोड़ा उठाया है उसको पूरा करें।

सदन में अस्त-व्यस्त वातावरण में विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो घटनाएं इधर घटी हैं, उससे संबंधित कुछ व्यवस्था के प्रश्न और विधेयक पारित करने के प्रश्नों पर हमने आपसे बातचीत की और सरकार से भी बातचीत की। मैं जानना चाहता हूं कि आपने इस संबंध में जो निर्णय किये हैं, वह आप सदन में बता दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—

१७ तारीख तथा उसके उपरांत जो घटनाएं हुई थीं, उनके संबंध में सदन का आग्रह था कि मैं विभिन्न विरोधी दलों के नेताओं को आमन्त्रित करूं। मैं मुख्य मंत्री को और मंत्री संसदीय विभाग तथा कांग्रेस दल के मंत्रियों को आमन्त्रित करूं और इस विषय में बातचीत करूं। तो इस संबंध में बातचीत करते हुए, हमारे विरोधी दल के नेताओं का यह खयाल हुआ कि इस आसन से व्यवस्था के प्रश्नों के लिये पर्याप्त समय नहीं दिया जाता या अवसर नहीं दिया जाता। मैं विरोधी दल के नेताओं को और सभी सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस सदन की कार्यवाही नियमित रूप से चलाने के लिये इच्छुक और आकांक्षित रहते हैं। जब जब हमारे मत से ऐसा होता है कि कोई व्यवस्था का प्रश्न सही तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है तो हम उसको सुनने को लालयित रहते हैं। हो सकता है कभी कभी कोई ऐसी गलती हो जाती हो। लेकिन मैं जानबूझकर ऐसी गलती नहीं करता हूं और न करूंगा इस विषय में, ताकि किसी के हृदय में यह भ्रम न रहे कि इस आसान से व्यवस्था के प्रश्नों को प्रारम्भ ही में समाप्त करने या दबा देने की नीयत रहती है या किसी प्रकार से जो अधिकार सदस्यों के हैं, उन अधिकारों को हम जबरदस्ती अपहरण करना चाहते हैं, यह खयाल न हो। यह सुझाव था कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या और जो भी इस आसान पर आसीन हों, वह कम से कम व्यवस्था के प्रश्नों को सुन लें जरूर, चाहे फिर उसे अस्वीकृत कर दें। जहां तक मेरा संबंध है और मेरा विश्वास है कि जो बात मैं कह रहा हूं, उसका अनुकरण वह सभी माननीय सदस्य जो इस आसन पर बैठेंगे, करेंगे कि व्यवस्था के प्रश्नों को हम सुनेंगे और जबतक हमारा ऐसा विश्वास न हो जाए कि यह व्यवस्था का प्रश्न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाधा डालने की नीयत से हो रहा है, तब तक हम व्यवस्था के प्रश्नों को सुनने के लिये तैयार रहते हैं और रहेंगे । इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं हाउस आफ कामन्स की कार्यवाही से । मैंने बहुत सी कार्यवाहियां पढ़ीं और उनको देखकर भी मैं इस परिणाम पर पहुंचा और यह परिणाम अगर आप वहां की पुस्तकों को पढ़ें तो उसी परिणाम पर आप भी पहुंचेंगे, वहां के लोग इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि समय समय पर व्यवस्था के प्रश्न ऐसे प्रस्तुत हो जाते हैं जो व्यवस्था के प्रश्न नहीं होते । तो अधिक उपादेय वस्तु यह है कि हम उस प्रश्न को सुन लें, उस व्यवस्था के प्रश्न पर अपना निर्णय दें और निर्णय देने के बाद सदन की कार्यवाही चलने लगे। एक दूसरा पहलू यह भी है और मैं माननीय विभिन्न दलों के नेताओं से निवेदन करूंगा कि उनका भी कर्तव्य है कि वे इस आसन पर आसीन व्यक्ति को अपना सहयोग प्रदान करें । उनका भी कर्तव्य है कि वे अपने दल के विभिन्न सदस्यों को इस बात के लिये मजबूर करें कि व्यवस्था के प्रश्न केवल उसी समय उठाये जायं जब वस्तुतः वे प्रश्न उठाये जाने चाहिये । अगर वह गलत उठा रहे हों तो वे हमारे साथ अपना सहयोग दें कि ऐसे प्रश्नों को वे इस प्रकार से न उठावें जिससे सदन की मर्यादा भंग हो ।

दूसरा प्रश्न जो था वह यह था कि जिसके लिये मैं समझता हूं कि सत्तारूढ़ दल और विरोधी दलों के नेतागण भी सहमत थे कि जब सदन में अव्यवस्था हो तो इस बात का प्रयत्न किया जाय कि उस अव्यवस्था को दूर करके तब किसी विधेयक का पारण किया जाय । मुझे ऐसा लगा कि ऐसी बात नहीं है कि केवल विरोधी दल के सदस्य ही विधेयक के ऊपर अपनी आलोचना करना चाहते हैं अपितु आलोचना और टीका तो सरकारी पक्ष से भी हो सकती है और विचार व्यक्त भी होते हैं, महत्वपूर्ण सुझाव इस दल की तरफ से भी आ सकते हैं तो अव्यवस्था की हालत में विधेयक का पारण करना कोई जनतांत्रिक प्रणाली को परिमार्जित या विकसित करना है ऐसी बात कोई कहेगा नहीं । हमारा प्रयत्न अवश्य यह है और कम से कम मेरा तो होता है कि अव्यवस्था के समय में अगर पारण का प्रश्न हो तो सदन को थोड़ी देर के लिये स्थगित कर दें और जो तरीका मैंने अंगीकार किया है वह मैं समझता हूं कि अंगीकार सभी को करना चाहिये और होता रहेगा कि यथाशक्ति उस अव्यवस्था को दूर करके हम विधेयक का पारण करें । लेकिन इतना मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि अगर हमारे प्रयास और प्रयत्न करने पर भी अव्यवस्था को दूर करने में हम समर्थ नहीं होते तो हमारे लिये दो ही मार्ग रह जाते हैं । यह तो हम किसी आदरणीय सदन के सदस्य को इंगित करके उनका बहिष्कार करें और फिर अधिक विवाद न हो और उसके लिये प्रश्न अगर प्रस्तुत हो जाय तो उस प्रश्न को सदन के सामने रखकर उस विषय को समाप्त करें । हमारा ऐसा विश्वास है कि विरोधी दल के नेता हमसे इसमें भी सहयोग करेंगे और इस बात के लिये प्रयत्नशील होंगे कि अगर किसी कारणवश हम अव्यवस्था दूर नहीं कर पाते तो बजाय इसके कि वह अव्यवस्था होने दें वे स्वयं सदन छोड़ देंगे या फिर हमारे लिये जो मार्ग रह जायगा वह यह होगा कि हम विधेयक को उन स्थितियों में जब कि व्यवस्था पूर्णतया स्थापित करने का प्रयत्न करने के बाद भी जिसके दो तरीके हो सकते हैं एक तरीका यह हो सकता है कि हम यही अपील कर सकते हैं, दूसरा तरीका यह हो सकता है कि थोड़ी देर के लिये सदन को स्थगित कर दें और तब हम उस पर विचार करें और उसको तय कर लें ।

तो यह सदन की व्यवस्था के संबंध में बातें हैं और हम समझते हैं कि विरोधीदल और सत्तारूढ़ दल दोनों मिलकर उसका अनुकरण करेंगे ताकि इस आसन से इस सदन के गौरव और गरिमा का संरक्षण हो सकें । मैं समझता हूं यही बात थी जिसका संकेत माननीय नेता विरोधी दल ने किया था ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

मेरा खयाल है कि आपने यह निर्णय दिया था कि अगर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाय तो सदन को उस समय के लिये एडजर्न करके और उस पर पारस्परिक नेता मिलकर बात कर लें ताकि हल निकल आय ।

श्री अध्यक्ष—

वही मैंने कहा कि अपील करके राजी कर लें या थोड़ी देर के लिये सदन को स्थगित कर दें और बात कर लें । अगर फिर भी कोई रास्ता न निकले, तो मजबूरी होगी ।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

मैं भी दो मिनट लेना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष—

मेरा आपसे निवेदन है कि जो बातें मैंने आपसे कहीं वह बातें सभी नेताओं ने आपस में की थीं । हमारा दुर्भाग्य था कि हम आपका परामर्श उस वक्त प्राप्त न कर सके ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

वह निलम्बन वाली बात भी आप यहां पर कह दें ।

श्री जेड० ए० अहमद—

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा । मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज सुबह जो बात यहां हुई वह मुझे मालूम नहीं । मैं यहां पर नहीं था । बाहर था । मुझे बाद में मालूम हुआ,लेकिन चूंकि मैं एक सजायाफ्ता आदमी लौटा हूं और मुझे मालूम नहीं कि क्यों सजा मिली और मालूम नहीं क्यों सजा वापस ले ली गई और मुझे यह भी मालूम नहीं कि मैंने क्या गुनाह किया था । मैं यहां पर खड़ा हुआ, मैंने कहा उपाध्यक्ष महोदय, यह इतनी आप सजा दे रहे हैं सवाल पूछने पर तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाइये, आप मत बोलिये । उसके बाद फौरन हुक्म आया कि एक महीने के लिये सजा आपको भी है । मैं बाहर चला गया। अध्यक्ष महोदय, ३०, ३५ साल की सियासी जिन्दगी में हमने भी भाड़ नहीं झोंका है । मैं आपकी इज्जत करता हूं और जो लोग उधर बैठते हैं उनकी भी इज्जत करता हूं और बनारसीदास जी की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं यह समझता हूं कि उस दिन जो बनारसीदास जी का रवैया था वह बिलकुल नाकाबिले बरदाश्त था । मैं भी पुराना राजनीतिक वर्कर हूं । मैं समझता हूं उस दिन इस सदन की ट्रैडीशन को और डेमोक्रेसी की ट्रैडीशन को तोड़ा गया जिसकी नजीर कहीं नहीं मिलेगी । मैं खफा होकर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि बनारसीदास जी को गुस्सा था किसी और पर, इधर ३, ४ महीने दिल्ली दौड़ने की वजह से, लेकिन वह टूट पड़े हम पर । किसी और पर टूट पड़ते, हमारा क्या कसूर था ?

श्री अध्यक्ष—

अब इस चेप्टर को समाप्त कर दें ।

श्री जेड० ए० अहमद—

मैं भी इस अध्याय को खत्म करना चाहता हूं । मेरी निगाह में आपकी इज्जत मेरी इज्जत है और मेरी इज्जत आपकी इज्जत है । मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहता । मैं चाहता हूं कि भविष्य में इस बात का अहसास हो कि आपकी इज्जत मेरी इज्जत है और मेरी इज्जत आपकी इज्जत है । लेकिन आगे से इस तरह की बात नहीं होगी । आज बनारसीदास जी ने जो बयान पढ़ा है उसमें जरा भी अफसोस का इजहार नहीं है.....

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

आपको अफसोस का इजहार करना चाहिये ।

श्री जेड० ए० अहमद—

मैंने गुनाह की है तो जरूर इजहार करना चाहिये, लेकिन मेरी गुनाह बतलाइये तो सही कि मैंने क्या कसूर किया ?

श्री अध्यक्ष—

अब यह चेप्टर खत्म हो चुका है ।

श्री जेड० ए० अहमद—

बनारसीदास जी से मैं दरख्वास्त करता हूं जैसा कि पहले कहा था कि अफसोस का इजहार होगा, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि सुचेता जी ने कहा कि जो आदमी कुछ कहता है वह उसके जरिये से अपना परिचय देता है, मैं रत्ती भर भी उनके बयान से बुरा नहीं मानता, लेकिन मुझे अफसोस है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वह बयान पता नहीं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दिया था या गवर्नमेंट का बयान था, उसमें जरा भी झलक अफसोस की नहीं है और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह चीज होनी नहीं चाहिये थी । मैंने जो मेरे दिल में बात आयी वह साफ कह दी । मैं चाहता हूं कि यह दफन हो और भविष्य में ऐसी चीजें न हों ।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि डाक्टर साहब ने अभी फरमाया, उस दिन जो १७ तारीख को घटना हुई उसमें वाकया यह है कि किसको निलंबित किया, क्यों किया किसी को पता नहीं था । एक मामूली न्याय का सिद्धांत है कि जिस आदमी को मुजरिम ठहरायें उसको जुर्म बता दें ।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

व्यवस्था का प्रश्न है । यहां इस रिपोर्ट पर डिस्कशन चल रहा था और ४ बजकर ३५ मिनट पर यह टाइम लिया गया । तो क्या यह टाइम और आगे बढ़ा दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह निश्चय किया है कि इसमें एक घंटा और समय दिया जायगा । कल इस पर बहस होगी । आज चूंकि हमने एक माननीय सज्जन को बुलाया है पार्लियामेंटरी ग्रुप की तरफ से, ५ बजे उनका भाषण होगा तिलक हाल में, तो आज हम ५ बजे तक बैठेंगे और कल एक घंटा इस पर बहस होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

हमारी शांतिप्रपन्न शर्मा जी से बात हुई थी । उन्होंने कहा था कि आज तो ५ बजे के बाद अगर बैठते हैं तो ६ बजे तक बहस चलेगी तो मैंने कहा था कि कल और बहस हो तो ४ बजे से ६ बजे तक दो घंटे होनी चाहिये और वह राजी हो गये थे ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो हम कल तय कर लेंगे । (श्री भगवान सहाय से) पुराना मामला रेक-अप न कीजिये ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं जानना चाहता हूं कि जबकि यह तय हो चुका है और एक निर्णय के ऊपर सारी चीजें आ गयी है तो क्या उसके बाद भी आप हर एक निलंबित सदस्य को बारी-बारी से बुलाकर परसनल क्लैरिफिकेशन का समय देंगे ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

वह लीडर हैं एक पार्टी के और आपके नेता विरोधी दल ने कहा है कि १-१ मिनट बोलने दीजिये ।

श्री भगवानसहाय---

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से नहीं, बल्कि एक दल की तरफ से कहना चाहता हूं । तो उस दिन न तो कोई जुर्म सुनाता था और न सजा सुनाई देती थी ।

श्री अध्यक्ष---

अब यह बात खत्म हो गयी ।

श्री भगवानसहाय---

सजा किसी को दी जाती थी, निकाला कोई जाता था, निलंबन के आदेश कहीं से होते थे, पाबन्दी कहीं से होती थी । बहरहाल, जो भी हुआ उसके बाद बनारसीदास जी का जो स्टेटमेंट हुआ वह बहुत तकलीफदेह हुआ, मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि १७ तारीख को जो घटना हुई उसके हम जिम्मेदार हैं ।

श्री अध्यक्ष---

यह तो हाउस तय करेगा । अब इन बातों से कोई फायदा नहीं ....

श्री भगवानसहाय---

मैं सदन को ऐग्रैवेट नहीं करना चाहता । बनिस्बत एक मुजरिम होने के नाते, एक आदमी की हैसियत से तो कम से कम आपको मालूम होना चाहिये कि जो निकाले गये उनका दृष्टिकोण क्या है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपकी रूलिंग हो जाने के बाद जब मैटर क्लोज हो गया तो क्या फिर खुल सकता है, वापस हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष---

ऐसा कोई प्रश्न नहीं था । मेरी प्रबल इच्छा है, मैं आपका सहयोग चाहता हूं । आज अगर दो बात कह देने से कल हम सांस ले सकें तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री भगवानसहाय---

श्रीमन्, अगर मैं गलती करूं तो मेरी शराफत इसी में है कि उसके लिये मैं माफी मांग लूं। जिन अलफाज का प्रयोग माननीय बनारसीदास जी ने उस दिन किया.....

श्री अध्यक्ष---

अब इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि आप कुछ न कहिये क्योंकि सबेरे माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि वे उससे संतुष्ट हैं, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे भले ही ऐसे न हों, मगर वे उनकी भावना से संतुष्ट थे, ऐसा उन्होंने कहा था ।

श्री भगवानसहाय---

उस दिन के वाकयात की उनको पर्सनल नालिज नहीं थी । हम जिस बड़प्पन की उनसे उम्मीद करते थे उसकी झलक उनके स्टेटमेंट में श्रीमन् नहीं मिली । इसके अलावा एक निवेदन और है, माननीय मुलतान सिंह जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था वे दुर्भाग्यपूर्ण शब्द थे । उनको कार्यवाही से निकल दिया जाय, ये मेरी प्रार्थना है ।

(श्री नवल किशोर का नाम पुकारा गया)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

विरोधीदल, सरकार तथा आपके बीच कुछ बातें तय हुई हैं, हमको भी उस पर कुछ कहने का समय मिलना चाहिये...

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। मैंने माननीय नवलकिशोर जी को बुलाया है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

श्रीमन्, मेरी इच्छा कुछ बात कहने की थी नहीं, डाक्टर साहब बड़े संजीदा आदमी हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैं समझता हूं कि जब सबेरे यह चैप्टर क्लोज हो गया तो अब यह बात उठना नहीं चाहिये थी। वे बुजुर्ग हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसको फिर से ओपिन करके जो इसकी ग्रेस थी वह खत्म हो गयी क्योंकि सबेरे दोनों तरफ से बयान हो गये थे और यह चैप्टर क्लोज हो गया था। मैं माननीय शारदा भक्त सिंह जी का बड़ा अनुग्रहीत हूं कि उनके सहयोग से यह चैप्टर क्लोज हो गया। जो बात सुबह हो गयी है उसी को कायम रखना चाहिये।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, यहां आने के पूर्व आपके चैम्बर में जो बातें हुई थीं उसमें आपने एक यह उपाय बताया था कि जब हंगामा होगा तो आप सदन को स्थगित कर देंगे, यहां आपने दो उपाय बताये, खैर, उस पर मुझे एतराज नहीं है, परन्तु आपकी तरफ से यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि जब आपकी अपील पर कुछ नहीं होगा तो आप सदन स्थगित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष--

अगर यह नहीं होगा तो वह तो होगा ही। मैं दो मिनट का समय और बढ़ाता हूं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

श्रीमन्, मैं भाषा विधेयक के बारे में एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

भाषा विधेयक के बारे में अब कुछ नहीं कहा जायेगा इस समय...

श्री रामसुन्दर पांडेय--

कुछ बातें जरूरी थीं, सुन लीजिये माननीया सुचेता जी जब बोल रही थीं, तब हमने उनको नहीं सुना इसलिये हमारी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

भाषा विधेयक के बारे में जो कुछ भी आपको कहना हो वह नहीं सुना जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

हमको उसकी जानकारी नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष--

विधेयक के संबंध में सब कुछ निश्चित हो चुका है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, भाषा विधेयक के सम्बन्ध में मुझे सिर्फ यह कहना है कि...

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा ।
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२६ अगस्त, १९६४ ।

प्रदेश सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६६ पर)

मांगो की सूची

१--राष्ट्रीय श्रमिक संघ को कर्मचारियों के अत्यधिक बहुमत का समर्थन प्राप्त है उसे तत्काल मान्यता दी जाय ।

२--(क) कर्मचारियों के वेतन दरों में उचित वृद्धि की जाय और वेतन का उचित ग्रेड एवं स्केल मुकर्रर किया जावे ।

(ख) प्रबन्धकों के पक्षपात की नीति एवं अनुचित श्रम व्यवहार के कारण एक ही पद तथा एक ही श्रेणी में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में जो भेदभाव रक्खा गया है, उसे तत्काल दूर किया जाय और उसमें समानता लाई जाय ।

(ग) समस्त श्रेणी के कर्मचारियों का उचित भत्ता जो कि जीवनांक सूचक अंक (कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स) से संबंधित हो निर्धारित किया जावे ।

(घ) कारखाने के विशेष परिस्थिति के अन्तर्गत समस्त कर्मचारियों को उचित हीट एलाउंस, डस्ट एलाउंस दिया जावे ।

३--कर्मचारियों को सन् १९६३ का उचित बोनस दिया जावे ।

४--समस्त कर्मचारियों को उचित उत्पादन बोनस दिया जावे ।

५--कारखाना कानून की छट्टियों के अतिरिक्त कर्मचारियों को १५ दिनप्रति वर्ष सवेतन बीमारी की छुट्टी, १२ दिन प्रति वर्ष सवेतन आकस्मिक (इत्तिफाकिया) छुट्टी तथा २० दिन प्रति वर्ष सवेतन त्यौहारी छुट्टी दी जाये ।

६--अनुचित तथा अनियमित रूप से प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर कार्य से पृथक किये गये समस्त कर्मचारियों को पूर्ण क्षति पूर्ति के साथ कार्य पर बहाल किया जावे ।

७--बिल्डिग विभाग के कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य सुविधायें दूसरे विभाग के कर्मचारियों के समान दी जावें ।

८--सभी कर्मचारियों के लिये फेमिली क्वार्टर की व्यवस्था की जावे ।

९--रेनुकूट बाजार के दूकानदारों के लिये पानी तथा बिजली की समुचित व्यवस्था की जावे ताकि कर्मचारियों के मार्केटिंग और भोजनादि में जो असुविधा होती है वह दूर हो सके ।

१०--राष्ट्रीय श्रमिक संघ के प्रधान मंत्री ए० के० चतुर्वेदी एवं उनके साथियों के ऊपर से भारतीय सुरक्षा कानून के तहत लगाये गये आरोप हटाये जायें ।

११--कैजुअल कर्मचारी जिनकी सर्विस ३ माह हो चुकी है स्थायी किया जाय ।

१२--रिक्त स्थानों के लिये योग्यता तथा अनुभव के आधार पर कर्मचारियों को पदोन्नति की जाय ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–१२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७३ पर ।)

परिशिष्ट (अ)

नाम, ग्राम जिस पर रुपया व्यय हुआ है

ब्लाक का नाम	क्र० सं०	गांवों का नाम	अनुमानित लागत	रुपया जो ३१ मार्च, १९६४ तक व्यय हुआ	विवरण
१	२	३	४	५	६
१—कौड़ीराम	१	बसावन पार ..	२२,६००	१०,८८५	
	२	कजहीं ..	२३,८००	९४१	
	३	तिधरा ..	२२,५५१	१,३६८	
	४	छितहरी	२३,८००	५४४	
	५	तेबबन	२३,०००	८,०७३	
		योग ..	१,१५,९५१	२१,८११	
२—गगहा ..	६	पुर ..	२३,८००	७,५७७	
	७	रखत ..	२३,८००	६,३१३	
		योग ..	४७,६००	१३,८९०	
३—बड़हल गंज	८	सेमरा खुर्द ..	१६,६००	२,५२५	
	९	छखिया	२३,८००	२,९९३	
	१०	बाघा ..	२२,७४०	३,२४४	
	११	रुदौली ..	२१,५००	१,३८८	
	१२	कोडर नीलकंठ	२१,७८१	५,८३६	
	१३	डोवना डीह ..	२३,१३१		
	१४	सेमरा बुजुर्ग ..	२१,०००	६,७७२	
	१५	मधुपुर ..	१०,०००	४,३७२	
		योग ..	१,६०,५५२	२७,१३०	
४—चरगांवा	१६	सियारामपुर ..	४१,१२५	५,५१८	
	१७	सिकटौर ..	४७,९८०	११,२९५	
	१८	रहमत नगर ..	३३,७०६	९,६३६	
	१९	परमेश्वरपुर ..	२५,५५३	५,९८०	
	२०	रामपुर गोपालपुर ..	४५,५००	५,४०६	
	२१	विशुनपुर	२४,०७८	२,८८६	
		योग ..	२,१७,९४२	४०,७२२	

ब्लाक का नाम	क्र० सं०	गांवों का नाम		अनुमानित लागत	रुपया जो ३१ मार्च, १९६४ तक व्यय हुआ	विवरण
१	२	३		४	५	६
५–पिपरौली	२२	बलई गाड़ा	..	२३,६०७	६,४७१	
	२३	चौरियां	..	२३,७७५	११,२४०	
		योग	..	४७,३८२	१७,७११	
६–घुघली	२४	ढोंढीला		२१,७५०	८,२६४	
	२५	घघरवा खंडेसर	..	१२,६००	३,६८९	
	२६	हरली	..	२१,६६०	४,७६८	
	२७	भवदना	..	२३,६००	३,८६१	
	२८	चुवनी	..	२३,६५०	४,०५५	
		योग	..	१,०३,२६०	२४,७३५	
७–सिसवा	२९	बन्दी	..	२२,६१०	७,४०४	
	३०	चनपुर	..	२३,७००	४,२८९	
	३१	सोनबरसा	..	२३,७३०	४,०५६	
	३२	पिपरिया	..	२०,२००	४,९८०	
	३३	बरवा सालिक राम	..	२३,६२०	१,४८८	
	३४	सेशपुर	..	२३,७२०	६,९८९	
		योग	..	१,३७,५८०	२९,२०६	
८–ब्रह्मपुर ..	३५	करकच्छा		१७,५४३	१,५००	
	३६	चकस्तहवा	..	१५,७२४	७,९०१	
	३७	औठा	..	२,४७,३५७	१८,८४८	
	३८	बिशनपुरा		२३,७८०	७,७२१	
	३९	पकरडीहा		१७,३९६	१,३५९	
	४०	छितहरी		३९,९५६	१३,१३२	
	४१	डोमरइला		२४,७०२		काम आरम्भ हो गया ।
	४२	सगहा	..	२३,८००	८,२८३	
	४३	सोहरवा-	..	४३,२५६	२७,६२७	
	४४	दलेहरा	..	२४,८०३	८,७२८	
	४५	गजायकोल	..	३३,४८०	१२,६७३	
	४६	खरसटा	..	३२,१९४	१५,९६६	
	४७	रानीपार	..	२३,७२९	५,८६६	
	५८	गोपालपुर	..	४५,९५६	१२,४४९	

ब्लाक का नाम	क्रम संख्या	गांवों का नाम		अनुमानित लागत	रुपया जो ३१ मार्च, १९६४ तक व्यय हुआ	विवरण
१	२	३		४	५	६
	४९	लेरूवापार	..	१२,८०५	२०,८६८	
	५०	नेरूई	..	२३,०२४	४,१९२	
	५१	मिश्रौलिया	..	२४,४२१	४,३२७	
	५२	रूहा	..	१०,७१३	५,३६१	
	५३	लकडिया	..	७,५२५	६,५४४	
	५४	डीहघाट	..	२३,८००	१७,४९६	
	५५	केयवलिया	..	२९,०९१	८,२८०	
	५६	टमठा	..	११,४१२	५,७८५	
	५७	तुलसीपाकड़	..	१३,८०२	४,२२७	
		योग	..	५,५७,२६९	१,९८,२०३	
९–खोराबार	५८	चकदेईया		१९,३७६	६,८३९	
	५९	सेमरामानिक चक		१७,७५०	३,०५८	
	६०	खिरमनिया		२३,७६०	१६,४७९	
	६१	मुगलेहा		१५,१००	८,२९४	
	६२	जंगल कोरिया नं० १		२३,२००	५,७९८	
	६३	डोमरी		२३,६४०	८,२९८	
	६४	चाफा		१४,३६०	३,९९७	
	६५	सोनवे		२२,२७०	८,२९८	
	६६	सेमरोन।		१९,६३२	३,४६	
		योग	..	१,७९,२८८	६१,४०७	
१०–जंगल कौडिया।	६७	लक्ष्मीपुर		२३,८००	१,३०४	
	६८	मन्फरिया		२२,१००	५,७३६	
	६९	चियुंटहा		२२,६००	३,०१९	
	७०	करोहिया (करौही)		२०,०६०	६,५०२	
	७१	उत्तरासोत		१४,७००	४५५	
	७२	शेरपुर चमराहा		२२,१००	६१,८००	
	७३	वेलघाट		१९,५००	३,८७२	
	७४	मंझरिया मुख्तार		१२,९२०	१,१२९	
	७५	बकिया		२३,२००	२,७९८	
	७६	फिदापुर		१७,७५०	३,७१९	
	७७	धुनधून कोटा		२२,७००	३,९५५	
	७८	तकबलिया		२१,९००	३,६१७	

ब्लाक का नाम	क्रम संख्या	गांवों का नाम	अनुमानित लागत	रुपया जो ३१ मार्च, १९६४ तक व्यय हुआ	विवरण
१	२	३	४	५	६
	७९	रघुनाथपुर	१०,१००	१,६३६	
	८०	गोसाईं पुर	४,३००	१,५५८	
	८१	जंगलकौड़िया	२३,८००	२,७९४	
	८२	गायघाट	२३,८००	२,७९४	
		योग	३,०५,२३०	४९,८०८	
११–घानी	८३	धीवीर	२३,२००	३,९५१	
	८४	विशनपुर	१३,५५०	४७३	
	८५	चौका	१९,८००	८,८७३	
	८६	रामकोला	१३,९००	१,२१४	
	८७	कानापार	२३,८००	१,८५०	
	८८	ढोरघाट	१७,५००	२,३६६	
	८९	इन्दरवार	२१,०००	४,८३७	
	९०	गलारिया	३७,१००	५,६१८	
	९१	बनजूरहा	२३,७५०	३,३३९	
	९२	कोनी	१५,०००	—	काम आरम्भ हो गया है।
	९३	वेलसर	२२,८३०		काम आरम्भ
	९४	गायघाट	११,५६०	१,३८८	हो गया है।
	९५	ताल बनजरहा	२२,६००	४,४२६	
	९६	धानी	२३,८००	४०६	
	९७	बलवा	२३,३००	—	,,
	९८	बहबोलिया	१५,३००	—	,,
	९९	खरखरिया	२३,३००	—	,,
	१००	कमनहा	२१,४००	—	,,
		योग	३,४९,२९०	३८,७४१	
१२–लक्ष्मीपुर	१०१	दशरथपुर	२२,२००	१०,४४२	
	१०२	रानीपुर	२२,८००	१०,०७६	
	१०३	करीमदादपुर	१४,९००	३,७२७	
	१०४	गौहरपुर	२२,०००	२,५५६	
	१०५	सूबेदारपुर	१९,०००	—	काम आरम्भ हो गया है।
	१०६	कोदाईपुर	१२,२००	५,१७९	
	१०७	राजापुर	२१,८६०	९,३९१	

ब्लाक का नाम	क्रम संख्या	गांवों का नाम	अनुमानित लागत	रुपया जो ३१ मार्च, १९६४ तक व्यय हुआ	विवरण
१	२	३	४	५	६
	१०८	टेरही	२०,५००	८,८७७	
	१०९	अराजी सुबैन	२१,७५०	६,६५७	
	११०	अपरहवा खुर्द	१५,१००	—	काम आरम्भ हो गया है।
	१११	सेपरहवा	२३,६६०	१,९८२	
	११२	ब्रह्मपुर	२३,७८०	३,२८८	
	११३	गंगापुर	२२,६००	—	,,
	११४	अवरहवा कलां	७,७३०	—	,,
	११५	भगवानपुर	९६०	—	,,
	११६	रघुनाथपुर	१३,८००	—	,,
	११७	खालिक	२०,७००	२,२०१	
	११८	नवाबीघाट	२१,१००	—	काम आरम्भ हो गया है।
	११९	मठिया इद्दू	११,६००	—	
		योग	२,३८,८४०	६४,३७६	
		पूर्ण योग	२५,६०,०८४	५,८७,७४१	

परिशिष्ट 'ब'

सूची-ग्राम बरहलगंज व गगोहा क्षेत्र

नाम ब्लाक	नाम ग्राम
१--बरहलगंज	१--सेमरा खुर्द २--छपिया ३--बांधा ४--रूदौली ५--कोंडरनील कंठ ६--डोनार्डीह ७--सेमरा बुजुर्ग ८--मधुपुर
२--गगहा	९--पुर १०--रखत

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १२० एल० ए०--१९६४—८६० ।